PERFECT 7

साप्ताहिक

समसामयिकी

दिसम्बर 2019 | अंक-5

भारत में जंक फूड का बढ़ता दायरा

चिंता का विषय

- भारत में प्रदर्शन, हिंसा और कानून : एक अवलोकन
- भारत-मलेशिया संबंध : बेहतर तालमेल की जरूरत
- मदरसों में सुधार की आवश्यकता का मूल्यांकन
- राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन : गाँव-गाँव तक इंटरनेट की पहुँच
- भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र : एक विश्लेषण
- किचन गार्डन : जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक उपकरण

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Special Books for Pre Exams

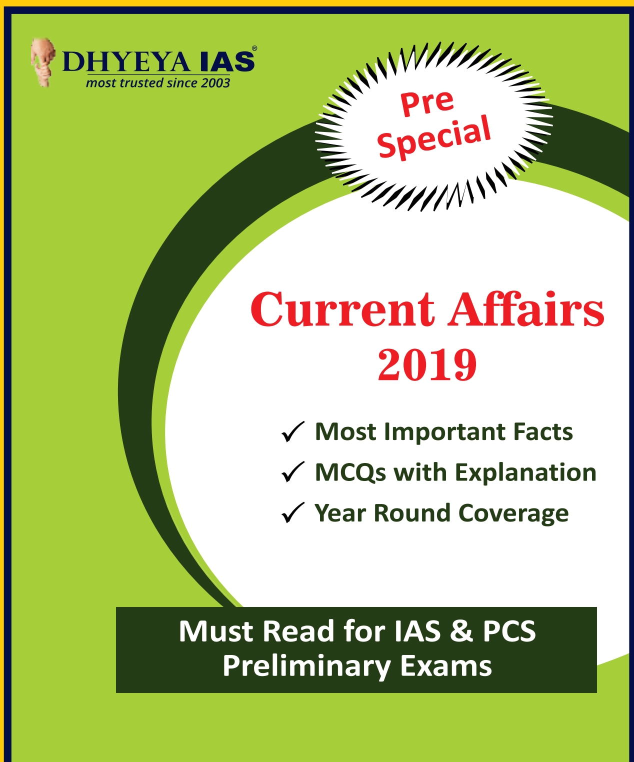

Available at All Book Stores

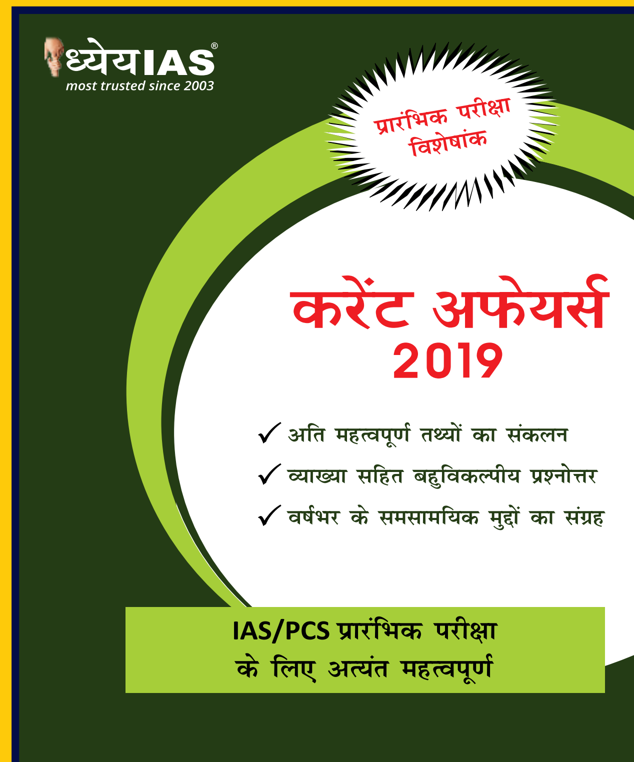

Available at All Book Stores

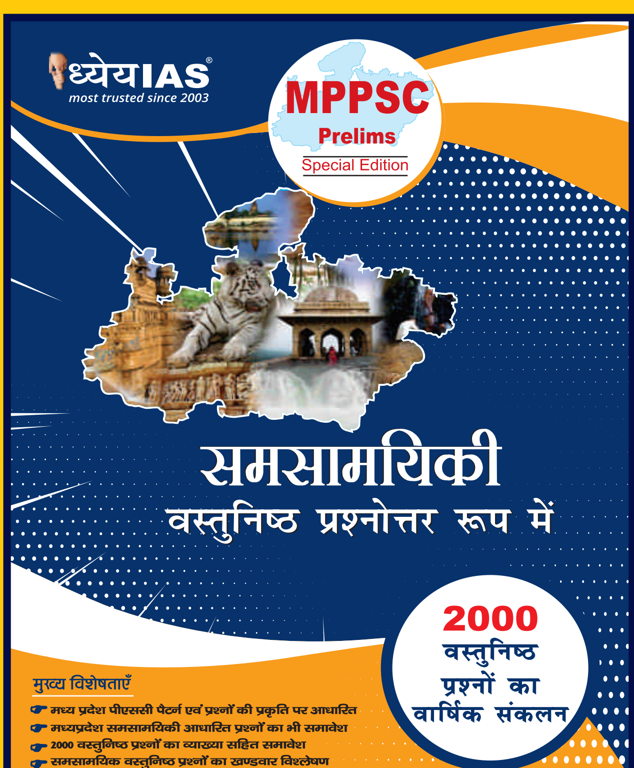

Available at All Book Stores

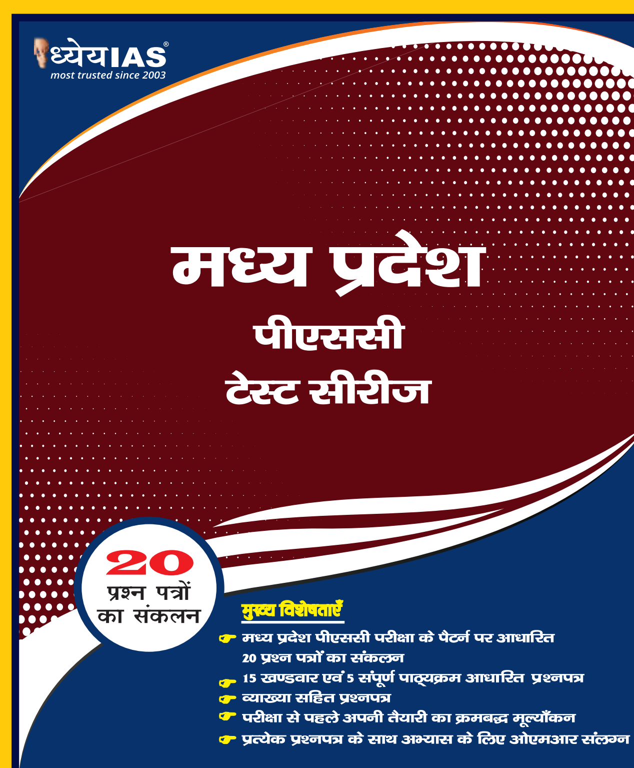

Coming Soon ......

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

'Perfect 7' में सुधार एवं संवर्द्धन हेतु किसी भी प्रकर के सुझाव, टिप्पणी और विचार के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।

9990772422

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण
Perfect 7
ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)
दिसम्बर-2019 | अंक-5

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय,
ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी, सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल

लेख सहयोग
मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव,
प्रीति मिश्रा, आदेश, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार

Content Office
DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- भारत में जंक फूड का बढ़ता दायरा : चिंता का विषय
- भारत में प्रदर्शन, हिंसा और कानून : एक अवलोकन
- भारत-मलेशिया संबंध : बेहतर तालमेल की जरूरत
- मदरसों में सुधार की आवश्यकता का मूल्यांकन
- राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन : गाँव-गाँव तक इंटरनेट की पहुँच
- भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र : एक विश्लेषण
- किचन गार्डन : जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक उपकरण

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. भारत में जंक फूड का बढ़ता दायरा : चिंता का विषय

चर्चा का कारण

अग्रणी शोध संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की एक ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है कि जंक फूड जैसे-बर्गर, पिज्जा और नूडल्स सहित अन्य फास्ट फूड का सेवन, सेहत के लिए खतरा साबित हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बाजार में उपलब्ध लगभग सभी नामी कंपनियों के जंक फूड में नमक और वसा की मात्रा निर्धारित सीमा से खतरनाक स्तर तक ज्यादा पायी गयी है। सीएसई ने 'कोड रेड' शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में इसका विस्तार से उल्लेख किया है।

सीएसई की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- शोध में चिप्स, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर और नमकीन सहित अन्य फास्ट फूड के सभी अग्रणी कंपनियों के 33 उत्पादों की प्रयोगशाला जाँच में पाया गया कि इनमें नमक और वसा की मात्रा खतरनाक स्तर पर इस्तेमाल की जा रही है।
- इन 33 उत्पादों में से कोई भी उत्पाद निर्धारित मानकों के पालन की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका।
- अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि जंक फूड में नमक, वसा, ट्रांस फैट की अत्यधिक मात्रा है जो मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय की बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं।
- लेज इंडिया मैजिक मसाला, अंकल चिप्स स्पाइसी ट्रीट और हल्दीराम चिप्स, पुदीना ट्रीट में नमक और वसा की मात्रा अनुशंसित आहार भत्ते (Recommended Dietary Allowance-RDA) से 10 फीसदी से ज्यादा है।
- सीएसई लैब ने चार प्रकार के नमकीनों को जाँचा है। एक में उच्च मात्रा में नमक और वसा पाया गया है। हल्दीराम क्लासिक नट क्रैकर में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। यह आरडीए मानकों से 35 फीसदी ज्यादा है।
- सीएसई के जरिए जांचे गए 14 पैकेटबंद भोजन में 10 ने अपने उत्पादों में सोडियम के बारे में बताया है लेकिन नमक के बारे में नहीं। इससे ग्राहकों को भ्रामक सूचना मिलती है।
- सभी जांचे गए चिप्स, नमकीन, तुरंत बनने वाले नूडल्स और सूप में रिकमंडेड डायटरी अलाउंस (आरडीए) के मानकों से ज्यादा नमक पाया गया, जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन-इंडिया, आईसीएमआर और साइंटिफिक एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) की सिफारिशों के आधार पर समीक्षा भी की गई।
- सीएसई की रिपोर्ट में कहा गया है कि पेप्सिको कंपनी के चिप्स लेज और कुरकुरे, हिंदुस्तान यूनिलीवर के सूप ब्रांड नॉर, नेस्ले की मैगी, हल्दीराम की क्लासिक नट क्रैकर्स, टू यम चिप्स और डोमिनोज पिज्जा, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज्जा हट और सबवे के नमूनों में नमक का स्तर बहुत अधिक था।

जंक फूड क्या है

जंक फूड की परिभाषा का दायरा काफी लंबा है। आमतौर पर दुनियाभर में चिप्स, कैंडी आदि जैसे स्नैक्स जंक फूड माने जाते हैं। कुछ लोग बर्गर, पिज्जा जैसे तले-भुने फास्ट फूड को जंक फूड की संज्ञा देते हैं, तो कुछ समुदाय जाइरो, तको, फिश जैसे भोजनों को भी जंक फूड मानते हैं। इस श्रेणी में क्या-क्या आता है, ये कई बार सामाजिक दर्जे पर भी निर्भर करता है। उच्चवर्ग के लिए जंक फूड की लिस्ट काफी लंबी होती है तो मध्यम वर्ग कई खाद्य पदार्थो को इससे बाहर रखते हैं।

न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर आदि जंक फूड का उपयोग घटाने और संतुलित आहार को बढ़ावा देने की कोशिशों में लगे रहते हैं। जंक फूड शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1972 में किया गया था। इसका उद्देश्य था ज्यादा कैलोरी और कम पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थो की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। हालाँकि इससे कुछ खाद्य सुधार नहीं हुआ और खाद्यान्न उत्पादन करने वाली कंपनियाँ धीरे-धीरे इनकी किस्में बढ़ाते रहे।

जंक फूड्स के नुकसान

वजन का बढ़ना: जंक फूड में कैलोरी उच्च होती है, जिसके कारण इनके सेवन से हमारे शरीर की कैलोरी बढ़ जाती है, जो कि आगे चलकर हमारे शरीर का वजन बढ़ा देती है। दुनिया की एक बड़ी आबादी इस वक्त बढ़ते वजन से परेशान है। अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन 500 कैलोरी लेता है तो सिर्फ एक हफ्ते में उसके वजन में वृद्धि हो जाएगी। वहीं वजन बढ़ने से अन्य बीमारियां होने की भी संभावना बनी रहती हैं, जैस की घुटनों की समस्या होना, सांस फूलना इत्यादि।

मधुमेह का खतरा: स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जो बच्चे अधिक जंक फूड का सेवन करते हैं, उन्हें मधुमेह बीमारी होने के काफी अधिक आशंका रहती है। इस वक्त दुनिया में काफी बच्चे टाइप-2 वाली मधुमेह के शिकार हैं, जो चिंता का कारण है।

सोचने की क्षमता पर प्रभाव: जंक फूड में पोष्टिक तत्व न के बराबर होते हैं और जब शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो शरीर सोचने समझने की क्षमता खोने लगता है।

एलर्जी का खतरा: फ्लेवर्स व रंगों का अधिक इस्तेमाल होने के कारण यह त्वचा पर एलर्जी का कारण बनता है और कई बार यह एलर्जी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसका इलाज भी संभव नहीं हो पाता है।

हड्डियों का कमजोर होना: जंक फूड में फॉस्फेट नामक तत्व मिलाया जाता है, जिसके कारण खाना टेस्टी बनता है लेकिन ये तत्व आपकी हड्डियों को कमजोर बनाता है।

प्रजनन क्षमता पर प्रभाव: प्रोसेस्ड फूड के सेवन से प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इससे महिलाओं को मां बनने में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

दांतों का सड़ना: लगभग हर तरह के जंक फूड में चीनी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इनका सेवन करने से दांतो से जुड़ी समस्या की गुंजाइश बढ़ जाती है। उच्च चीनी सामग्री से बनने वाली चीजें जैसे सोडा, कैंडी आदि से मुंह, मसूढ़ों, जीभ पर बुरा असर पड़ता है। इसके सेवन से बच्चों के दांत कम उम्र में ही सड़ने लगते हैं जिसके चलते आगे जाकर बच्चों को अपने दांतों का इलाज करवाना पड़ता है।

विटामिन की कमी: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए विटामिन युक्त चीजों का सेवन करना काफी जरूरी होता है। वहीं जंक फूड में विटामिन और खनिज न की मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे में अगर कोई केवल जंक फूड पर ही निर्भर रहता है तो उसके शरीर में विटामिन की कमी आ सकती है। जंक फूड्स में प्रोटीन युक्त चीजें ना के समान होती हैं। वहीं कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी, डी और ई, जैसे पोषक तत्वों की कमी शरीर के लिए हानिकारक होती है और इन चीजों की कमी के कारण कई सारी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है।

हृदय रोग: आलू के चिप्स, फ्रेंच फ्राइज और पिज्जा जैसे जंक फूड में सोडियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। वहीं डॉक्टरों के अनुसार सोडियम हमारे दिल के लिए हानिकारक होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अधिक सोडियम युक्त चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं बहुत अधिक मात्रा में सोडियम खाने से रक्तचाप और स्ट्रोक (दौरे) का जोखिम बढ़ जाता है। वहीं शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि हर 500 मिलीग्राम सोडियम का सेवन करने से स्ट्रोक का खतरा 17 प्रतिशत बढ़ जाता है।

जंक फूड के फायदे

डार्क चॉकलेट: डार्क चॉकलेट पोषक तत्वों से भरपूर होती है। एंटी-ऑक्सीडेन्ट का सबसे बढ़िया स्रोत है। डार्क चॉकलेट उच्च रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है। डार्क चॉकलेट के पोटेशियम और कॉपर स्ट्रोक हृदय सम्बन्धी रोगों को रोकने में सहायक हैं। चॉकलेट में आयरन होता है। चॉकलेट में उपस्थित मैग्नीशियम टाइप-2 मधुमेह, उच्च रक्त चाप और हृदय रोगों से बचाता है। शोध दर्शाते हैं कि डार्क चॉकलेट को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हफ्ते में दो या तीन बार खाने से रक्तचाप को कम करने में सहायता मिलती है। डार्क चॉकलेट खाने से ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है।

पॉपकॉर्न: पॉपकॉर्न यदि सही तरीके से पकाया गया हो तो वह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पॉपकॉर्न पर लहसुन और कालीमिर्च पाउडर डालकर खाने से दिल मजबूत होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रान्टन (अमेरिका) के शोधकर्ताओं ने शोध में दावा किया कि पॉपकॉर्न में मौजूद फाइबर और पालीफिनाइल बुजुर्गों में कैंसर और हृदय संबंधी रोगों के खतरों को कम करते हैं। शोध में सामने आया कि पॉपकॉर्न में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं। पॉपकॉर्न में जौ, ज्वार और बाजरा के समान ही पोषक तत्व होते हैं। पॉपकॉर्न विटामिन और खनिज पदार्थों के भी स्रोत हैं। पापकार्न लो कैलोरी फूड हैं, जिससे वजन कम कम होता है। पॉपकॉर्न को कैंसररोधी भी माना जाता है। इसे खाने से कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव किया जा सकता है।

केचअप: टॅमैटो केचअप न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत फायदेमंद होता है। टॅमैटो केचअप में टमाटर की मात्रा अधिक होती है। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, जो कई बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा टमाटर में विटामिन-ए यानी रेटिनॉइड और बीटा केरोटिन भी पाया जाता है। यह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाता है। लाइकोपीन एक सशक्त एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को नुकसान देने वाले फ्री-रेडिकल्स को समाप्त करता है। टोमैटो सॉस खाने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम होता है। इसके अलावा केचअप खाने से कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित होता है।

भारत में फास्ट फूड का बाजार

भारत में फास्ट फूड का बाजार 2020 तक 27.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। भारत में फास्ट फूड बाजार का लगभग 10% संगठित है। शाकाहारी फास्ट फूड भारत में पूरे फास्ट फूड बाजार का लगभग 45% है। 2020 तक 18% की सीएजीआर (सीएजीआर एक विशिष्ट समय अवधि में निवेश की औसत वार्षिक वृद्धि को संदर्भित करता है) से बढ़ने की उम्मीद है।

चुनौतियाँ

- यूनिसेफ के अनुसार भारत में 80% से अधिक किशोर छिपी हुई भूख से पीड़ित हैं, जो एक प्रकार का कुपोषण है। साथ ही 10 प्रतिशत से कम लड़के और लड़कियां रोजाना फलों और अंडों का सेवन करते हैं। छिपी हुई भूख का तात्पर्य एक या एक से अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे आयरन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन डी आदि की कमी है।
- यूनिसेफ की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में लगभग सभी किशोर किसी न किसी रूप में अस्वस्थ या खराब आहार का सेवन कर रहे हैं जिससे कुपोषण जैसी समस्याएँ बढती जा रही हैं।
- हमारे आहार में जंक फूड का दायरा इतना बढ़ चुका है कि भारत में 25 प्रतिशत से अधिक किशोर सप्ताह में एक बार भी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं।
- बढ़ती आय और भोजन पर बढ़ते खर्च ने तले हुए खाद्य पदार्थों, जंक फूड्स, मिठाइयों और ठंडा पेय के अधिक सेवन को बढ़ाया है। आज लगभग हर भारतीय राज्य में 10 से 19 साल के बच्चों को मधुमेह और हृदय रोग का खतरा बढ़ रहा है।
- यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में रक्त की कमी देखी जाती है। 18 प्रतिशत लड़कों की तुलना में 40 प्रतिशत किशोर लड़कियों को एनीमिया (खून की कमी) प्रभावित करता है और उम्र बढ़ने के साथ-साथ यह और बिगड़ता जाता है।
- सरकार ने 2013 में फास्ट फूड कंपनियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाने के लिए एफएसएसएआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी लेकिन अब तक कोई ठोस कानूनी पहल नहीं हुई है।
- नमक, वसा और शर्करा सहित अन्य तत्वों की मात्रा के निर्धारित मानकों का पालन करने से स्वाद पर असर पड़ता है, और कंपनियां स्वाद के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार दुनिया की इन नामी कंपनियों के दबाव में कानून बनाकर एफएसएसएआई के मानकों का पालन करने के लिये (उन्हें) मजबूर करने से बच रही हैं।

- एफएसएसएआई ने फास्ट फूड कंपनियों को इन उत्पादों में इस्तेमाल किये गये खाद्य पदार्थों की मात्रा पैकेट पर दर्शाने के लिए इस साल जुलाई में दिशानिर्देश तैयार किये थे, लेकिन सरकार ने इन्हें अब तक अधिसूचित कर लागू नहीं किया है।
- सरकार ने कहा था कि कार्टून चैनलों पर जंक फूड या कोक जैसे पेय पदार्थों के विज्ञापन न दिखाएं जाएँ, फिर भी सरकार ने अन्य चैनलों पर इन दोनों विज्ञापनों पर पाबंदी लगाने को लेकर अभी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है।
- दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 में एफएसएसएआई को स्कूलों और उनके आसपास अधिक फैट, सॉल्ट और शुगर वाले फूड आइटमों की बिक्री को रोकने की गाइडलाइंस को लागू करने का निर्देश दिया था किन्तु उस पर अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।

सरकारी प्रयास

- हालाँकि देश में संतुलित आहार से वंचित आबादी की प्रतिशतता संबंधी कोई विशेष डेटा नहीं है। फिर भी कमजोर वर्गों जैसे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, किशोरों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को संतुलित आहार प्रदान करने के लिए, सरकार ने अंब्रेला आईसीडीएस योजना की आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत पूरक पोषण के प्रावधान किए हैं। सरकार पौष्टिक और संतुलित आहार के उपभोग के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मासिक ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस आयोजित कर रही है।
- भ्रामक विज्ञापनों के प्रसारण के संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 11 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है और अब केंद्र सरकार उस पर अमल कर रही है।
- सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कार्टून चैनलों पर जंक फूड या कोक जैसे पेय पदार्थों के विज्ञापन न दिखाएं जाएँ। स्कूल के स्पोर्ट्स इवेंट या अन्य कार्यक्रमों में कंपनियों की ओर से जंक फूड के विज्ञापन और इनके फ्री सैंपल बांटने पर भी रोक लगाई गयी है। स्कूलों में अब इवेंट के लिए फूड बिजनेस ऑपरेटरों से स्पॉन्सरशिप नहीं मिल सकेगी। सरकार ने स्कूल कैफेटेरिया और डे केयर सेंटरों के लिए मेन्यू को चुनने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने 'खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार) विनियम, 2019' बनाया है। इसे स्कूली बच्चों में जंक फूड की खपत को कम करने के लिए बनाया गया है।
- यूनिसेफ ने सुझाव दिया है कि सबसे पहले स्कूल परिसर के आस पास दुकानों में बिकने वाले जंक फूड स्टोर में कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जहां किशोर बच्चे (स्कूल में) अपना अधिकांश समय बिताते हैं।

आगे की राह

जनस्वास्थ्य पर कंपनियों का हित भारी नहीं पड़े, इसके लिये फास्ट फूड उत्पादों में नमक, शर्करा और वसा का निर्धारित मात्रा से अधिक इस्तेमाल होने पर तंबाकू उत्पादों की तर्ज पर स्पष्ट चेतावनी (रेड वार्निंग) पैकेट पर दर्ज करने को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

एक शोध में ये सामने आया है कि खाने की आदत पर विज्ञापन का असर होता है। खासकर बच्चों पर विज्ञापन का ज्यादा असर होता है। लिहाजा ब्रिटेन, ताइवान और नॉर्वे में बच्चों को जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर नियंत्रण है। क्यूबा और कनाडा में बच्चों को टार्गेट करने वाले विज्ञापन पर रोक है। चिली में भी बच्चों को टार्गेट करने वाले ऐड पर रोक है। फ्रांस में विज्ञापन में सेहतमंद खान-पान का संदेश जरूरी है, जबकि आयरलैंड में यदि 50 फीसदी दर्शक बच्चे हों तो उस कार्यक्रम में जंक फूड का विज्ञापन नहीं चलाया जा सकता है। इसी प्रकार के कदम भारत में उठाने की आवश्यकता है।

आरडीए के मुताबिक, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन नमक 5 ग्राम, वसा 60 ग्राम, ट्रांस फैट 2.2 ग्राम और 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तय की गई है। यह गणना एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रोजाना 2,000 कैलोरी की जरूरत के हिसाब से स्वीकार की गई है। एक दिन में तीन बार आहार (मील) और दो बार स्नैक्स के लिहाज से भी विचार किया गया है। हमारे मील टाइम में इन न्यूट्रिएंट्स का उपभोग आरडीए का 25 फीसदी नहीं होना चाहिए। वहीं, दिन में दो मुख्य स्नैक्स का उपभोग आरडीए का 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि अभिभावक के साथ-साथ शिक्षक बच्चों को जंक फूड के नुकसान से अवगत कराएँ तथा उन्हे पौष्टिक भोजन करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही सरकार को प्रयास करना चाहिए कि ऐसी ठोस नीतिगत पहल करे जिससे भ्रामक सूचना देने वालों पर ठोस कार्रवाई हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

2. भारत में प्रदर्शन, हिंसा और कानून : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में संसद द्वारा नए कानून बनाने के साथ ही साथ कई पुराने कानूनों में संशोधन किए गए, उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का निरसन और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 आदि। इन कानूनों के विरोध ने देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। यह सर्वविदित है कि हिंसक विरोध प्रदर्शन एक अच्छे समाज का आइना पेश नही करते हैं। यह प्रदर्शन संवैधानिक दायरे में नहीं आते बल्कि यह अपराध के श्रेणी में आते हैं, जिसमें आगजनी से लेकर लूटपाट, पथराव और सार्वजनिक संपति को नुकसान पहुँचाया जाता है।

धरना-प्रदर्शन और संवैधानिक अधिकार

भारतीय संविधान में देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने कि अनुमति दी गई है। यह हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकार का जिक्र है एवं इसी मौलिक अधिकार के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार मिला हुआ है। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े कुछ अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार के तहत आते हैं। इसके अनुच्छेद 19(1) में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए

हैं। इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एक जगह इकट्ठा होने की आजादी, सम्मेलन की, संगम या संघ बनाने की आजादी, देश में कही भी स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता के साथ ही कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। हालांकि ये सारे अधिकार असीमित या सार्वभौमिक नहीं हैं। अनुच्छेद 19(2), (3), (4), (5) और (6) के तहत इन अधिकारों पर तर्कसंगत सीमाएं भी लगाने की व्यवस्था की गई है।

गौरतलब है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखने तथा लोक व्यवस्था और सदाचार बनाये रखने समेत कुछ अन्य आधारों पर अनुच्छेद 19 के तहत मिले मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(1)(ख) के मुताबिक देश के सभी नागरिकों को इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताने का अधिकार है। हालांकि विरोध जताने के दौरान प्रर्दशनकारियों के हाथों में कोई हथियार नहीं होना चाहिए। विदित हो कि अनुच्छेद 19(1)(3) में कानून व्यवस्था बनाए रखने के तहत इस अधिकार पर राज्य को पाबंदी लगाने का भी अधिकार दिया गया है। कानून व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शन करने के लिए अनुमति लेने कि प्रक्रिया में भी विविधता है। ऐसे में धरना प्रदर्शन के लिए यह बेहद ही जरूरी है कि पहले स्थानीय नियम कायदे कानूनों की जानकारी ली जाये।

किसी भी प्रदर्शन के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस की अनुमति लेना बेहद जरूरी होता है। अगर पुलिस को लगता है कि रैली या प्रदर्शन से अशांति पैदा होगी या कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है तो पुलिस प्रदर्शन कि इजाजत देने से इंकार कर सकती है। उल्लेखनीय है कि प्रदर्शन के लिए अनुमति से जुड़े प्रस्तावों पर सभी जानकारियों का जिक्र करना जरूरी होता है। इनमें विरोध प्रदर्शन का कारण, तारीख, अवधि, भाग लेने वाले अपेक्षित लोगों की संख्या और विरोध प्रदर्शन का मार्ग आदि शामिल होता है। इसके साथ प्रदर्शन आयोजित करने वाले लोग, संस्था या समूह का नाम, पता और फोन नंबर समेत सभी जानकरियाँ भी दर्ज करानी होती है।

आपराधिक प्रक्रिया की धारा 144

जब भी देश में या किसी जगह पर विरोध प्रदर्शन या अन्य कारणों से हिंसा भड़क उठती है और उससे जान माल की हानि होती है या होने की आशंका होती है तो प्रशासन द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लगा दी जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि शांति बनी रहे और कानून व्यवस्था न बिगड़े। साथ ही किसी भी तरह से जान माल और संपति की हानि न हो। आम लोगों से यह उम्मीद भी की जाती है कि जब भी प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगाई जाए तो कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जनता उसका पालन करे।

उल्लेखनीय है कि आपातकालीन स्थिति होने पर 144 को लागू करने के आदेश कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसके बाद उस तनावपूर्ण इलाके में ये धारा लागू कर दी जाती है।

धारा 144 के प्रावधान

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के लागू होने के बाद, उस इलाके या क्षेत्र में 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और उस क्षेत्र में हथियारों के लाने अथवा ले जाने पर भी रोक लग जाती है।
- बाहर घूमने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है और यातायात को भी कुछ अवधि के लिए रोक दिया जाता है।
- अगर कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही पुलिस या सुरक्षा बलों को उनके कर्तव्य निर्वहन से रोकने पर भी सजा का प्रावधान है।
- विदित हो कि धारा 144 केवल दो महीने की अवधि के लिए वैध हो सकता है। हालांकि राज्य सरकार इसे अधिकतम 6 महीने तक बढ़ा सकती है। स्थिति सामान्य होने पर इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।
- धारा 144 लागू होने के बाद क्षेत्र विशेष में इसका पालन करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। इस दौरान सारे कानूनी अधिकार इलाके के मजिस्ट्रेट को दे दिये जाते हैं ताकि शांति व्यवस्था को फिर से बहाल किया जा सके।

प्रदर्शन पर सर्वोच्च न्यायालय का नजरिया

सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि विरोध जाहिर करने के नागरिकों के मौलिक अधिकार और कानून व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। नागरिकों को अपने संवैधानिक अधिकारों का उपायोग करते हुए अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होना चाहिए। इस संदर्भ में 23 जुलाई 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने जंतर-मंतर पर धरना और प्रदर्शन की इजाजत देते हुए प्राधिकरण (अथॉरिटी) से कहा कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि धरना और प्रदर्शन के दौरान वहाँ रहने वाले आम नागरिकों को परेशानी न हो और उनके अधिकार प्रभावित न हों। अदालत ने तब कहा था कि कानूनी तरीके से विरोध करना लोकतंत्र की विशिष्ट पहचान है। धरना और प्रदर्शन का अधिकार मौलिक अधिकार है लेकिन साथ ही इसमें सरकार वाजिब रोक भी लगा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि सवाल यह नहीं है कि प्रदर्शन न्यायसंगत है या नहीं, बुनियादी सवाल ये है कि प्रभावित लोग अपने अधिकारों के लिए लोकतंत्र में आवाज उठा सकते हैं या नहीं?

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी और सार्वजनिक संपति को लेकर गाइडलाइन्स भी जारी की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने गाइडलाइन्स में सार्वजनिक संपति नुकसान होने की स्थिति में सारी जिम्मेदारी नुकसान के आरोपी पर डाली है। गाइडलाइन्स के मुताबिक अगर सार्वजनिक संपति का नुकसान होता है तो कोर्ट यह मानकर चलती है कि नुकसान के लिए आरोपी जिम्मेदार है और आरोपी को खुद को निर्दोश साबित करना होता है। निर्दोष साबित होने तक कोर्ट उसे जिम्मेदार मानकर चलती है। इस संदर्भ में नरीमन कमेटी ने कहा था कि ऐसे मामलों में दंगाइयों से सार्वजनिक संपति के नुकसान की वसूली की जाए।

हिंसक विरोध प्रदर्शन के प्रभाव

हिंसक विरोध प्रदर्शन के कई नकारात्मक प्रभाव पूरी व्यवस्था पर पड़ता है जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है-

- इससे जनता की संपति को नुकसान पहुँचता

है। नतीजतन हिंसा करने वाले व्यक्तियों का अपना ही भविष्य बर्बाद होता है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है।
- यह आर्थिक विकास एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में बाधक होता है।
- इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन से जान-माल एवं राष्ट्रीय व व्यक्तिगत संपति की हानि होती है।
- हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चले विरोध प्रदर्शन के हिंसात्मक रूप के चलते देशभर में 25 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 18 लोगों की मौत अकेले उत्तर प्रदेश में हुई, वहीं असम में पाँच लोगों की और मंगलुरू में दो लोगों की मौत हुई।
- दरअसल इस प्रकार के हिंसात्मक प्रदर्शन के चलते जहाँ अर्थव्यवस्था की गति अवरूद्ध होती है, वहीं वैश्वीकरण को गति प्रदान करने वाली इंटरनेट प्रणाली पर भी पाबंदी लगा दी जाती है जिसे इंटरनेट शटडाउन के नाम से जाना जाता है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में दुनिया भर में हुए कुल इंटरनेट शटडाउन में से लगभग 67 प्रतिशत मामले भारत में दर्ज किये गए। आँकड़ों से स्पष्ट है कि भारत दुनिया भर में इंटरनेट शटडाउन की राजधानी बन गया है। वहीं वर्ष 2014 में देश भर में इंटरनेट शटडाउन की संख्या मात्र 6 थी जो वर्ष 2015 में बढ़कर 14 हो गई। वर्ष 2016 और 2017 में इंटरनेट शटडाउन की संख्या क्रमशः 31 और 79 हुई जो वर्ष 2018 में बढ़कर 134 हो गई।
- गौरतलब है कि इंटरनेट शटडाउन के कारण विभिन्न देशों को हुए नुकसान का आकलन लगाने के उद्देश्य से ब्रुकिंग्स इंस्ट्टीयूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को वर्ष 2016 में इंटरनेट शटडाउन के कारण तकरीबन 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। विदित हो कि ऑनलाइन बिजनेस मॉडल अपनाने वाले व्यवसायों को कुछ घंटों के शटडाउन के कारण ही काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है।
- इसके अतिरिक्त इंटरनेट शटडाउन के चलते विद्यार्थियों पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। दरअसल आज इंटरनेट सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विट्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह ज्ञान का भंडार भी है जहाँ लगभग सभी विषयों से संबंधित भरपूर सामग्री उपलब्ध रहती है।
- हिंसात्मक प्रदर्शन से न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है बल्कि राजनीतिक उथल-पुथल भी होती है जिससे सरकारों के प्रति जनता का विश्वास भी डगमगाने लगता है। इससे अन्य विरोधी तत्वों को भी सरकार पर दुष्प्रचार करने का मौका मिलता है। ऐसे में सरकार को उन हालातों से निपटने के लिए अनावश्यक व्यय करना पड़ता है।
- इसके अतिरिक्त हिंसात्मक प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों एवं विचलित व्यवहारों में वृद्धि होती है। ऐसे में संदिग्ध (अराजक) लोगों को लूटपाट करने, हिंसा व आगजनी का मौका मिल जाता है और इससे स्थाई रूप से समाज के विकास मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है।

आगे की राह

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन शांति से, बिना हिंसा का सहारा लिए। इसलिए नीति निर्माताओं ने इन प्रावधानों को शामिल किया और उन अपराधों को परिभाषित किया जो सार्वजनिक शांति के खिलाफ हैं। बावजूद इसके गत् समय में देखा गया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसात्मक घटना हो जाना आम बात सी हो गई है। ऐसे में यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है जिससे ऐसी हिंसा पर रोक लगाई जा सके-

- देश में एक दंगा नियंत्रण योजना पहले से मौजूद है। इसके प्रभावी इस्तेमाल से हिंसक भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। बस जरूरत है कि सभी पुलिस कर्मी उसके बारे में जानकारी रखें। इसके लिए पुलिसकर्मियों को समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- आजकल सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म फेक न्यूज फैलाने के बड़े माध्यम बन गए हैं। इस पर किस तरह से नियंत्रण किया जाए, इसके बारे में गहन चिंतन की आवश्यकता है।
- बीते वर्षों में पुलिस सुधार के बारे में हमने बहुत चर्चा की है, लेकिन यही कहा जा सकता है कि चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं।
- गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय की 2006 की व्यवस्था के उपरांत किसी भी राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई गई। पुलिस सुधार लागू करने के साथ ही इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर ही की जाए।
- वर्तमान समय में भी पुलिस के पास ऐसे कुछ उपाय हैं जिसका इस्तेमाल कर वह हालात काबू में कर सकती है, जैसे पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 15 और धारा 15ए काफी प्रभावी हैं। धारा 15 के तहत हिंसक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की जाती है। वहीं धारा 15ए के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में पुलिस बल की नियुक्ति पर जो खर्च आता है उसकी पूरी भरपाई उपद्रवियों के सम्पत्ति से की जाती है।
- अगर हिंसा और आगजनी से सार्वजनिक संपत्ति की हानि हुई हो तो यह प्रावधान कहता है कि अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनसे जुर्माना वसूला जाना चाहिए ताकि क्षति की भरपाई की जा सके।
- हिंसा और दंगे के दौरान पुलिस के नेतृत्व का बड़ा महत्व है। जहाँ पुलिस अधिकारी खुद मौके पर जाते हैं वहाँ कमोबेश स्थिति नियंत्रण में आ जाती है।
- तनावपूर्ण भरे माहौल में कम्युनिटी पुलिसिंग और शांति समितियों के माध्यम से जनता को विश्वास में लेने से भी फायदा हो सकता है।
- हिंसक घटनाओं के दौर में पुराने क्रियाशील दंगाइयों की पहचान कर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने के बारे में भी विचार करना चाहिए। ऐसे लोग गिने चुने ही होते हैं। इन पर प्रभावी कार्रवाई हो जाए तो हिंसा की घटनाओं को कम किया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।
- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

■

3. भारत–मलेशिया संबंध : बेहतर तालमेल की जरूरत

चर्चा का कारण

हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि "भारत जो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करता है, आज मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीन रहा है। अगर मलेशिया नागरिकता कानून अपने यहाँ लागू करे तो पता नहीं क्या होगा।" गौरतलब है कि इससे पहले भी मलेशिया के प्रधानमन्त्री जम्मू कश्मीर के सम्बन्ध में टिप्पणी कर चुके हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की टिप्पणी पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया और मलेशियाई नेतृत्व से आह्वान किया कि उसे भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, विशेष रूप से उन मामलों पर जिनके बारे में उसे तथ्यों की सही समझ नहीं हो।

परिचय

मलेशिया भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट नीति' के केंद्र में है। भारत की मलेशिया से 2010 से रणनीतिक साझेदारी है। राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक स्तंभों पर मलेशिया और भारत का आपस में सहयोग काफी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि मलेशिया आशियान समूह का कए अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य है और आसियान दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशो का एक समूह है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार और इस दस सदस्यों के समूह में भारत छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके अलावा मलेशिया में भारतीय मूल के करीब 24 लाख लोग हैं जो देश की कुल जनसंख्या का आठ प्रतिशत हैं।

विदित हो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर, मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री दत्तो श्री मोहम्मद नजीब तुन अब्दुल रजाक ने अप्रैल 2017 में भारत की यात्रा की थी। दोनों देशों ने बहुसंस्कृतिवाद, लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित किया था। दोनों देशों ने सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्रों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में मजबूत सहयोग का स्वागत भी किया था। साथ ही पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने पर दोनों देश सहमत हुए थे।

इतिहास पर नजर डालें तो पायेंगे कि 1962 के भारत-चीन युद्ध में मलेशिया अकेला ऐसा दक्षिण-पूर्वी देश था जिसने न सिर्फ खुलकर भारत का साथ दिया था बल्कि भारत को युद्ध में सहायता के लिए एक आर्थिक कोष की भी स्थापना की थी, वहीं भारत ने भी 1965 में इंडोनेशिया-मलेशिया विवाद में मलेशिया का साथ दिया था। इसके चलते भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में खासी गिरावट आ गई थी। शीतयुद्ध के दौरान दोनों ही देश निर्गुट देशों के दल के साथ रहे और इन्होने पारस्परिक संबंधों को मजबूत बनाए रखा। एक मुस्लिम बहुल देश होने और पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद मलेशिया और भारत के संबंध मधुर बने रहे। भारत सरकार के 1992 में लुक ईस्ट नीति के अनावरण ने संबंधों को नए आयाम दिए। विगत वर्षों में भारत और मलेशिया ने द्विपक्षीय सहयोग के कई समझौतों को अंजाम दिया जिनमें मलेशिया-इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एग्रीमेंट (2011) और इनहेंस्ड स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप (2016) प्रमुख हैं।

संबंधो में खटास की शुरूआत

हालिया समय में ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों देशों के बीच निकटता में कमी आई है, दरअसल जानकार मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर बयान देकर मलेशिया ने पाकिस्तान से बढ़ती करीबी और भारत से संबंधों पर पड़ते इसके असर को उजागर कर दिया है। महातिर ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में अप्रत्याशित रूप से कश्मीर मुद्दे को उठाते हुए कहा कि 'भारत ने कश्मीर पर आक्रमण कर उसे (कश्मीर को) कब्जे में कर रखा है, जो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।' तुर्की और पाकिस्तान ने भी इसी तरह के वक्तव्य दिए जिसके लिए शायद भारत तैयार भी था। किंतु मलेशियाई प्रधानमंत्री का वक्तव्य भारत को नागवार गुजरा विशेषकर ये देखते हुए कि दोनों ही देशों का एक-दूसरे के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

मुस्लिम कट्टरपंथी और भारत में टेरर फाइनेंस के आरोपी जाकिर नाइक के मलेशिया भाग जाने और भारत सरकार की तमाम कोशिशों और दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद मलेशियाई सरकार का उसे भारत नहीं भेजने के निर्णय ने राजनयिक स्तर पर पिछले कुछ वर्षो से एक तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। 2018 में महातिर मोहम्मद के सत्ता पर काबिज होने के बाद से भारत के लिए परिस्थितियां खासतौर पर कठिन हुई हैं। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुग्रह के बावजूद महातिर ने जाकिर नाइक को यह कहकर भारत भेजने से मना कर दिया था कि वहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता है। गौरतलब है कि 2011 में दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि और 2012 में अपराधी मामलों में एक-दूसरे की कानूनी सहायता संबंधी समझौता होने के बावजूद जाकिर नाइक का प्रत्यर्पण संभव कराना भारतीय राजनयिकों के लिए अभी भी एक टेढ़ी खीर बना हुआ है।

जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ समय से मलेशिया के पीएम महातिर मोहम्मद और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की दोस्ती की खूब चर्चा है। पाँच अगस्त को जब भारत ने जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म करने की घोषणा की तो महातिर उन राष्ट्र प्रमुखों में शामिल थे जिन्हें इमरान खान ने फोन कर समर्थन मांगा और समर्थन मिला भी। जब कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में गया तब भी मलेशिया पाकिस्तान के साथ था। यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भी मलेशियाई प्रधानमंत्री ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत को घेरा।

पाम तेल और भारत

मलेशिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पाम ऑयल के करोबार पर निर्भर है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत में खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तेलों में पाम तेल का हिस्सा दो तिहाई है। भारत खाने के तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। भारत को खाने के तेल की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। देश में खपत होने वाले कुल खाने के तेल का लगभग 60-70 फीसदी तेल विदेशों से आयात होता है। भारत हर साल लगभग 90 लाख टन पाम तेल आयात करता है और यह मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया से आयातित होता है। वर्ष 2018-19 (नवंबर-अक्टूबर) के शुरूआती 11 महीने यानी नवंबर 2018 से सितंबर 2019 के दौरान देश में कुल 135.81 लाख टन खाने के

तेल का आयात हुआ है जिसमें 86.30 लाख टन पाम ऑयल है और 49.51 लाख टन सोयाबीन, सरसों और सूरजमुखी का तेल है।

इस बीच कश्मीर के मुद्दे पर भारत की नाराजगी के बाद मलेशिया भारत को नया प्रस्ताव दे रहा है। देश में तेल और तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (SEA) के मुताबिक मलेशिया ने भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि वह भारत से अधिक मात्रा में चीनी और भैंस का मांस खरीदेगा। हालांकि भारत सरकार ने मलेशिया के इस प्रस्ताव पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं भारतीय व्यापारियों ने देश के खाने के तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए मलेशिया की जगह इंडोनेशिया से पाम ऑयल की खरीद बढ़ा दी है।

भारत और मलेशिया के बीच सहयोग के क्षेत्र

- मलेशिया उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा दस्तानों का दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माता और निर्यातक देश है, जिसका आयत भारत काफी मात्रा में करता है। मलेशिया ने 2018 में भारत को 8.08 करोड़ डॉलर का रबर निर्यात किया था।
- भारत मलेशिया के पाम ऑयल का सबसे बड़ा खरीददार देश है। भारत और मलेशिया के बीच कुल 17.2 बिलियन डॉलर का व्यापार है जिसमें से भारत 10.8 बिलियन डॉलर का आयात करता है।
- हाल के वर्षों में मलेशियाई कंपनियों और निवेशकों द्वारा भारत में कई परियोजनाओं, विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे और निर्माण क्षेत्रों में निवेश किया गया है। साथ ही निवेश के नए क्षेत्रों का पता भी लगाया गया है।
- मलेशियाई कंपनियां भारत के विभिन्न राज्यों में कई बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं में काम कर रही हैं। भारतीय कंपनियों ने भी बड़े पैमाने पर मलेशिया की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है।
- रॉयल मलेशियाई वायु सेना (आरएमएएफ) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) प्रशिक्षण, रखरखाव, तकनीकी सहायता और सुरक्षा संबंधी मुद्दों में सहयोग के लिए विमान सुरक्षा और रखरखाव मंच की स्थापना के संदर्भ में काम कर रहे हैं।
- दोनों देश आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मलेशियाई और भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान, विकास और तकनीकी जानकारी और दस्तावेजों के पारस्परिक आदान-प्रदान में सहयोग कर रहे हैं।
- मलेशिया में भारतीय मूल के समुदाय के योगदान का उत्सव मनाने के लिए कुआलालंपुर में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद्र' के रूप में नामित किया गया है।
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, भारत और मलेशिया के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन करके भारतीय शास्त्रीय संगीत और भारतीय नृत्य जैसे कि कत्थक और मणिपुरी के लिए भारतीय गुरु-पेशेवरों और प्रशिक्षकों को नियुक्त करके द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है।
- इसके अलावा, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल के नियम व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आदान-प्रदान के माध्यम से खेल के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद तथा मलेशियन ह्यूमन रिसोर्स फंड के बीच एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक, ईडीआईआई प्रशिक्षण तथा अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को अंजाम देगा।
- पॉम ऑयल के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास में सहयोग को लेकर मलेशियन पॉम ऑयल बोर्ड तथा भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के बीच एक समझौता हुआ है।
- मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज और कौशल विकास जैसे भारत द्वारा उठाए गए नये विकास और व्यापारिक पहलों में मलेशियाई व्यापारियों के लिए निवेश के महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराये गए हैं। भारत ने मलेशियाई निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया है और दोनों देशों के आपसी लाभ के लिए भारत ने मलेशियाई निवेशकों को आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।
- आयुर्वेद एवं भारतीय परम्परा की अन्य पारम्परिक चिकित्साओं में दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत को स्वीकार करते हुए मलेशिया ने भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत भारत से एक आयुर्वेद के चिकित्सक और दो थेरेपिस्ट की प्रतिनियुक्ति की है।
- टिकाऊ ऊर्जा विकास, भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा अर्जित करने की दिशा में एक प्रमुख तत्व रहा है और भारत तथा मलेशिया दोनों ही देश बेहतर ऊर्जा सुविधाओं के साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों ने जल्द से जल्द नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन पर सहमति जताई है।
- संसदीय लोकतंत्र और दोनों देशों के संसदों के बीच सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए दोनों देशो ने प्रतिबद्धता दोहराई है तथा भारत और मलेशिया के सांसदों का एक दूसरे के देश में नियमित आने-जाने को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित भी किया गया है।

आसियान देशों से भारत का संबंध

दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत का संबंध 2000 वर्ष से भी पुराना है। भारत के कंबोडिया, मलेशिया एवं थाइलैंड जैसे देशों के बीच प्राचीन व्यापार का पूरा दस्तावेज मौजूद है। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की संस्कृतियों, परंपराओं एवं भाषाओं पर इन प्रारंभिक संपर्कों का पूरा प्रभाव पड़ा है। कंबोडिया में सीएमरीप के निकट अंगकोर मंदिर परिसर, इंडोनेशिया में योग्याकार्ता के निकट बोरोबुदूर एवं प्रमबन मंदिर एवं मलेशिया में केडाह में प्राचीन कैंडिस जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर भारतीय हिन्दू - बौद्ध प्रभाव दिखते हैं। रामायण इंडोनेशिया, म्यामॉर, थाइलैंड सहित दक्षिण-पूर्व एशिया की कई संस्कृतियों से जुड़ा है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति एवं आसियान के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए 3-सी (कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कल्चर) हमारे व्यापक सहयोग के ज्वलंत उदाहरण हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मोर्चे पर, आसियान-भारत छात्र विनिमय कार्यक्रम एवं वार्षिक दिल्ली संवाद जैसे कार्यक्रम लोगों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत बनाते हैं। इन मंचों के जरिए आसियान देशों व भारत के युवा, शिक्षाविद एवं उद्योगपति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं तथा रिश्तों को प्रगाढ़ बनाते हैं। भारत हिंद महासागर से लेकर प्रशात महासागर तक बड़े समुद्री लेनों के साथ रणनीतिक

रूप से अवस्थित है। ये समुद्री लेन आसियान के कई सदस्य देशों के लिए महत्वपूर्ण व्यापार रास्ते भी हैं।

आगे की राह

आसियान और भारत आपसी व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस व्यापार और निवेश में मलेशिया अहम सहयोगी हो सकता है। जानकारों का मानना है कि भारत को मलेशिया के साथ व्यापार युद्ध में पड़ जाने के नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। दरअसल, मलेशिया उसी आसियान संगठन का हिस्सा है जिससे भारत ने 2009-10 के दौरान ही मुक्त व्यापार संधि पर सहमति जताई थी। अब भारत के सामने मुश्किल ये है कि अगर वह मलेशिया को कूटनीतिक सबक सिखाता है तो आसियान के अन्य देशों को भारत के प्रतिबद्धता पर संदेह होने लगेगा। ऐसे में भारत को यह कोशिश करनी होगी कि मलेशिया को पाठ पढ़ाने के क्रम में उसे कोई राजनायिक नुकसान न हो। इसके अलावा भारत-मलेशिया संबंधों में जो दरार बढ़ी है उसे पाटने के लिए दोनों ही देशों को व्यापक और बड़े कदम उठाने होंगे।

गौरतलब है कि भारत के साथ विस्तृत सामरिक भागीदारी स्थापित करने में मलेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि वह ऐसे नीतिगत एवं ठोस कदम उठाये जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में मधुरता बढ़े। साथ ही देश की स्थिरता, शांति एवं आर्थिक समृद्धि के समक्ष खतरा पैदा करने वाले कारकों से निपटने के लिए दोनों देशों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक संवृद्धि, नेविगेशन की स्वतंत्रता और स्थिरता को बढ़ावा देने में मलेशिया की भूमिका भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
- विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव, भारतीय डायसपोरा।

■

4. मदरसों में सुधार की आवश्यकता का मूल्यांकन

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रकाशित जियाउस्सलाम और डॉ. एम असलम परवेज की किताब 'मदरसाज इन द एज ऑफ इस्लामोफोबिया' (Madrasas in the Age of Islamophobia) बताती है कि भारत में इस्लाम का पालन-पोषण करने वाले शिक्षण स्थल रहे मदरसे कैसे इन दिनों विभिन्न चुनौतियों से घिरे हैं। इसलिए उनमें सुधार के साथ उनका आधुनिकीकरण करने की भी जरूरत है।

परिचय

भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुनृजातीय, बहुधार्मिक और बहुभाषी राष्ट्र है जहाँ विविधता ही इसकी शक्ति है। भारत के संविधान में धार्मिक और भाषायी, दोनों अल्पसंख्यकों हेतु कुछ प्रावधान दिये गये हैं। वर्तमान में भारत सरकार ने 6 धार्मिक समूहों को अल्पसंख्यक समूह के रूप में अधिसूचित किया है, जिसमे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जौरास्ट्रियन (पारसी) और जैन शामिल हैं।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों की प्रगति तथा समग्र विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ऐसा ही एक प्रयास प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम है जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनाया गया है और यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं और प्रयासों को शामिल किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता रहा है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत कुल 15 प्रतिशत परिव्यय अल्संख्यक वाले जिलों (एमसीडी) के लिए लक्षित किया गया है, ताकि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (यूईई) का लक्ष्य पूरा किया जा सके, साथ ही विद्यालयों, कक्षाओं, शिक्षकों के लिए मूल संरचनात्मक अंतरालों को पाटा जा सके तथा नए विद्यालय खोलकर उपलब्धता का विस्तार किया जा सके। सरकार के विभिन्न प्रयास और योजनाएँ अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए उपलब्धता और समानता में सुधार करते हुए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन देने की योजनाओं के साथ-साथ कई कल्याणकारी उपाय: जैसे- अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी), नई रोशनी आदि अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को उपलब्ध कराए गए हैं। कुछ विशिष्ट योजनाएँ संस्कृति, परंपरा, भाषा में विविधता और विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों में शैक्षणिक सशक्तीकरण पर बल देने के लिए जैसे मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीम (एसपीक्यूईएम) और जियो पारसी (जौरास्ट्रियन) योजनाओं को आरंभ किया गया है।

भारत में मदरसों की स्थिति एवं विश्लेषण

भारत में मदरसों की शुरूआत मध्यकाल के समय से ही हो गई थी और संभवत: सन् 1206 में दिल्ली में पहले मदरसे की स्थापना की गई थी। शुरूआत में मदरसों के शिक्षा का ढाँचा इस प्रकार का रखा गया था, जिससे शासन के विभिन्न पदों के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति मिल सके। उस दौरान मदरसों को राज्य का संरक्षण प्राप्त था और उनके पाठ्यक्रम में भूगोल, ज्योतिष, भौतिकशास्त्र, दर्शनशास्त्र इत्यादि विषय शामिल किये गये थे। मुगलकालीन भारत में लोक सेवा के लिए मदरसे से ही लोग निकलते थे। यहाँ के स्नातक प्रशासन के दो सबसे महत्वपूर्ण पदों "मुफ्ती" और "काजी" के लिए योग्य माने जाते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा मदरसों से राज्य के संरक्षण को हटा लिया गया और धार्मिक राजस्व को खत्म करके उसकी जगह नई व्यवस्था की स्थापना कर दी गई और इसके साथ ही मदरसों को राज्य द्वारा मिलने वाला संरक्षण भी बंद हो गया। आजादी के बाद मदरसों से निकले स्नातकों के सामाजिक स्थिति और नौकरी के अवसर और भी कम हो गये। मदरसे अपने विद्यार्थियों को उस तरह की शिक्षा नहीं देते हैं, जो कि भारतीय राजव्यवस्था और बाजार की जरुरतों से मेल खा सके, अत: उनके पास मदरसों में शिक्षक या मस्जिदों में इमामत का ही विकल्प होता है। हालांकि कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम

विश्वविद्यालय एवं जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा मदरसा स्नातकों को चुनिन्दा खास विषयों में उच्च शिक्षा में दाखिले का विकल्प भी दिया जाता है, जहाँ उन्हें स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी करने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहां तक पहुंचने वाले बच्चों का अनुपात बहुत कम है। नतीजे के तौर पर मदरसे और वहां से निकलने वाले स्नातक पीछे छूट गए दिखाई देते हैं और उनमें बंद मानसिकता और समाज की मुख्य धारा से अलगाव दिखाई देता है। इसके अलावा मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या को लेकर स्पष्टता नहीं है। कुछ वर्षों पूर्व प्रकाशित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कुल मुस्लिम बच्चों में से चार प्रतिशत ही मदरसों में जाते हैं जबकि कुछ अन्य अनुमानों के अनुसार यह संख्या इससे ज्यादा है। आँकड़े चाहे जो भी हो लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है कि मदरसों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे मुस्लिम समाज के सबसे गरीब तबकों से ही आते हैं। ध्यान रहे भारत के मुस्लिम समुदाय में वैसी एकरूपता नहीं है जिस तरह से इसे अमूमन पेश किया जाता है। मुसलमानों में लगभग 36 पिछड़ी जातियां हैं, वे कई भाषायें बोलते हैं, उनके पहनावे और खान-पान में भी काफी भिन्नता पाई जाती है। 1998 में तत्कालीन एन.डी.ए. सरकार द्वारा मदरसों के आधुनिकीकरण और उनकी डिग्रियों को मान्यता दिए जाने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा, उत्तीर्ण विद्यार्थी संवर्द्धन योजना (एसपीक्यूईएम) चलायी जा रही है, जिसका उद्देश्य मदरसों जैसी पारम्परिक संस्थाओं को वित्तीय मदद देकर उन्हें अपने पाठ्यक्रमों में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को अकादमिक दक्षता हासिल हो सके।

मोटे तौर पर देखा जाए तो देशभर में दो तरह के मदरसे हैं, पहले श्रेणी में दारुलउलूम आते हैं जो उच्च शिक्षा देते हैं जैसे देवबंद, नदवा आदि। इनका मूल उद्देश्य ही धार्मिक शिक्षा देना है, ये मदरसे आमतौर पर सरकारी सहायता स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरे श्रेणी में मदरसे या मकतब आते हैं, जो पांचवी से आठवीं तक की शिक्षा देते हैं, यह मदरसे सरकारी सहायता व अनुदान लेते हैं और आधुनिक विषय भी पढ़ाते हैं।

देश में विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों की साक्षरता दर

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, देश में साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत और अल्पसंख्यक समुदायों में: मुसलमानों में 68.5 प्रतिशत, ईसाइयों में 84.5 प्रतिशत, सिखों में 75.4 प्रतिशत, बौद्ध में 81.3 प्रतिशत और जैन में 94.9 प्रतिशत है। पारसी (जौरास्ट्रियन) की साक्षरता दर जनगणना 2011 में उपलब्ध नहीं है।

अल्पसंख्यकों का संवैधानिक अधिकार

सभी अल्पसंख्यकों को अपना स्वयं का शैक्षिक संस्थान स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार, अधिदेशित है। सरकार अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों, जो अल्पसंख्यकों का बड़ा घटक है, की शिक्षा में मौजूदा पिछड़ापन दूर करने के लिए वचनबद्ध है। अत: प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ, आर्थिक कार्यकलापों और नियोजन में अल्पसंख्यकों की सम्पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने का लक्ष्य है।

संविधान का अनुच्छेद 46 कहता है कि, राज्य विशेष सावधानी से व्यक्तियों के कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन करेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी तरह के सामाजिक दोहन से रक्षा करेगा। संविधान का अनुच्छेद 330, 332, 335, 338 से 342 और पूरी पांचवीं एवं छठी अनुसूची अनुच्छेद 46 में नियत उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रावधानों को लागू करता है। इन प्रावधानों को समाज में कमजोर वर्गों के लाभ के लिए पूरी तरह उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।

चुनौतियाँ

- भारतीय मदरसों की एक बहुत बड़ी समस्या वित्तीय व्यवस्था है। लगभग सारे मदरसे आमजन के सहयोग से चलते हैं। ज्यादातर मदरसे किसी रजिस्ट्रेशन के बगैर ही चल रहे हैं, यहाँ तक कि जिनके पास उचित दस्तावेज और अच्छा इतिहास है, वे भी दुविधा के शिकार नजर आते हैं।
- कई बार मदरसों के प्रबंधकों और शिक्षकों के बीच सरकारी पहलों को संदेह की नजर से देखा जाता है। उन्हें लगता है कि अगर सरकार मदरसों का आधुनिकीकरण करेगी, तो फिर मदरसे में दी जाने वाली इस्लामी तालीम पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में सरकार भी घोषणा के अलावा कुछ नहीं कर पाती और मदरसे भी इसके लिए आगे नहीं आते।
- यद्यपि मदरसों में अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा की शुरूआत तो 80 के ही दशक में हो गई थी। किन्तु अब भी मदरसों के आधुनिकीकरण में अपेक्षाकृत कामयाबी नहीं मिली है।
- मदरसे अपने दीनी तालीम देने के मकसद में तो कामयाब हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी चाहिए और नौकरी सिर्फ आधुनिक शिक्षा से मिलेगी। इस दिशा में मदरसे पीछे हैं।
- मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत सरकार पोस्ट ग्रैजुएट शिक्षकों को 12 हजार और ग्रैजुएट शिक्षकों को 6 हजार प्रतिमाह मानदेय देती है। मदरसा शिक्षकों का आरोप है कि पिछले 30 महीने से एसपीक्यूईएम योजना के तहत मिलने वाला मानदेय नहीं मिल रहा है।
- इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, और झारखंड समेत देश के 16 राज्यों के लगभग 50,000 से अधिक मदरसा शिक्षकों को पिछले ढाई सालों से केंद्र सरकार की तरफ से वेतन नहीं मिला है जिसके कारण बहुत से शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है।
- मदरसों में एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) के पाठ्यक्रम लागू तो कर दिए गए हैं, लेकिन इसकी किताबें उपलब्ध नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

सरकारी प्रयास

- सरकार अगले पाँच साल में पाँच करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देगी। इस स्कॉलरशिप में 50 फीसदी हिस्सा लड़कियों का होगा। सरकार के फैसले के मुतबिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए बेगम हजरत महल बालिका स्कॉलरशिप दी जाएगी।
- सरकार द्वारा देश भर के मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अब इन मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए मदरसों के शिक्षकों को अलग से ट्रेनिंग

दिलवाई जाएगी। सरकार ने फैसला किया है कि अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा के लिए 'पढ़ो और बढ़ो' जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस कड़ी में पहले चरण में देश के 60 अल्पसंख्यक बहुल जिलों को चयनित किया जाएगा।

- केंद्र सरकार की ओर से 2008-09 से ही मदरसों के लिए दो प्रमुख कार्यक्रम चल रहे हैं। पहला है- मदरसों में अच्छी शिक्षा देना (Scheme for Providing Quality Education in Madarsas-SPQEM) और दूसरा है प्राइवेट ऐडेड या नॉन-ऐडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के इन्फ्रास्ट्रक्टर का विकास करना (Scheme for Infrastructure Development in Private Aided/Unaided Minority Institutes)।
- गौरतलब है कि एसपीक्यूइएम के तहत उन मदरसों को आर्थिक मदद दी जाती है जिनमें आधुनिक विषय जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। सरकार द्वारा 2014-15 में मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए थे।
- औपचारिक पाठ्यक्रम के विषयों जैसे विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक अध्ययन आदि के अध्यापन में अध्यापकों को बढ़े हुए मानदेय दिया जाएगा। ऐसे अध्यापकों का हर दो वर्ष में नई शैक्षणिक प्रथाओं में प्रशिक्षण भी होगा।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक चरण के मदरसों में विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला और वार्षिक अनुरक्षण लागतों के लिए प्रावधान किया जा रहा है। प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों में विज्ञान/गणित किट का प्रावधान किया जा रहा है।
- पुस्तकालयों और पुस्तक की उपलब्धता को बढ़ावा देने के साथ-साथ सभी स्तर के मदरसों में अध्यापन ज्ञान सामग्री प्रदान करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।

आगे की राह

मदरसों की तालीम में सरकार की जिम्मेदारी और हस्तक्षेप जरूरी है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि मदरसों से निकले ज्यादातर ग्रैजुएट स्तर के विद्यार्थियों को कहीं ढंग का रोजगार नहीं मिलता, सिवाय इसके कि वे कोई नया मदरसा खोल लें या किसी मस्जिद में मुअज्जिन या इमाम (अजान देने और नमाज पढ़ाने वाले) हो जाएं। अगर शिक्षक, किताबें, इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करा दी जाएं तो मदरसे भी आधुनिक होकर मुख्यधारा में शामिल हो सकते हैं। मदरसों के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के साथ-साथ अगर सरकार वहाँ इग्नू और NIOS (Nation Institute of Open Schooling) जैसी संस्थाओं के सेंटर खोलकर आधुनिक शिक्षा से जोड़ती है तो निश्चित रूप से इनका विकास होगा।

एसपीक्यूइएम को बहुत ही गैर-पेशेवर तरीके से चलाया जा रहा है। इसके क्रियान्वयन के लिए प्रभावी तौर-तरीकों का अभाव है। साथ ही मदरसों को दिया जाने वाला अनुदान भी बहुत कम है, जिसका नतीजा यह होता है कि वहाँ की बुनियादी सुविधायें निम्नतर होती हैं। कम वेतन के कारण योग्य शिक्षक भी नहीं मिल पाते हैं। ठोस मानक के आभाव के फलस्वरूप कोई भी अनुदान के लिए मदरसा खोल सकता है। साथ ही यहाँ निगरानी और जवाबदेही का भी घोर अभाव है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि पहले इन रुकावटों को दूर किया जाए। कोई भी अगर मदरसा चलाना चाहता है तो उसके लिए बुनियादी मानक तय किये जाने चाहिए और यह सुनिश्चित हो कि कोई भी मदरसा एक छोटे से कमरे में कक्षा आठवीं तक की पढ़ाई ना करा सके। इसके अलावा निगरानी का एक प्रणाली बनायी जाए और उसका कड़ाई से पालन किया जाए। अनुदान राशि भी बढ़ाये जाने की जरूरत है, जिससे मदरसे अपने यहाँ बुनियादी सुवधाओं की कमी को पूरा कर सकें और उनके पास योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लायक बजट हो। दूसरी तरफ दारुलउलूम जैसे बड़े मदरसों को भी मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की जरूरत है। जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं जामिया जैसे विश्वविद्यालय मदरसा स्नातकों को अपने यहाँ पढ़ाई करने का मौका देते हैं उसी तरह से अन्य विश्वविद्यालयों में भी इसका विकल्प दिया जाना चाहिए।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि वह देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करें। साथ ही उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ाने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए ज्यादा ठोस और प्रभावी कार्यक्रम के साथ आगे आयें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

5. राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन : गाँव-गाँव तक इंटरनेट की पहुँच

चर्चा का कारण

हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड अभियान लॉन्च किया। इस मिशन के तहत सभी गावों को 2022 तक ब्रॉडबैण्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के तहत देश की 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिक-फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जायेगा। इस मिशन में 2024 तक टावर घनत्व को 0.42 प्रति 1000 से बढ़ाकर 1 टावर प्रति 1000 व्यक्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत मोबाइल और इंटरनेट की सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का भी लक्ष्य रखा गया है। देश में टावरों की संख्या में भी बढ़ोतरी करने की बात कही गई है।

राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन

राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन का उल्लेख पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में किया था। इस मिशन के तहत टावरों का 'फाइबराइजेशन' बढ़कर 70 प्रतिशत तक हो जायेगा, जो अभी 30 प्रतिशत है। इस मिशन के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और विकास के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ढाँचे को मजबूत किया जा सकेगा। इसमें यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) से 10 प्रतिशत फंड की व्यवस्था की जाएगी और शेष राशि उद्योग और अन्य हितधारकों द्वारा निवेश की जाएगी। राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 का हिस्सा है।

पृष्ठभूमि

भारत में वर्ष 1994 में दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण हुआ, किंतु निजी क्षेत्र का दूरसंचार में प्रवेश नहीं हो सका। इसका मुख्य कारण लाइसेंस प्रणाली तथा टेलीग्राफ अधिनियम के अंतर्गत दूरसंचार सेवाएँ संचालित करने का अधिकार न होना था।

उपर्युक्त स्थिति में निजी क्षेत्र हेतु दूरसंचार क्षेत्र उदारीकरण से पूर्व (Pre-1991) की स्थिति में ही बना रहा।

आरंभ में निजी निवेशकों ने इस क्षेत्र से जुड़ने में अत्यधिक उत्साह दिखाया, इसकी वजह निवेशकों का अधिक राजस्व प्राप्ति की आकांक्षा थी। लाइसेंस की संख्या कम होने तथा सेवाओं के लिये सरकार द्वारा अत्यधिक उच्च शुल्क निर्धारित किये जाने के कारण सेवाओं का उपयोग सीमित ही रहा जिससे राजस्व सीमित रूप से प्राप्त हो सका। वहीं इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के एकाधिकार ने निजी क्षेत्र की मुश्किलें और बढ़ा दीं।

वर्ष 1999 में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने लाइसेंस के शुल्क में कटौती कर दी क्योंकि अधिक लाइसेंस शुल्क इस क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा था। इसके पश्चात् यह क्षेत्र राजस्व शेयर लाइसेंस शुल्क प्रणाली (Revenue-share license fee regime) की ओर बढ़ गया। यह प्रणाली वर्तमान में भी जारी है। इस कदम ने इस क्षेत्र को जीवित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को लाभ हुआ।

विदित हो कि विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1.38 प्रतिशत का योगदान करेगा। इन दिनों भारत में ब्रॉडबैण्ड की पहुंच एक प्रतिशत से भी कम है। भारत सरकार ने 25 अक्टूबर 2011 को देश के 2,50,000 ग्राम पंचायतों में बैंडविड्थ के साथ ब्राडॅबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) की स्थापना को मंजूरी दी है। ब्राडॅबैंड सूचना और ज्ञान के लिए सस्ती और साम्यिक पहुँच प्रदान कर लोगों के जीवन में सुधार लाने का एक उपकरण है। ब्रॉडबैण्ड दिन-प्रतिदिन सभी व्यक्तियों के लिए उनकी जीवन शैली पर सीधा प्रभाव डालने वाला बन गया है। यह व्यापार और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में भी योगदान कर सकता है। ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग, ई-प्रशासन, ई-शिक्षा और टेली-चिकित्सा के रूप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के अनुप्रयोगों में उच्च गति के इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। यह सुविधा एनओएफएन प्रदान कर सकता है।

राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन का उद्देश्य

इस मिशन का उद्देश्य डिजिटल संचार ढाँचे का त्वरित विकास, डिजिटल अंतर को समाप्त करना, डिजिटल सशक्तिकरण तथा समावेश पर आधारित है। मिशन का उद्देश्य सभी नागरिकों हेतु किफायती तथा सार्वभौमिक ब्रॉडबैण्ड सेवा प्रदान करना है। इस मिशन का उद्देश्य तीन सिद्धांतों पर आधारित है:- (i) सभी के लिए ब्रॉडबैण्ड उपलब्धता (ii) गुणवतायुक्त सेवा (iii) किफायती सेवा।

इस परियोजना का अन्य उद्देश्य देश में डिजिटल संचार और डिजिटल बुनियादी ढाँचे को तीव्र गति प्रदान करना है। सरकार के अनुसार मिशन के तहत देशभर, विशेषरूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वभौमिक और समानता के आधार पर ब्रॉडबैण्ड पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके तहत पूरे देश हेतु डिजिटल फाइबर मानचित्र तैयार किया जाएगा। इसमें संचार नेटवर्क व अवसंरचना, ऑप्टिक फाइबर केबल, टावर आदि को शामिल किया जाएगा। इससे पहले, भारतनेट मिशन के माध्यम से 1,42,000 गांवों तक ब्रॉडबैण्ड सेवाएं पहुंचाई गई थीं। इस मिशन के तहत 30 लाख किलोमीटर का अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल मार्ग बिछाया जायेगा।

इसमें यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund- USOF) के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अभियान में निवेश के लिये संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों समेत सभी हितधारकों के साथ कार्य किया जाएगा।

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund- USOF)

यह ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों तक वहन योग्य कीमतों पर गैर-भेदभावपूर्ण गुणवत्तापूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology-ICT) सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करता है। इसका गठन वर्ष 2002 में दूरसंचार विभाग के तहत किया गया था। इस फंड के लिये संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसे भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है।

लाभ

- राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन से शहरों की भांति गांवों के लोग भी कंप्यूटर और स्मार्टफोन के जरिए सरकारी स्कीमों का लाभ उठाकर अपनी पढ़ाई-लिखाई, नौकरी-कारोबार और खेती-बाड़ी का विकास कर अपना भविष्य संवार सकेंगे।
- इससे ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सवा लाख डाकघर इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकेंगे।
- ब्रॉडबैंड से एक लाख स्कूलों, 50 हजार स्वास्थ्य केंद्रों तक तकनीकी सुविधा मिलेगी।
- ऑप्टिक केबल व पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट से गांवों की दुनिया बदलेगी जिससे कि गाँव भी शहर की तरह आधुनिक हो सकेंगे।
- इससे पंचायतों को सशक्त किया जा सकता है तथा ई-सर्विस जैसे की स्वास्थ्य शिक्षा आदि मे सुविधा प्राप्त होगी।
- इससे पंचायत स्तर पर प्रशासन को सुदृढ़ किया जा सकता है। साथ ही कुटीर उद्योग के लिए व्यावसायियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- इसका एक फायदा यह है कि इससे लोगों का बैंकों से जुड़ाव बढ़ेगा और बैंकिंग सेवाओं में तेजी आएगी।

चुनौतियाँ

वर्तमान में ब्रॉडबैण्ड मिशन के सामने कई चुनौतियाँ हैं जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

दूरसंचार क्षेत्र की वित्तीय स्थिति: वर्ष 2017-18 में दूरसंचार क्षेत्र के सकल राजस्व आय में 15% से 20% तक की गिरावट आई जो अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट है। चूंकि बाजार में अभी कुछ खास कंपनियों का ही वर्चस्व है क्योंकि उसके उपभोक्ता सबसे अधिक हैं इसलिए इस क्षेत्र की छोटी-छोटी कंपनियाँ दिवालिया होती जा रही हैं क्योंकि उनका राजस्व घट रहा है। परिणाम स्वरूप ब्रॉण्डबैंड उपलब्धता में भी कमी हो रही है।

सीमित स्पेक्ट्रम उपलब्धता: भारत में दूरसंचार के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता यूरोपीय देशों की तुलना में 40% कम है जबकि चीन की तुलना में यह 50% कम है। इसके साथ ही सरकार ने अत्यधिक लागत पर स्पेक्ट्रम की नीलामी की जिससे मोबाइल ऑपरेटरों के लिए उचित कीमत पर सेवाएं प्रदान करना मुश्किल हो गया है।

आधारभूत संरचना का अभाव: अर्द्ध-ग्रामीण व ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवा उपलब्ध कराने के एवज में काफी हानि उठानी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, जैसे- बिजली, टावर, सुरक्षा, नेटवर्क, सड़कें आदि। इनके अभाव में लागत-लाभ का अंतर बढ़ जाता है और कंपनियों को हानि होती है।

निश्चित लाइन (Fixed Line) का अभाव: भारत में अभी भी केबल को बिछाने तथा संचार को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाने के लिए निश्चित लाइन का अभाव है अर्थात् विश्व के अन्य देश जिस प्रकार से धातु के तार या

ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से केबल विस्तार करते हैं भारत अभी भी नहीं कर पा रहा है। भारत में लगभग 1.2 बिलियन कनेक्शन हैं लेकिन फिक्सड लाइन लगभग 18 मिलियन ही है।

विदित हो कि भारत में केवल 25 प्रतिशत टावर्स फाइबर नेटवर्क से जुड़े हैं जबकि विकसित राष्ट्रों में यह 70 प्रतिशत से अधिक है। भारत 5जी की बात तो कर रहा है, लेकिन इसके लिए उच्च गति वाले आवश्यक टावरों की कमी है।

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)

फाइबर ऑप्टिक एक ऐसी तकनीक है जो डेटा संचारित करने के लिए कांच या प्लास्टिक के धागों (फाइबर) का उपयोग करती है। फाइबर ऑप्टिक केबल के अन्दर काँच के धागे का एक बंडल होता है, जिनमें से प्रत्येक सीमित प्रकाश तरंगों पर मिश्रित संदेशों को प्रेषित करने में सक्षम होता है। वर्तमान में ओएफसी (ऑप्टिकल फाइबर केबल) कनेक्टिविटी सभी राज्यों की राजधानियों, जिलों, मुख्यालयों और ब्लॉक स्तर तक उपलब्ध है। अब इसे देश के सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करने की योजना है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मौजूदा फाइबर (बीएसएनएल, रेलटेल और पावर ग्रिड) को ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करने के लिए जहाँ तक आवश्यक हो, उपयोग करने और संवर्द्धित फाइबर बिछाने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार से ग्राम पंचायतों और प्रखंडों के बीच कनेक्टिविटी के अंतर को कम किया जाएगा।

एनओएफएन का गैर भेदभावपूर्ण उपयोग सभी सेवा प्रदाताओं को प्रदान किया जाएगा। सेवा प्रदाताओं में दूरसंचार सेवा प्रदाताएं (टी.एस.पी.), आईएसपी, केबल टीवी ऑपरेटरों और सामग्री प्रदाताओं की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं को शुरू कर सकते हैं। विभिन्न श्रेणियों के अनुप्रयोगों जैसे कि ई- स्वास्थ्य, ई-शिक्षा और ई-गवर्नेंस आदि के इन ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। एनओएफएन परियोजना की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए है, जिसे दो वर्ष में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) द्वारा धन उपलब्ध करवाया जाएगा। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ. एन) की प्रमुख विशेषताएं भारत के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ व लगभग 6 लाख किलोमीटर नया ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाना है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्वदेशी उपकरणों के डिजाइन और निर्माण करना। प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ओ.एन.टी में वाई-फाई कनेक्टिविटी आदि है।

सरकारी प्रयास

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में तीव्र वृद्धि के लिए मजबूत उपभोक्ता माँग के साथ-साथ भारत सरकार की उदार और सुधारवादी नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकार ने दूरसंचार उपकरणों के लिए आसान बाजार पहुँच और एक उचित एवं सक्रिय नियामक ढाँचा तैयार किया है, जिससे उपभोक्ता को सस्ती कीमतों पर दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी है। सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में संवर्द्धन के लिये निम्न महत्वपूर्ण उपाय किये गए हैं-

दूरसंचार क्षेत्र में FDI कैप को 74% से 100% तक बढ़ाया गया है। इन 100% में से, 49% स्वचालित मार्ग से किया जाएगा और बाकी विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड अनुमोदन मार्ग के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा डार्क फाइबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल और वॉयस मेल की पेशकश करने वाले बुनियादी ढांचा प्रदाताओं के लिए भी 100% तक के एफडीआई की अनुमति है।

भारतनेट: भारतनेट केंद्र सरकार का ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, जिसे भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। यह भारत के सभी घरों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को माँग के माध्यम से, डिजिटल भारत के दृष्टिकोण को समझने के लिए 2 Mbps से 20 Mbps की किफायती ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी को जोड़ना चाहता है। इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

भारत नेट परियोजना, जिसे पहले राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) कहा जाता था, ने 2011 में कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त की थी और 2013 के अंत तक इसे पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। इसे बाद में यूपीए सरकार ने सितंबर 2015 तक स्थगित कर दिया था। एनडीए सरकार ने परियोजना की स्थिति की फिर से जाँच की और 2016 के आखिर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा। इसके बाद पुन: भारत नेट परियोजना (Bharat Net Project) को पूरा करने के लिए दिसम्बर 2018 तक का समय सीमा दिया गया। 31 दिसंबर, 2017 तक, देश भर में 2,54,895 km- optical fiber cable (OFC) बिछा लिए गए थे जो 1,09,926 ग्राम पंचायत (GP) को कवर करते हैं।

यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड सम्पर्क का कार्यक्रम है। यह शत-प्रतिशत मेक इन इंडिया के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है अर्थात् इसमें कोई विदेशी कंपनी का सहयोग नहीं लिया जा रहा है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पंचायत स्तर तक पहुँचा देना है। सरकार ने इस नेटवर्क को दूरसंचार सेवा के लिए उपलब्ध कराया है और ग्रामीण क्षेत्रों में आवाज, डेटा और वीडियो के संचरण के लिए एक राजमार्ग के रूप में नेटवर्क की परिकल्पना की है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करके ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों और संस्थानों को सस्ती ब्रॉडबैण्ड सेवाएं प्रदान करना है।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018: राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 का उद्देश्य डिजिटल सशक्तिकरण एवं भारत के लोगों की खुशहाली के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिजिटल संचार नेटवर्क की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करना और इस प्रयोजनार्थ उद्देश्यों के समुच्चय, पहलों, कार्यनीतियों एवं अभीष्ट नीतिगत परिणामों को दर्शाने का प्रयास करना हैं। साथ ही सभी के लिए ब्रॉडबैण्ड का प्रावधान करना तथा डिजिटल संचार क्षेत्र में 4 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

आगे की राह

ब्रॉडबैण्ड के क्षेत्र में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास सराहनीय हैं लेकिन सरकार को इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करना होगा, खासकर सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति को लेकर जिससे कि ब्रॉडबैण्ड सेवा को गांवों-गांवों तक उपलब्ध कराया जा सके।

ब्रॉडबैण्ड से किसानों को विशेष लाभ होगा, इससे वे कृषि को लाभदायक बना सकेंगे। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए सरकार को ब्रॉडबैण्ड के सहयोग से किसानों को सशक्त करना होगा। जिससे कि सरकार का किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

यही नहीं चिकित्सा के क्षेत्र में भी ग्रामीण भारत के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। अत: ब्रॉडबैण्ड के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद इन चुनौतियों से भी निपटा जा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

■

6. भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने त्रिपुरा में अब तक का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) बनाये जाने की अधिसूचना जारी की है। यह एसईजेड दक्षिण त्रिपुरा जिले के पश्चिम जालेफा, साबरुम में स्थापित किया जायेगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा सेज (एसईजेड) उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, जहाँ से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को किया जाता है। यह क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक नियम कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किए जाते हैं। भारत पहला एशियाई देश है, जिसने निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ष 1965 में कांडला में एक निर्यात प्रसंस्करण (ईपीजेड) क्षेत्र की स्थापना की थी।

भारत में निर्यात वृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2000 को विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की योजना तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री मुरासोलीमारन ने प्रस्तुत की थी। जून 2005 में संसद में विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक पास करके वैधानिकता प्रदान की गई, इसके बाद फरवरी 2006 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भी इसके नियमों एवं प्रावधानों से सम्बन्धित अधि सूचना जारी की गई। विदित हो कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र की अपार सफलता को देखते हुए की गयी। चीन ने 1978 में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास किया था जिसको भू-स्वामित्व तथा श्रामिकों से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए बनाया गया था।

सेज की महत्ता

त्रिपुरा के संदर्भ में:

- त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम की ओर से विकसित इस एसईजेड परियोजना पर लगभग 1550 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। इसमें विशेष कौशल आधारित लगभग 12 हजार नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इस एसईजेड में रबड़, कपड़ा, वस्त्र उद्योग, बांस तथा कृषि उत्पादों से जुड़ी प्रसंस्करण इकाईयां लगाई जाएंगी।
- सरकार का मानना है कि इस क्षेत्र में निवेश के लिए निजी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए 'सबरूम एसईजेड' नए रास्ते खोल सकता है।
- यह एसईजेड विशेष रूप से कृषि उत्पादों से जुड़े प्रसंस्करण उद्योग के लिए होगा।
- यह परियोजना सैकड़ों मूलनिवासियों को रोजगार पाने में मदद करेगी तथा कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई तकनीकों को सीखने का भी अवसर प्रदान करेगी।
- चटंगाव बंदरगाह के नजदीक होने तथा दक्षिणी त्रिपुरा में फेनी नदी के ऊपर निर्माणाधीन पुल की वजह से सबरूम में बन रहे इस एसईजेड को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जोड़ने हेतु फेनी नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है जो एसईजेड को निजी निवेश आकर्षित करने में सहायता करेंगी।
- उल्लेखनीय है कि एसईजेड में स्थापित उद्योगों को निर्यात शुल्क में पहले पांच साल के लिए 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं अगले पांच साल में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

भारत के संदर्भ में

- विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) ऐसे निर्यात केंद्र होते हैं, जिनका देश के कुल निर्यात में करीब 23 प्रतिशत का योगदान है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें लगभग 40% भागीदारी महिलाओं की है। विदित हो कि सेज से देश में 20 लाख नौकरियाँ पैदा हुई हैं।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone-SEZ) नीति अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक यदि भारत को वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था में तब्दील होना है तो विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी क्षमता के साथ-साथ सेवाओं से जुड़े मौजूदा परिवेश में भी बुनियादी बदलाव सुनिश्चित करने होंगे। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और इससे जुड़ी सेवाओं के क्षेत्र में मिली कामयाबी को स्वास्थ्य सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, कानूनी, मरम्मत और डिजाइन सेवाओं जैसे अन्य सेवा क्षेत्रों/सेक्टरों में भी बदलाव सुनिश्चित करना होगा। ऐसे में सेज का महत्त्व बढ़ जाता है।
- वहीं कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र के आने से आज कृषकों की स्थिति सुधरी है।
- जहाँ तक सरकार के कर हानि की बात है तो चूंकि पूंजी निवेश निजी क्षेत्र में होगा, अतः सरकार की पूंजी बचेगी तथा निजी क्षेत्रों के अन्य कार्यों पर कर लगाकर सरकार कुछ हद तक नुकसान की भरपायी कर सकेगी और कर छूट की समाप्ति के बाद सरकार को भरपूर आय प्राप्त होगी, जो निश्चित ही सरकार के पक्ष में होगा जिससे आमजन लाभान्वित होगें।
- सेज खाली जगहों के उपयोग को बढ़ावा देता है। उल्लेखनीय है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 40 फीसदी अधिसूचित सेज निष्क्रिय पड़े हैं और सेज के लिए अधिसूचित जमीनों में 50 फीसदी से ज्यादा जमीनें खाली पड़ी हैं।
- ऐसे में सेज में ट्रस्ट इकाइयाँ स्थापित करने की अनुमति देने से खाली पड़ी जमीनों का रचनात्मक उपयोग किया जा सकेगा।

सरकारी प्रयास

हाल ही में संसद ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी जो उद्योगों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना की अनुमति प्रदान करता है। इस विधेयक ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का स्थान लिया है। उल्लेखनीय है कि इस अध्यादेश को मार्च, 2019 में लागू किया गया था। विधेयक के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में भी संशोधन किया गया है।

ज्ञातव्य है कि सरकार का मानना है कि सेज अधिनियम, 2005 (SEZs Act, 2005) के वर्तमान प्रावधान, व्यापारिक संस्थाओं को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यापारिक इकाइयाँ स्थापित करने की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 SEZ में इकाइयाँ स्थापित करने के लिये अनुमति प्रदान करता है।

प्रस्तुत संशोधन केंद्र सरकार को किसी 'व्यक्ति' या किसी भी 'संस्था' को परिभाषित करने के संबंध में लचीलापन प्रदान करता है,

जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर अधिसूचित कर सकती है। सरकार का मानना है कि इस संशोधन से सेज में किये जाने वाले निवेश में भी वृद्धि होगी।

संशोधन के अनुसार, एक व्यक्ति, एक विभाजित परिवार, एक कंपनी, सहकारी समिति या एक फर्म को 'व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, यह एक छोटा सा संशोधन है जिसका निवेश, नौकरी और विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

इस विधेयक के आलावा सरकार ने वर्ष 2017 में वाणिज्य विभाग द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिये 'एसईजेड इंडिया' (SEZ India) नामक एक मोबाइल एप भी लॉन्च किया था। यह एप एसईजेड इकाइयों और डेवलपरों को आसानी से सूचनाओं को प्राप्त करने तथा एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम पर उनके लेन-देन को ट्रैक करने में सहायता प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि अब एसईजेड डेवलपर और इकाइयाँ इस व्यवस्था के माध्यम से अपने लेन-देन को डिजिटल तरीके से प्राप्त कर रहे हैं और एसईजेड इंडिया मोबाइल एप के जरिये उसकी स्थिति को ट्रैक भी कर रहे हैं। यह एप एसईजेड डेवलपरों, इकाइयों, अधिकारियों एवं अन्य लोगों के लिये इस्तेमाल में लाए जाने हेतु एंड्रायड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

चुनौतियाँ

विशेष आर्थिक क्षेत्र जहाँ विकास की ओर अग्रसर क्रन्तिकारी कदम है तो वहीं इसके मार्ग में कई चुनौतियाँ भी हैं, जिसको निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

- यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हरियाली क्षेत्रों में की जाती है तो इससे पर्यावरण-प्रदूषण बढ़ता है।
- स्थानीय नेता निजी लाभ के लिए राज्य की स्वामित्व वाली विकास निगमों में नौकरशाहों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से सेज का चयन आर्थिक क्षमता के बजाय अचल संपत्ति के आधार पर चुना जाता है।
- सेज को आर्थिक विकास का इंजन बनना था किंतु विभिन्न प्रकार की रूकावटों के कारण यह निर्यात को बढ़ावा देने में सक्षम सिद्ध नहीं हो पा रहा है। इन रूकावटों में परियोजनाओं की मंजूरी में देरी, विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे का अभाव और एक अस्थिर राजकोषीय व्यवस्था शामिल है।
- सेज की स्थापना से क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि होती है। अभी तक की स्थिति से तो यह स्पष्ट है कि अधिकांश विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना ऐसे स्थानों पर हुई है जो पहले से ही विकसित हैं।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा- यह एक शोध का विषय है क्योंकि उत्पादकता एवं गुणवत्ता के नाम पर आधुनिक तकनीक का प्रयोग होने से केवल कुछ ही लोगों को रोजगार मिल पाता है।
- उद्योग संगठन एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार, देश में मंजूरी प्राप्त 416 सेज(विशेष आर्थिक क्षेत्र) में महज 202 औद्योगिक इकाइयाँ ही काम कर रही हैं। विदेशी कंपनियों के अपकर्षण तथा देश में आर्थिक उदासीनता के कारण आधे से अधिक आर्थिक इकाइयाँ उदासीन रही हैं। इसके बेकार पड़ने से बड़ी मात्रा में व्यापार घाटा उठाना पड़ रहा है।
- गौरतलब है कि सेज की स्थापना की प्रेरणा भारत को चीन से मिली, लेकिन चीन में सेज स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, जैसे वहाँ गैर-कृषि कार्य योग्य भूमि की अधिकता है, तो दूसरी तरफ, वहाँ भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून भी अपेक्षाकृत उदार हैं, जिसके दम पर चीन सेज को लाभ का बड़ा स्रोत बनाने में सफल रहा। जबकि यहाँ स्थितियां विपरीत हैं। कृषि-उन्मुख अर्थव्यवस्था होने के कारण यहां परित्यक्ता भूमि की मात्रा कम है।
- वहीं दूसरी तरफ विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के नाम पर बड़ी-बड़ी कंपनियों ने देशभर में हजारों एकड़ जमीन हड़पी है। कंपनियों ने यह जमीन एसईजेड लगाने के नाम पर ली थी, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल दूसरे कार्यो में करके या बेचकर अरबों रुपये बनाए। इस बात का खुलासा कैग ने संसद में पेश अपनी एक ताजा रिपोर्ट में किया। कैग का कहना है कि कंपनियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण जमीन होता है।
- इसके आलावा एक अन्य समस्या यह भी है कि विशेष आर्थिक इलाकों की स्थापना के लिए भारत में कृषि भूमि का अधिग्रहण होता है। हमारे देश में सीमांत कृषकों की संख्या अधिकतम है और उनकी जमीन का अधिग्रहण करके उनके पुर्नवास की समस्या का उचित हल नहीं निकलता है तथा किसान आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि विशेष आर्थिक इलाके बंजर भूमि पर ही बनाए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसका परिणाम यह होगा कि देश में खेती योग्य भूमि घट जाएगी और जिस क्षेत्र में गहन निर्वाह कृषि होती है वहां इससे और अधिक नुकसान होगा।

आगे की राह

विशेष आर्थिक क्षेत्र पूंजी निवेश, रोजगार संवर्द्धन एवं निर्यात वृद्धि का महत्वपूर्ण संसाधन है। निश्चित रूप से देश की आर्थिक उन्नति में इनकी भूमिका अहम होगी बशर्ते कि इनका विकास एक सुनियोजित रणनीति के तहत हो। इस संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- इस बात का ध्यान रखा जाए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं बाहरी क्षेत्र के बीच असंतुलन न होने पाए और विशेष आर्थिक इलाकों का लाभ इस व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों को यथासंभव दीर्घकाल तक मिलता रहे।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र में जो भी प्रस्ताव स्वीकार किए जाएँ उनकी चयन प्रक्रिया स्वस्थ एवं पारदर्शी हो। इसके लिए सम्बन्धित नियमों को और अधिक प्रभावी बनया जाए।
- औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक गतिविधियों के लिए स्पष्ट मानक तय किए जाएँ और उनका सम्पूर्णता से क्रियान्वयन किया जाए।
- खाद्य पदार्थों व उत्पादित वस्तुओं के निर्यात से घरेलू बाजार में इनकी कमी ना हो या कीमतें न बढें इसपर सरकार विशेष ध्यान दे।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना से विस्थापित लोगों के पुनर्वास, रोजगार की समुचित व्यवस्था के सरकारी प्रावधानों को और अधिक प्रभावशाली भी बनाया जाना चाहिए।
- विशेष आर्थिक इलाकों के लिए ऐसी नीति बने जिससे कृषि एवं उद्योग साथ-साथ विकसित हो सकें।
- यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र सिर्फ रियल एस्टेट गतिविधि बन कर न रह जाए और कर रियायतों से राजस्व का बड़ा नुकसान न हो पाए।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि सेज की सफलता का पता इस तथ्य से चलता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश का प्रवाह बढ़ा है और इनमें रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा हुए हैं। सेज ने घरेलू और विदेशी दोनों ही निवेशकों को आकर्षित किया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने, नई गतिविधियों को अंजाम देने, उपभोग पद्धति और सामाजिक जीवन में बदलाव तथा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य मानव विकास सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए सेज स्थानीय इलाकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सफल रहे हैं।

सेज के संबंध में बनी बाबा कल्याण समिति ने सुझाव दिया है कि एसईजेड के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा पर्यटन और वित्तीय सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए, जिसे सरकार द्वारा अमल में लाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।
- निवेश मॉडल।

■

7. किचन गार्डन : जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक उपकरण

चर्चा का करण

हाल ही में वैज्ञानिकों ने माना है कि किचन, गैलरी, छत व बगीचे में फल और सब्जियां उगाना पर्यावरण के लिए अनुकूल है। दरअसल यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक हथियार साबित हो सकता है। इसलिए किचन गार्डन की उपयोगिता कई मायनों में महत्वपूर्ण हो गई है।

परिचय

वर्तमान समय में किचन गार्डन पौष्टिक आहार पाने का एक आसान साधन बन गया है जिसमें विविध प्रकार की सब्जियों एवं फलों को एक सुनियोजित फसल चक्र एवं प्रबंधन विधि के द्वारा उगाया जाता है। यह कृषि की प्राचीन विधि किचन गार्डन को गृह वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। गृह वाटिका को विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मतानुसार परिभाषित किये हैं। सामान्यत: किचन गार्डन घर के आस-पास बनायी गई एक ऐसी जगह होती है जहाँ विविध प्रकार की फसलों की गहन उत्पादन प्रणाली का उपयोग कर एक परिवार की वार्षिक पोषण आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किचन व पोषण वाटिका द्वारा घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा कर कुपोषण दूर करना है। जहाँ तक किचन गार्डन के आकार का संबंध है, तो इसका स्वरूप व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर, रुचि, आवश्यकता एवं स्थान की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

किचन गार्डन का महत्त्व

वैश्वीकरण के इस दौर में जहाँ एक तरफ सब्जियों और फलों की कीमतों में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इन्हे उगाने में प्रयोग रासायनिक कीटनाशकों व स्वच्छता के अभाव के चलते लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में किचन गार्डन का महत्त्व भारतीय संदर्भ में बढ़ जाता है जिसे निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत समझा जा सकता है-

पोषण महत्ता: फल एवं सब्जियां मानव आहार के मुख्य घटक हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों एवं लवणों के मुख्य स्त्रोत होने के कारण इन्हें संरक्षी खाद्य पदार्थ तथा स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है। भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम.आर.) के अनुसार वयस्क व्यक्ति के आहार में प्रतिदिन 250 ग्राम सब्जियों तथा 80 ग्राम फलों का उपयोग आवश्यक है। आज फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में संतोषजनक वृद्धि के उपरान्त भी इनकी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध ता वांछित स्तर से कम है। इस अल्प उपलब्धता के मुख्य कारण तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूर्ति करने के लिये आवश्यक उत्पादन न होना, फल एवं सब्जियों का मूल्य सामान्य व्यक्ति की क्रय क्षमता से ज्यादा होना तथा फल सब्जियों के उत्पादन का बड़ा अंश उचित तुड़ाई प्रबन्धन के अभाव में नष्ट हो जाता है।

किचन गार्डनिंग में घरेलू स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के उपयोग द्वारा कम लागत पर ही इनका उत्पादन संभव है जिससे यह भौतिक तथा आर्थिक उपलब्धता को सुनिश्चित करता है, इसके साथ-साथ विपणन श्रृंखला में होने वाली क्षति की सम्भावना को खत्म कर देता है।

इसके अलावा वर्तमान व्यावसायिक फल एवं सब्जी उत्पादन में रसायनों (उर्वरकों, पीड़ानाशकों, वृद्धि नियामकों) का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है तथा तुड़ाई उपरान्त उत्पादों के सड़ने गलने से बचाने के लिये भी विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के रसायनों से उपचारित उत्पादों के उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर अवांछित प्रभाव पड़ता है। किचन गार्डनिंग में उत्पादित सब्जियों एवं फलों के उपयोग से इन रसायनों के कुप्रभाव से बचा जा सकता है।

किचन गार्डन में उगाये गये सब्जियों से विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज लवण और पादप रसायन प्राप्त होते हैं। मौसमी सब्जियाँ न केवल खनिज तत्वों से भरपूर होती हैं, बल्कि इनमें मौसम की प्रतिकूलताओं से लड़ने की क्षमता भी निहित होती है।

आर्थिक महत्ता: यह सर्वविदित है कि कुल पारिवारिक आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्च होता है। विगत कुछ वर्षो में कृषि आदानों (बीज, उर्वरकों, सिंचाई, उत्पादों के पीड़ानाशकों) के साथ-साथ परिवहन एवं संग्रहण लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण फल एवं सब्जियों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण वांछित मात्रा में इन कृषि उत्पादों का उपयोग एक सामान्य आय वाले परिवार के लिये कठिन हो रहा है। किचन गार्डनिंग में फल एवं सब्जियों का उत्पादन घरेलू संसाधनों के उपयोग से न्यूनतम लागत पर किया जा सकता है। अत: एक तरफ जहाँ यह भोजन सम्बन्धित व्यय में कमी करता है वहीं दूसरी तरफ परिवार के सुपोषण में सहायता करता है। अत: किचन गार्डनिंग पारिवारिक आर्थिक स्वावलम्बन को निश्चित करने वाला एक अहम कदम साबित हो सकता है।

भुखमरी, कुपोषण को रोकने में सहायक: हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) के मुताबिक भारत में अब भी काफी भुखमरी मौजूद है। भारत की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एशियाई देशों में सबसे खराब है। यह रिपोर्ट किसी देश में कुपोषित बच्चों के अनुपात, पाँच साल से कम आयु वाले बच्चे जिनका

वजन या लंबाई उम्र के हिसाब से कम है और पाँच साल से कम उम्र वाले बच्चों में मृत्यु दर के आधार पर तैयार की जाती है। विदित हो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2019 में कुल 117 देशों को शामिल किया गया जिसमें भारत 102वें पायदान पर है। यह दक्षिण एशियाई देशों का सबसे निचला स्थान है। ऐसे में भुखमरी, कुपोषण को किचन गार्डनिंग जैसे व्यावहारिक नवाचारों से कम कर एक स्वस्थ समुदाय का निर्माण किया जा सकता है।

अन्य महत्ता: किचन गार्डन मृदा संरक्षण में भी सहायक होता है साथ ही इससे प्राप्त मौसमी फल व सब्जियों को परिरक्षित करके सालभर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा यह बच्चों के प्रशिक्षण के साथ मनोरंजन और व्यायाम का भी एक अच्छा साधन है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी खुद उगाई गई फल सब्जियाँ बाजार की फल-सब्जियों से अधिक स्वादिष्ट लगती हैं।

पर्यावरण महत्ता

पर्यावरणीय प्रदूषण वर्तमान समय की एक ज्वलंत समस्या है। वायु तथा जल प्रदूषण पर्यावरण सम्बन्धित मुख्य समस्या है। वायु प्रदूषण को कम करने में पौधों की महत्ता सर्वविदित है तथा घरेलू स्तर पर किचन गार्डनिंग लगाकार वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण की एक अन्य मुख्य समस्या घरेलू स्तर पर उत्पादित अपशिष्ट (Waste) पदार्थ है। गृह स्तर पर उत्पादित इन अपशिष्ट पदार्थों जैसे- रसोई जनित अपशिष्ट पदार्थ, घरेलू स्तर पर उपयोग किये गये जल एवं कूड़ा-करकट को समन्वित पुन:चक्रण द्वारा किचन गार्डनिंग में उपयोग में लाया जा सकता है। इसी प्रकार किचन गार्डनिंग में फल एवं सब्जियों में उत्पादन करने से उपरोक्त रूप से कृषित क्षेत्र में प्रयोग में आने वाले रासायनिक उर्वरकों एवं पीड़ानाशकों का उपयोग भी कम किया जा सकता है।

सरकारी प्रयास

किचन गार्डन अपने आप में एक मौलिक अवधारणा है जिसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है, जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल-पोषण (रसोई) उद्यान की शुरूआत की है, जो छात्रों को फल और सब्जियों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही छात्रों को अपने घरों में फलों और सब्जियों की खेती करने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। पोषण (रसोई) उद्यान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
  - ताजी सब्जियों के सेवन से कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में मदद करना।
  - बच्चों का प्रकृति और बागवानी से साक्षात्कार करना।
  - सब्जियों के पोषण संबंधी पहलुओं और जंक फूड के हानिकारक प्रभावों के बारे में बच्चों के ज्ञान को बढ़ाना।
- इसके आलावा कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत नई कवायद भी आरंभ की है। जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों व कुपोषित बच्चों के घरों में पोषण वाटिका बनाई जा रही है।
- वहीं खरीफ, रबी, जायद मौसम की सब्जियों के बीज और पौध किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। पोषण सुरक्षा के लिए गृह वाटिका में ब्रोकली को भी शामिल किया गया। बड़ी संख्या में गृह वाटिका में इनका उत्पादन हो रहा है।
- कृषि विज्ञान केंद्र के तत्वावधान में पोषण एवं खाद्य सुरक्षा के लिए गृह वाटिका में सब्जियों व फलों का उत्पादन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है।

चुनौतियाँ

किचन गार्डन के जहाँ अपने कई फायदे हैं वहीं किचन गार्डन की खेती कई चुनौतियों से भी भरी हुई है जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए व्यक्तियों को जहाँ जगह मिलना कठिन होता है, वहाँ बागवानी के लिए स्थान बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
- व्यक्तिगत घर मेट्रो शहरों में बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए किचन गार्डनिंग एक दूर का सपना बन जाता है।
- अनुपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग से जल जनित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।
- वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है कि कृषि पैदावार में कमी आ रही है और इसलिए लोग जो किचन गार्डन की शुरूआत करते हैं, वे अकसर इसे जारी रखने में रुचि खो देते हैं।
- किचन गार्डन को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव है।

किचन गार्डन का क्रियान्वयन

किचन गार्डन अपने आप में एक नवाचार है जिसकी सफलता के लिए जरूरी है कि इसका सही रूप में क्रियान्वयन किया जाए। एक सफल एवं सुनियोजित गृह वाटिका के लिये निम्न सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- गृह वाटिका का स्वरूप स्थान की उपलब्धता एवं परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। गृह वाटिका के लिये स्थान का चयन करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि वहाँ सूर्य की रोशनी पर्याप्त हो।
- गृह वाटिका का रसोई की दृष्टि से उपयोगी भाग घर का पिछला हिस्सा होता है। जहां घर एवं बाग के अवशेष गृह वाटिका के किसी कोने में बने एक छोटे से कम्पोस्ट गड्ढे में डाले जा सकते हैं। इससे बनी खाद को गार्डेन के लिये उपयोग में लाया जा सकता है।
- गृह वाटिका के लिये दोमट मिट्टी जिसका मान 6-7.5 हो सबसे उत्तम समझा जाता है। गृह वाटिका का प्रबंधन करना आसान होता है क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम होने से भूमि में किसी तरह की कमी हो तो उसे सुधारा जा सकता है।
- गृह वाटिका का चुनाव करते समय यह अवश्य ध्यान देना चाहिए कि पास में कोई बड़ा मकान या बड़ा वृक्ष न हो ताकि गृह वाटिका को पूरी धूप मिलती रहे। इसके साथ ही गृह वाटिका के लिये उपयुक्त सिंचाई एवं जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई से निकलने वाले पानी का उपयोग सिंचाई के लिये किया जा सकता है।
- इसके अलावा वाटिका का घेराव, मौसम, वायु प्रवाह की दिशा पर भी ध्यान देना चाहिए।
- किचन गार्डन के लिए उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध 250 वर्ग मीटर क्षेत्र में बहुवर्षीय पौधों को वाटिका के उस तरफ लगाना चाहिए, जिससे उन पौधों की अन्य दूसरे पौधों पर छाया न पड़ सके। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये पौधे एकवर्षीय सब्जियों के फसल चक्र और उनके पोषक तत्त्वों की मात्रा में बाधा न डाल सके।

सुझाव

गृह वाटिका की सफलता के लिये महिलाओं के दृष्टिकोण, उनकी आवश्यकताओं का समावेश तथा उनकी सहभागिता को अपनाया जाना चाहिए दसअसल पुरुषों की तुलना में महिलाएं घर पर अधिक समय व्यतीत करती हैं। अतः गृह वाटिका का प्रबन्धन जैसे- सिंचाई, निराई-गुड़ाई, कीट व रोग प्रबन्धन एवं कटाई-तुड़ाई का उत्तरदायित्व महिलायें अच्छी तरह से कर सकती हैं।

सब्जियों की किस्मों का चुनाव करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे उन्नत, स्वस्थ एवं प्रतिरोधी हों। किस्में अगर देशी हों तो हमें अगले मौसम में बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्जियों के अनुसार उसकी बुआई या रोपाई करनी चाहिए। मौसम के अनुसार सब्जियों को निम्न प्रकार से बाँटा जा सकता है-

- **गर्मी:** पेठा, करेला, परवल, झींगा, टिंडा, टमाटर, चुलाई, खीरा, भिण्डी आदि।
- **बरसात:** शिमला मिर्च, बैंगन, बीन, तरोई, भिण्डी, चुलाई, करेला, लौकी, गोभी, बोदी, खीरा, टिंडा आदि।
- **सर्दी:** चुकंदर, ब्रोकली, गाजर, पत्तागोभी, मटर, फ्रेंच बीन, शलजम, प्याज, मूली, टमाटर, पालक आदि।
- **वर्ष पर्यन्त:** टमाटर, बैंगन, बोदी, चुलाई, पालक, भिण्डी, कलमी साग (कैंग कोंग), बसेला

आगे की राह

कुल मिलाकर, कहा जा सकता है कि किचन गार्डनिंग पारिवारिक स्तर पर पोषण को सुनिश्चित करने के साथ-साथ, आर्थिक स्वावलम्बन को बढ़ाने तथा पर्यावरणीय संरक्षण में महती भूमिका रखता है। किचन गार्डनिंग की सफलता का मूल मंत्र है कि इसके लिये स्थान, पादप प्रजातियों का चुनाव क्षेत्र की कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों तथा घरेलू स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप करते हुए इनके उत्पादन एवं संरक्षण समग्र प्रबन्धन किया जाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. भारत में जंक फूड का बढ़ता दायरा : चिंता का विषय

प्र. जंक फूड से आप क्या समझते हैं? इनके फायदों व नुकसान को रेखांकित करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- अग्रणी शोध संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की एक ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है कि जंक फूड जैसे- बर्गर, पिज्जा और नूडल्स सहित अन्य फास्ट फूड का सेवन, सेहत के लिए खतरा साबित हो रहा है।

जंक फूड क्या है

- जंक फूड की परिभाषा का दायरा काफी लंबा है। आमतौर पर दुनियाभर में चिप्स, कैंडी आदि जैसे स्नैक्स जंक फूड माने जाते हैं। कुछ लोग बर्गर, पिज्जा जैसे तले-भुने फास्ट फूड को जंक फूड की संज्ञा देते हैं, तो कुछ समुदाय जाइरो, तको, फिश जैसे भोजनों को भी जंक फूड मानते हैं।

जंक फूड्स के नुकसान

- **वजन का बढ़नाः** जंक फूड में कैलोरी उच्च होती है, जिसके कारण इनके सेवन से हमारे शरीर की कैलोरी बढ़ जाती है, जो कि आगे चलकर हमारे शरीर का वजन बढ़ा देती है।
- **मधुमेह का खतराः** स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जो बच्चे अधिक जंक फूड का सेवन करते हैं, उन्हें मधुमेह बीमारी होने के काफी अधिक आशंका रहती है।
- **सोचने की क्षमता पर प्रभावः** जंक फूड में पोष्टिक तत्व न के बराबर होते हैं और जब शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो शरीर सोचने समझने की क्षमता खोने लगता है।
- **एलर्जी का खतराः** फ्लेवर्स व रंगों का अधिक इस्तेमाल होने के कारण यह त्वचा पर एलर्जी का कारण बनता है और कई बार यह एलर्जी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसका इलाज भी संभव नहीं हो पाता है।

जंक फूड के फायदे

- **डार्क चॉकलेटः** डार्क चॉकलेट पोषक तत्वों से भरपूर होती है। एंटी-ऑक्सीडेन्ट का सबसे बढ़िया स्रोत है। डार्क चॉकलेट उच्च रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है। डार्क चॉकलेट के पोटेशियम और कॉपर स्ट्रोक हृदय सम्बन्धी रोगों को रोकने में सहायक हैं।
- **पॉपकॉर्नः** पॉपकॉर्न यदि सही तरीके से पकाया गया हो तो वह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पॉपकॉर्न पर लहसुन और कालीमिर्च पाउडर डालकर खाने से दिल मजबूत होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रार्नटन (अमेरिका) के शोधकर्ताओं ने शोध में दावा किया कि पॉपकॉर्न में मौजूद फाइबर और पालीफिनाइल बुजुर्गों में कैंसर और हृदय संबंधी रोगों के खतरों को कम करते हैं।

चुनौतियाँ

- यूनिसेफ के अनुसार भारत में 80% से अधिक किशोर छिपी हुई भूख से पीड़ित हैं, जो एक प्रकार का कुपोषण है। साथ ही 10 प्रतिशत से कम लड़के और लड़कियां रोजाना फलों और अंडों का सेवन करते हैं। छिपी हुई भूख का तात्पर्य एक या एक से अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे आयरन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन डी आदि की कमी है।
- यूनिसेफ की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में लगभग सभी किशोर किसी न किसी रूप में अस्वस्थ या खराब आहार का सेवन कर रहे हैं जिससे कुपोषण जैसी समस्याएँ बढती जा रही हैं।

सरकारी प्रयास

- भ्रामक विज्ञापनों के प्रसारण के संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 11 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है और अब केंद्र सरकार उस पर अमल कर रही है।

आगे की राह

- जनस्वास्थ्य पर कंपनियों का हित भारी नहीं पड़े, इसके लिये फास्ट फूड उत्पादों में नमक, शर्करा और वसा का निर्धारित मात्रा से अधिक इस्तेमाल होने पर तंबाकू उत्पादों की तर्ज पर स्पष्ट चेतावनी (रेड वार्निंग) पैकेट पर दर्ज करने को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। ■

2. भारत में प्रदर्शन, हिंसा और कानून : एक अवलोकन

प्र. धरना प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकारों का जिक्र करते हुए इसके हिंसात्मक हो जाने से उत्पन्न खतरों की चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में संसद द्वारा नए कानून बनाने के साथ ही साथ कई पुराने कानूनों में संशोधन किए गए, उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में

अनुच्छेद 370 का निरसन और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 आदि। इन कानूनों के विरोध ने देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया।

धरना-प्रदर्शन और संवैधानिक अधिकार

- भारतीय संविधान में देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने कि अनुमति दी गई है। यह हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकार का जिक्र है एवं इसी मौलिक अधिकार के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार मिला हुआ है। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े कुछ अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार के तहत आते हैं। इसके अनुच्छेद 19(1) में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एक जगह इकट्ठा होने की आजादी, सम्मेलन की, संगम या संघ बनाने की आजादी, देश में कही भी स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता के साथ ही कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार शामिल है।

प्रदर्शन पर सर्वोच्च न्यायालय का नजरिया

- सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि विरोध जाहिर करने के नागरिकों के मौलिक अधिकार और कानून व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। नागरिकों को अपने संवैधानिक अधिकारों का उपायोग करते हुए अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होना चाहिए। इस संदर्भ में 23 जुलाई 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया।

हिंसक विरोध प्रदर्शन के प्रभाव

- हिंसक विरोध प्रदर्शन के कई नकारात्मक प्रभाव पूरी व्यवस्था पर पड़ता है जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है-
- इससे जनता की संपति को नुकसान पहुँचता है। नतीजतन हिंसा करने वाले व्यक्तियों का अपना ही भविष्य बर्बाद होता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है।
- यह आर्थिक विकास एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में बाधक होता है।

आगे की राह

- निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन शांति से, बिना हिंसा का सहारा लिए। इसलिए नीति निर्माताओं ने इन प्रावधानों को शामिल किया और उन अपराधों को परिभाषित किया जो सार्वजनिक शांति के खिलाफ हैं। बावजूद इसके गत् समय में देखा गया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसात्मक घटना हो जाना आम बात सी हो गई है। ■

3. भारत–मलेशिया संबंध : बेहतर तालमेल की जरूरत

प्र. भारत और मलेशिया के बीच संबंधों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। संबंधों में खटास के प्रमुख कारणों को उल्लिखित करते हुए दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र को रेखांकित करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि "भारत जो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करता है, आज मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीन रहा है। अगर मलेशिया नागरिकता कानून अपने यहाँ लागू करे तो पता नहीं क्या होगा।" गौरतलब है कि इससे पहले भी मलेशिया के प्रधानमन्त्री जम्मू कश्मीर के सम्बन्ध में टिप्पणी कर चुके हैं।

परिचय

- मलेशिया भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट नीति' के केंद्र में है। भारत की मलेशिया से 2010 से रणनीतिक साझेदारी है। राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक स्तंभों पर मलेशिया और भारत का आपस में सहयोग काफी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि मलेशिया आशियान समूह का कए अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य है और आसियान दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशो का एक समूह है।

संबंधो में खटास की शुरूआत

- हालिया समय में ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों देशों के बीच निकटता में कमी आई है, दरअसल जानकार मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर बयान देकर मलेशिया ने पाकिस्तान से बढ़ती करीबी और भारत से संबंधों पर पड़ते इसके असर को उजागर कर दिया है। महातिर ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में अप्रत्याशित रूप से कश्मीर मुद्दे को उठाते हुए कहा कि 'भारत ने कश्मीर पर आक्रमण कर उसे (कश्मीर को) कब्जे में कर रखा है, जो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।' तुर्की और पाकिस्तान ने भी इसी तरह के वक्तव्य दिए जिसके लिए शायद भारत तैयार भी था। किंतु मलेशियाई प्रधानमंत्री का वक्तव्य भारत को नागवार गुजरा विशेषकर ये देखते हुए कि दोनों ही देशों का एक-दूसरे के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

पाम तेल और भारत

- मलेशिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पाम ऑयल के करोबार पर निर्भर है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत में खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तेलों में पाम तेल का हिस्सा दो तिहाई है। भारत खाने के तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुआ है।

भारत और मलेशिया के बीच सहयोग के क्षेत्र

- मलेशिया उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा दस्तानों का दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माता और निर्यातक देश है, जिसका आयत भारत काफी मात्रा में करता है। मलेशिया ने 2018 में भारत को 8.08 करोड़ डॉलर का रबर निर्यात किया था।
- भारत मलेशिया के पाम ऑयल का सबसे बड़ा खरीददार देश है। भारत और मलेशिया के बीच कुल 17.2 बिलियन डॉलर का व्यापार है जिसमें से भारत 10.8 बिलियन डॉलर का आयात करता है।
- हाल के वर्षों में मलेशियाई कंपनियों और निवेशकों द्वारा भारत में कई परियोजनाओं,विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे और निर्माण क्षेत्रों में निवेश किया गया है। साथ ही निवेश के नए क्षेत्रों का पता भी लगाया गया है।
- मलेशियाई कंपनियां भारत के विभिन्न राज्यों में कई बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं में काम कर रही हैं। भारतीय कंपनियों ने भी बड़े पैमाने पर मलेशिया की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है।

- रॉयल मलेशियाई वायु सेना (आरएमएएफ) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) प्रशिक्षण, रखरखाव, तकनीकी सहायता और सुरक्षा संबंधी मुद्दों में सहयोग के लिए विमान सुरक्षा और रखरखाव मंच की स्थापना के संदर्भ में काम कर रहे हैं।

आगे की राह

- आसियान और भारत आपसी व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस व्यापार और निवेश में मलेशिया अहम सहयोगी हो सकता है। जानकारों का मानना है कि भारत को मलेशिया के साथ व्यापार युद्ध में पड़ जाने के नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। दरअसल, मलेशिया उसी आसियान संगठन का हिस्सा है जिससे भारत ने 2009-10 के दौरान ही मुक्त व्यापार संधि पर सहमति जताई थी। ■

4. मदरसों में सुधार की आवश्यकता का मूल्यांकन

प्र. भारत में मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करें। साथ ही मदरसों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को भी रेखांकित करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रकाशित जियाउस्सलाम और डॉ. एम असलम परवेज की किताब 'मदरसाज इन द एज ऑफ इस्लामोफोबिया' (Madrasas in the Age of Islamophobia) बताती है कि भारत में इस्लाम का पालन-पोषण करने वाले शिक्षण स्थल रहे मदरसे कैसे इन दिनों विभिन्न चुनौतियों से घिरे हैं। इसलिए उनमें सुधार के साथ उनका आधुनिकीकरण करने की भी जरूरत है।

परिचय

- भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुनृजातीय, बहुधार्मिक और बहुभाषी राष्ट्र है जहाँ विविधता ही इसकी शक्ति है। भारत के संविधान में धार्मिक और भाषायी, दोनों अल्पसंख्यकों हेतु कुछ प्रावधान दिये गये हैं। वर्तमान में भारत सरकार ने 6 धार्मिक समूहों को अल्पसंख्यक समूह के रूप में अधिसूचित किया है, जिसमे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जौरास्ट्रियन (पारसी) और जैन शामिल हैं।

भारत में मदरसों की स्थिति एवं विश्लेषण

- भारत में मदरसों की शुरूआत मध्यकाल के समय से ही हो गई थी और संभवत: सन् 1206 में दिल्ली में पहले मदरसे की स्थापना की गई थी। शुरूआत में मदरसों के शिक्षा का ढाँचा इस प्रकार का रखा गया था, जिससे शासन के विभिन्न पदों के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति मिल सके। उस दौरान मदरसों को राज्य का संरक्षण प्राप्त था और उनके पाठ्यक्रम में भूगोल, ज्योतिष, भौतिकशास्त्र, दर्शनशास्त्र इत्यादि विषय शामिल किये गये थे। मुगलकालीन भारत में लोक सेवा के लिए मदरसे से ही लोग निकलते थे। यहाँ के स्नातक प्रशासन के दो सबसे महत्वपूर्ण पदों "मुफ्ती" और "काजी" के लिए योग्य माने जाते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा मदरसों से राज्य के संरक्षण को हटा लिया गया और धार्मिक राजस्व को खत्म करके उसकी जगह नई व्यवस्था की स्थापना कर दी गई और इसके साथ ही मदरसों को राज्य द्वारा मिलने वाला संरक्षण भी बंद हो गया।

अल्पसंख्यकों का संवैधानिक अधिकार

- सभी अल्पसंख्यकों को अपना स्वयं का शैक्षिक संस्थान स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार, अधिदेशित है। सरकार अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों, जो अल्पसंख्यकों का बड़ा घटक है, की शिक्षा में मौजूदा पिछड़ापन दूर करने के लिए वचनबद्ध है। अत: प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ, आर्थिक कार्यकलापों और नियोजन में अल्पसंख्यकों की सम्पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने का लक्ष्य है।

चुनौतियाँ

- भारतीय मदरसों की एक बहुत बड़ी समस्या वित्तीय व्यवस्था है। लगभग सारे मदरसे आमजन के सहयोग से चलते हैं। ज्यादातर मदरसे किसी रजिस्ट्रेशन के बगैर ही चल रहे हैं, यहाँ तक कि जिनके पास उचित दस्तावेज और अच्छा इतिहास है, वे भी दुविधा के शिकार नजर आते हैं।
- कई बार मदरसों के प्रबंधकों और शिक्षकों के बीच सरकारी पहलों को संदेह की नजर से देखा जाता है। उन्हें लगता है कि अगर सरकार मदरसों का आधुनिकीकरण करेगी, तो फिर मदरसे में दी जाने वाली इस्लामी तालीम पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में सरकार भी घोषणा के अलावा कुछ नहीं कर पाती और मदरसे भी इसके लिए आगे नहीं आते।

सरकारी प्रयास

- सरकार अगले पाँच साल में पाँच करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देगी। इस स्कॉलरशिप में 50 फीसदी हिस्सा लड़कियों का होगा। सरकार के फैसले के मुतबिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए बेगम हजरत महल बालिका स्कॉलरशिप दी जाएगी।

आगे की राह

- मदरसों की तालीम में सरकार की जिम्मेदारी और हस्तक्षेप जरूरी है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि मदरसों से निकले ज्यादातर ग्रैजुएट स्तर के विद्यार्थियों को कहीं ढंग का रोजगार नहीं मिलता, सिवाय इसके कि वे कोई नया मदरसा खोल लें या किसी मस्जिद में मुअज्जिन या इमाम (अजान देने और नमाज पढ़ाने वाले) हो जाएं। अगर शिक्षक, किताबें, इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करा दी जाएं तो मदरसे भी आधुनिक होकर मुख्यधारा में शामिल हो सकते हैं। ■

5. राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन : गाँव-गाँव तक इंटरनेट की पहुँच

प्र. राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके लाभ एवं उपस्थित चुनौतियों का वर्णन करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड अभियान लॉन्च किया। इस मिशन के तहत सभी गावों को 2022 तक ब्रॉडबैण्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के तहत देश की 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिक-फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जायेगा।

राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन

- राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन का उल्लेख पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में किया था। इस मिशन के तहत टावरों का 'फाइबराइजेशन' बढ़कर 70 प्रतिशत तक हो जायेगा, जो अभी 30 प्रतिशत है। इस मिशन के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और विकास के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ढाँचे को मजबूत किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड मिशन का उद्देश्य

- इस मिशन का उद्देश्य डिजिटल संचार ढाँचे का त्वरित विकास, डिजिटल अंतर को समाप्त करना, डिजिटल सशक्तिकरण तथा समावेश पर आधारित है। मिशन का उद्देश्य सभी नागरिकों हेतु किफायती तथा सार्वभौमिक ब्रॉडबैण्ड सेवा प्रदान करना है। इस मिशन का उद्देश्य तीन सिद्धांतों पर आधारित है:- (i) सभी के लिए ब्रॉडबैण्ड उपलब्धता (ii) गुणवतायुक्त सेवा (iii) किफायती सेवा।
- इस परियोजना का अन्य उद्देश्य देश में डिजिटल संचार और डिजिटल बुनियादी ढाँचे को तीव्र गति प्रदान करना है। सरकार के अनुसार मिशन के तहत देशभर, विशेषरूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वभौमिक और समानता के आधार पर ब्रॉडबैण्ड पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी।

लाभ

- इससे ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सवा लाख डाकघर इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकेंगे।
- ब्रॉडबैंड से एक लाख स्कूलों, 50 हजार स्वास्थ्य केंद्रों तक तकनीकी सुविधा मिलेगी।

सरकारी प्रयास

- दूरसंचार क्षेत्र में FDI कैप को 74% से 100% तक बढ़ाया गया है। इन 100% में से, 49% स्वचालित मार्ग से किया जाएगा और बाकी विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड अनुमोदन मार्ग के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा डार्क फाइबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल और वॉयस मेल की पेशकश करने वाले बुनियादी ढांचा प्रदाताओं के लिए भी 100% तक के एफडीआई की अनुमति है।
- **भारतनेटः** भारतनेट केंद्र सरकार का ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, जिसे भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। यह भारत के सभी घरों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को माँग के माध्यम से, डिजिटल भारत के दृष्टिकोण को समझने के लिए 2 Mbps से 20 Mbps की किफायती ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी को जोड़ना चाहता है।

आगे की राह

ब्रॉडबैण्ड के क्षेत्र में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास सराहनीय हैं लेकिन सरकार को इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करना होगा, खासकर सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति को लेकर जिससे कि ब्रॉडबैण्ड सेवा को गांवों-गांवों तक उपलब्ध कराया जा सके। ■

6. भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र : एक विश्लेषण

प्र. विशेष आर्थिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? भारत के लिए इसके महत्त्व को बताते हुए सरकार द्वारा इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को बताइए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने त्रिपुरा में अब तक का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) बनाये जाने की अधिसूचना जारी की है। यह एसईजेड दक्षिण त्रिपुरा जिले के पश्चिम जालेफा, साबरुम में स्थापित किया जायेगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

- विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा सेज (एसईजेड) उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, जहाँ से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को किया जाता है। यह क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक नियम कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किए जाते हैं।

सेज की महत्ता

- विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) ऐसे निर्यात केंद्र होते हैं, जिनका देश के कुल निर्यात में करीब 23 प्रतिशत का योगदान है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें लगभग 40% भागीदारी महिलाओं की है। विदित हो कि सेज से देश में 20 लाख नौकरियाँ पैदा हुई हैं।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone-SEZ) नीति अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक यदि भारत को वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था में तब्दील होना है तो विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी क्षमता के साथ-साथ सेवाओं से जुड़े मौजूदा परिवेश में भी बुनियादी बदलाव सुनिश्चित करने होंगे। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और इससे जुड़ी सेवाओं के क्षेत्र में मिली कामयाबी को स्वास्थ्य सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, कानूनी, मरम्मत और डिजाइन सेवाओं जैसे अन्य सेवा क्षेत्रों/सेक्टरों में भी बदलाव सुनिश्चित करना होगा।

सरकारी प्रयास

- हाल ही में संसद ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी जो उद्योगों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना की अनुमति प्रदान करता है। इस विधेयक ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का स्थान लिया है। उल्लेखनीय है कि इस अध्यादेश को मार्च, 2019 में लागू किया गया था। विधेयक के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में भी संशोधन किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि सरकार का मानना है कि सेज अधिनियम, 2005 (SEZs Act, 2005) के वर्तमान प्रावधान, व्यापारिक संस्थाओं को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यापारिक इकाइयाँ स्थापित करने की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 SEZ में इकाइयाँ स्थापित करने के लिये अनुमति प्रदान करता है।

चुनौतियाँ

- यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हरियाली क्षेत्रों में की जाती है तो इससे पर्यावरण-प्रदूषण बढ़ता है।
- स्थानीय नेता निजी लाभ के लिए राज्य की स्वामित्व वाली विकास निगमों में नौकरशाहों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से सेज का चयन आर्थिक क्षमता के बजाय अचल संपत्ति के आधार पर चुना जाता है।
- सेज को आर्थिक विकास का इंजन बनना था किंतु विभिन्न प्रकार की रूकावटों के कारण यह निर्यात को बढ़ावा देने में सक्षम सिद्ध नहीं हो पा रहा है। इन रूकावटों में परियोजनाओं की मंजूरी में देरी, विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे का अभाव और एक अस्थिर राजकोषीय व्यवस्था शामिल है।
- सेज की स्थापना से क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि होती है। अभी तक की स्थिति से तो यह स्पष्ट है कि अधिकांश विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना ऐसे स्थानों पर हुई है जो पहले से ही विकसित हैं।

आगे की राह

- इस बात का ध्यान रखा जाए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं बाहरी क्षेत्र के बीच असंतुलन न होने पाए और विशेष आर्थिक इलाकों का लाभ इस व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों को यथासंभव दीर्घकाल तक मिलता रहे।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि सेज की सफलता का पता इस तथ्य से चलता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश का प्रवाह बढ़ा है और इनमें रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा हुए हैं। सेज ने घरेलू और विदेशी दोनों ही निवेशकों को आकर्षित किया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने, नई गतिविधियों को अंजाम देने, उपभोग पद्धति और सामाजिक जीवन में बदलाव तथा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य मानव विकास सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए सेज स्थानीय इलाकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सफल रहे हैं।

सेज के संबंध में बनी बाबा कल्याण समिति ने सुझाव दिया है कि एसईजेड के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा पर्यटन और वित्तीय सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए, जिसे सरकार द्वारा अमल में लाने की आवश्यकता है। ■

7. किचन गार्डन : जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक उपकरण

प्र. किचन गार्डन से आप क्या समझते हैं? भारत के संदर्भ में इसके महत्त्व को बताते हुए इसको सशक्त करने के उपाय सुझाइए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

हाल ही में वैज्ञानिकों ने माना है कि किचन, गैलरी, छत व बगीचे में फल और सब्जियां उगाना पर्यावरण के लिए अनुकूल है। दरअसल यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक हथियार साबित हो सकता है। इसलिए किचन गार्डन की उपयोगिता कई मायनों में महत्वपूर्ण हो गई है।

किचन गार्डन का महत्त्व

- **पोषण महत्ता:** फल एवं सब्जियां मानव आहार के मुख्य घटक हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों एवं लवणों के मुख्य स्त्रोत होने के कारण इन्हें संरक्षी खाद्य पदार्थ तथा स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है।
- **आर्थिक महत्ता:** यह सर्वविदित है कि कुल पारिवारिक आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्च होता है। विगत कुछ वर्षो में कृषि आदानों (बीज, उर्वरकों, सिंचाई, उत्पादों के पीड़ानाशकों) के साथ-साथ परिवहन एवं संग्रहण लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण फल एवं सब्जियों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण वांछित मात्रा में इन कृषि उत्पादों का उपयोग एक सामान्य आय वाले परिवार के लिये कठिन हो रहा है।

पर्यावरण महत्ता

- पर्यावरणीय प्रदूषण वर्तमान समय की एक ज्वलंत समस्या है। वायु तथा जल प्रदूषण पर्यावरण सम्बन्धित मुख्य समस्या है। वायु प्रदूषण को कम करने में पौधों की महत्ता सर्वविदित है तथा घरेलू स्तर पर किचन गार्डनिंग लगाकार वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण की एक अन्य मुख्य समस्या घरेलू स्तर पर उत्पादित अपशिष्ट (Waste) पदार्थ है। गृह स्तर पर उत्पादित इन अपशिष्ट पदार्थों जैसे-रसोई जनित अपशिष्ट पदार्थ, घरेलू स्तर पर उपयोग किये गये जल एवं कूड़ा-करकट को समन्वित पुन:चक्रण द्वारा किचन गार्डनिंग में उपयोग में लाया जा सकता है।

सरकारी प्रयास

- हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल-पोषण (रसोई) उद्यान की शुरूआत की है, जो छात्रों को फल और सब्जियों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही छात्रों को अपने घरों में फलों और सब्जियों की खेती करने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

आगे की राह

- कुल मिलाकर, कहा जा सकता है कि किचन गार्डनिंग पारिवारिक स्तर पर पोषण को सुनिश्चित करने के साथ-साथ, आर्थिक स्वावलम्बन को बढ़ाने तथा पर्यावरणीय संरक्षण में महती भूमिका रखता है। किचन गार्डनिंग की सफलता का मूल मंत्र है कि इसके लिये स्थान, पादप प्रजातियों का चुनाव क्षेत्र की कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों तथा घरेलू स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप करते हुए इनके उत्पादन एवं संरक्षण समग्र प्रबन्धन किया जाए। ■

स्मार्ट ब्रेन बूस्टर्स

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2020

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 'कॉप-25' जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सीसीपीआई (जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक) रिपोर्ट 2020 जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऊर्जा इस्तेमाल का मौजूदा स्तर उच्च श्रेणी में (नौवें स्थान पर) है। जबकि वर्ष 2019 में वह 62.93 अंकों के साथ 11वें स्थान पर था।

सीसीपीआई क्या है

2.1 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति के बारे में स्पष्ट समझ विकसित करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने हेतु बनाया गया एक अहम उपकरण है।

2.2 इसका मुख्य उद्देश्य उन देशों पर राजनीतिक एवं सामाजिक दबाव बढ़ाना है जो अब तक, जलवायु संरक्षण पर महत्त्वाकांक्षी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।

2.3 यह रैंकिंग चार श्रेणियों- 'ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन' 'नवीकरणीय ऊर्जा', 'ऊर्जा उपयोग' तथा 'जलवायु नीति' के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी की गई है।

सीसीपीआई 2020 रैंकिंग

3.1 भारत पहली बार इस वर्ष मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) में शीर्ष दस देशों में शामिल हुआ है। इस सूचकांक में स्वीडन (75.77 अंक) चौथे स्थान पर और डेनमार्क पांचवें स्थान पर है।

3.2 चीन ने सूचकांक में अपनी रैंकिंग में मामूली सुधार करते हुए 30वां स्थान हासिल किया है। जबकि जी-20 के आठ देश सूचकांक की सबसे खराब श्रेणी (बहुत निम्न) में बने हुए हैं।

3.3 ऑस्ट्रेलिया (61वें से 56वां), सऊदी अरब और खासकर अमेरिका खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में हैं। अमेरिका पहली बार सबसे खराब प्रदर्शन (18.60 अंक) करने वाले देश में शामिल हुआ है। इस सूची में ब्रिटेन 7वें स्थान पर है।

3.4 गौरतलब है कि कोई भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किए हैं। इसलिए प्रथम तीन स्थान रिक्त रहे।

3.5 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक से पता चलता है कि कोयले की खपत में कमी समेत उत्सर्जन में वैश्विक बदलाव के संकेत दिखाई देते हैं।

3.6 रिपोर्ट के मुताबिक, 57 उच्च उत्सर्जन वाले देशों में से 31 में उत्सर्जन का स्तर कम होने के रुझान दर्ज किए गए हैं। ये देश 90 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।

भारत की स्थिति

4.1 रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भारत सरकार जीवाश्म ईंधन सब्सिडी के चरणबद्ध उन्मूलन के लिए एक रोडमैप विकसित करे, जिससे कोयले आदि पर देश की निर्भरता कम हो।

4.2 इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली चार श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन इस प्रकार है- ग्रीन हाउस गैस- 11वाँ रैंक, नवीकरणीय ऊर्जा- 26वाँ रैंक, ऊर्जा उपयोग- 9वाँ रैंक तथा जलवायु नीति- 15वाँ रैंक।

4.3 अक्षय ऊर्जा श्रेणी में भारत को समग्र मध्यम रेटिंग प्राप्त हुई है। भारत को 2030 तक अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार की जरूरत है।

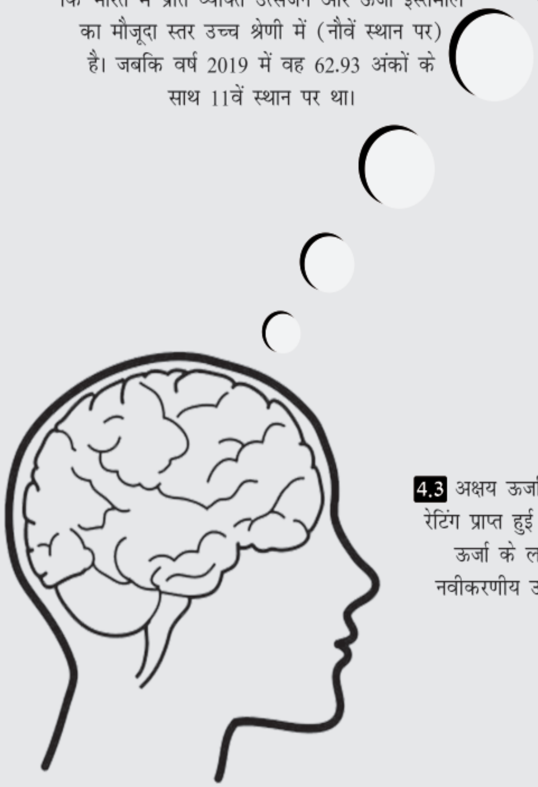

हाइड्रोजन फ्यूल सेल

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही मे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहनों के प्रदूषण से निपटने के लिए हाइड्रोजन-आधारित तकनीक की व्यवहार्यता पर गौर करने को कहा है।

1.2 उल्लेखनीय है कि जापान ने इस क्षेत्र में तेज प्रगति की है और भारत भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है।

ईंधन सेल क्या है

2.1 ईंधन सेल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बिजली उत्पन्न करने वाला एक साधन है। सकारात्मक (कैथोड) और नकारात्मक (एनोड) ईंधन सेल के दो इलेक्ट्रोड हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं इन इलेक्ट्रोडों में होती है। क्योंकि इसमें ईंधन की आपूर्ति बाहर से की जाती है, और सेल के अंदर ईंधन समाहित नहीं होती, इस प्रकार से यह सूखी सेल से भिन्न होती है।

2.2 जब तक ईंधन सेल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति मिलती रहती है, यह बिजली पैदा करती रहती है। हर सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। यह विद्युत रूप से आवेशित कणों को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाता है।

2.3 इलेक्ट्रोड्स पर रासायनिक क्रियाओं में तेजी लाने के लिए उत्प्रेरक भी शामिल किए जाते हैं। यह ईंधन सेल छोटी मात्रा में डायरेक्ट करंट (डीसी) भी उत्पन्न करता है।

ईंधन सेल के लाभ

3.1 यह ईंधन सेल पारंपरिक ईंधन की तुलना में प्रदूषण जैसे कि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करते हैं। कम वायु प्रदूषण के कारण यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है।

3.2 नये ईंधन के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग तेज करने की बात हो रही है लेकिन इसके लिए चार्जिंग प्वाइंट की आवश्यकता होती है। जबकि हाइड्रोजन ईंधन वाले वाहनों में किसी चार्जिंग की नहीं बल्कि हाइड्रोजन ईंधन की आवश्यकता होती है।

3.3 ये पारंपरिक दहन इंजनों से अच्छे व दक्ष होते हैं क्योंकि इस सेल में प्रयोग किये गये हाइड्रोजन में ऊष्मा के तौर पर जल का निर्माण होता है।

3.4 हाइड्रोजन सेल ईंधन वाहन की गति तथा माइलेज भी बहुत अधिक है क्योंकि एक बार यदि इस वाहन का टैंक भरा जाएगा तो यह लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगा जबकि इतने ही बड़े टैंक को यदि पारंपरिक ईंधन से भरा जाएगा तो वह 120 से 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा।

समस्याएं

4.1 यह पारंपरिक ईंधन से महंगा है, साथ ही इसकी व्यवस्था सभी जगहों पर नही है। चूंकि हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है अत: इसमें आग लगने की संभावना अधिक है अर्थात् सुरक्षा की दृष्टिकोण से यह काफी चुनौतीपूर्ण है।

4.2 कहा जा रहा है कि यह प्रदूषण मुक्त है लेकिन विद्वानों का कहना है कि इस ईंधन के निर्माण में जो जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है वह कहीं न कहीं वायु प्रदूषण का कारण है।

4.3 इसके लिए व्यापाक स्तर पर आधारभूत संरचना का विकास करना होगा जो कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है।

भारत में प्रगति

5.1 देश भर में प्रदूषण के मद्देनजर जीवाश्म ईंधनों के बदले बिजली अथवा बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा देने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी मकसद से 2015 में भारी उद्योग मंत्रालय ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के तहत फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम) योजना की शुरूआत की थी।

5.2 इस मिशन के तहत 2020 तक 60-70 लाख विद्युत अथवा हाइब्रिड वाहन चलाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया।

5.3 भारत में अभी तक इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में बैट्री इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने जीएसटी कर को 18% से घटाकर 12% कर किया है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाइड्रोजन ईंधन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जापान सरकार से समझौता किया है।

5.4 भारत सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक तथा हाइड्रोजन वाहनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की योजना बना रही है।

5.5 भारत सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भारत के विभिन्न प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों से संपर्क कर रही है।

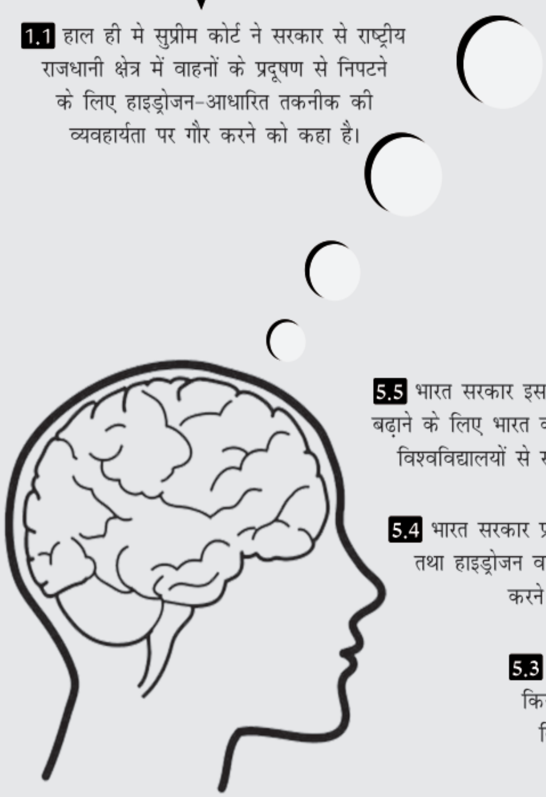

मुद्रास्फीतिजनित मंदी

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत तीव्र मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Stagflation) की तरफ बढ़ रहा है। इन अर्थशास्त्रियों में रघुराम राजन, डॉ. मनमोहन सिंह आदि प्रमुख हैं।

क्या है मुद्रास्फीतिजनित मंदी

2.1 यह अर्थव्यवस्था की वह अवस्था होती है, जिसमें आर्थिक तरक्की की रफ्तार घट जाती है और बेरोजगारी के साथ-साथ महंगाई भी ऊंचे स्तर पर रहती है जिससे कि मांग में कमी आ जाती है। इस सिद्धांत को 1960 के दशक तक मान्यता नहीं मिल पाई थी।

2.2 पहली नजर में महंगाई और बेरोजगारी का ऊंचा स्तर या धीमा विकास की स्थिति एक तरह से एक-दूसरे से उलट नजर आते हैं, लेकिन 1970 के दशक में ऐसी ही स्थिति बनी थी।

2.3 तब अर्थव्यवस्था में उत्पादन काफी घट गई थी। इस दौरान बेरोजगारी के ऊंचे स्तर पर होने के साथ-साथ महंगाई भी ज्यादा थी। मुद्रास्फीतिजनित शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार 1965 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेन मैकलॉयड द्वारा किया गया था।

चिंता का कारण

3.1 भारत की खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति नवंबर में बीते 40 माह के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। भारत की जीडीपी ग्रोथ भी बीते 6 सालों में सबसे धीमी गति से आगे बढ़ रही है।

3.2 रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, खुदरा महंगाई मुद्रास्फीति बीते माह बढ़कर 5.54% की दर पर पहुंच गई है, जोकि अक्टूबर में 4.62% के आंकड़े से ज्यादा है। अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन भी गिरकर 3.8% सालाना की दर पर पहुंच गया है। औद्योगिक उत्पादन में लगातार तीसरे माह गिरावट देखी गई है।

3.3 इसके अलावा अन्य तीन बड़े क्षेत्र- खनन, विनिर्माण और बिजली उत्पादन में भी गिरावट आयी है। सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए आंकड़ों से इसकी पुष्टि हुई है।

3.4 बता दें कि 2008 में आयी वैश्विक मंदी के बाद से औद्योगिक उत्पादन में आयी यह सबसे बड़ी गिरावट है।

क्या भारत में वास्तविक मंदी है

4.1 हालांकि वर्तमान घटनाओं से देश की अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीतिजनित मंदी की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है लेकिन जानकारों का मानना है कि अभी भी अर्थव्यवस्था की स्थिति चिंताजनक नहीं कहा जा सकता है, इसके तीन व्यापक कारण हैं-

4.1.1 यह सही है कि विकासदर उस गति से नहीं बढ़ पा रही है जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में रहा है। फिर भी भारत का विकास दर 5 से 6% है और इसमें आने वाले वर्षों में तेजी की उम्मीद है। विदित हो कि पिछले कुछ वर्षों से भारत का विकास दर 10% से ऊपर रहा था।

4.1.2 देश की जीडीपी वर्ष दर वर्ष आगे की तरफ बढ़ रही है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की विकास दर रूक गई है।

4.1.3 विद्वानों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति ऊंची रही है, हालांकि यह अस्थायी है क्योंकि यह बेमौसम बारिश के कारण हुई कुछ फसलों के नुकसान का परिणाम है।

4.2 विदित हो कि खुदरा महंगाई दर जो आरबीआई (RBI) द्वारा 4% वार्षिक निर्धारित है, से अभी भी बहुत अधिक नहीं है। इसलिए स्थिति चिंताजनक नहीं है।

4.3 अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह कुछ महीनों के लिए उछाल है इसमें जल्द ही कमी आ जाएगी। क्योंकि बेहतर खाद्य प्रबंधन से मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है।

डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोलान्ड ट्रंप के खिलाफ हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सत्ता के दुरुपयोग हेतु महाभियोग का प्रस्ताव अमेरिकी हाउस में 197 के मुकाबले 229 मतों से पास हो गया है।

1.2 इस तरह, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प देश के इतिहास में तीसरे ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनपर महाभियोग लगाया गया है।

आरोप क्या हैं

2.1 डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध पहला आरोप सत्ता का दुरुपयोग करना है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप पर यूक्रेन पर 2020 के आम चुनावों में उनके संभावित राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन को बदनाम करने हेतु दबाव बनाने का आरोप है।

2.2 डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरा आरोप महाभियोग मामले में सदन की जांच में सहयोग नहीं करने का है।

अमेरिका में महाभियोग

3.1 डोनाल्ड ट्रम्प से पहले दो और अमेरिकी राष्ट्रपतियों के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने साल 1974 में हटाए जाने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।

3.2 वहीं, साल 1868 में एंड्रयू जॉनसन और साल 1998 में बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आयोजित की गई थी, लेकिन दोनों नेता अपनी सीटों को बचाने में कामयाब रहे।

3.3 बता दें कि अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के पास बहुमत नहीं है, यही कारण है कि अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरा हो सकता है।

3.4 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कुल 435 सदस्य हैं, जिनमें 233 डेमोक्रेट्स के, जिनमें स्पीकर नैन्सी पॉवेल भी शामिल हैं। वहीं, रिपब्लिकन पार्टी के पास सिर्फ 197 सदस्य हैं। एक सदस्य निर्दलीय है, जबकि चार सीटें खाली हैं।

महाभियोग लगाने का आधार और प्रक्रिया

4.1 अमेरिकी संविधान के अनुसार, प्रतिनिधि सभा में बहुमत के बाद राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव तब लाया जाता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति पर राजद्रोह, रिश्वत या उच्च-श्रेणी के अपराधों में शामिल होने का संदेह होता है।

4.2 सदन की न्यायिक समिति इन आरोपों की जांच करती है और फिर समिति की सहमति के बाद आरोप तय किए जाते हैं। उसके बाद, इन आरोपों पर सदन की ओर से मतदान होता है। उपर्युक्त आरोपों पर प्रतिनिधि सभा में वोटिंग होती है। अगर वोटिंग महाभियोग के पक्ष में होती है तो कार्यवाही सीनेट को सौंप दी जाती है।

4.3 सीनेट को महाभियोग के तहत राष्ट्रपति के दोषी पाए जाने पर उसे पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। जब राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही की अध्यक्षता की जाती है।

4.4 रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव पर बहुमत के लिए 51% वोट की जरूरत होती है। (ट्रम्प के खिलाफ 52.87% वोट पड़े) सीनेट में प्रस्ताव के पक्ष में यदि दो तिहाई (67%) से ज्यादा वोट पड़ते हैं तो ट्रम्प को राष्ट्रपति पद छोड़ना होगा।

प्रभाव

5.1 महाभियोग की इस कार्रवाई का ट्रम्प पर असर हो न हो, लेकिन उनकी पार्टी पर इसका असर पड़ सकता है।

5.2 इसके पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन के विरुद्ध क्रमश: 1868 और 1998 में महाभियोग चला। नतीजा- उनकी पार्टी को अगले चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ट्रम्प से उनकी पार्टी पर फिर वही खतरा है।

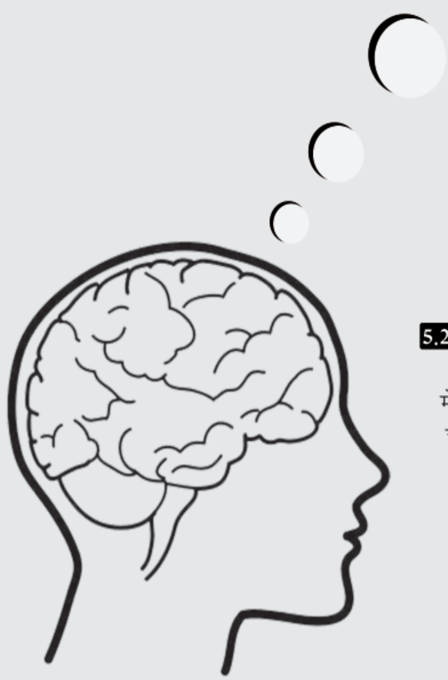

वैश्विक शरणार्थी मंच

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में वैश्विक शरणार्थी मंच (Global Refugee Forum) की पहली बैठकका आयोजन जिनेवा में संपन्न हुआ। दुनिया भर में बड़ी संख्या में हुए विस्थापनके लगभग एक दशक की स्थिति पर विचार करने के लिए पहली बार इस तरह का कोई सम्मेलन हुआ है।

सम्मेलन की मुख्य बातें

2.1 संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 7 करोड़ लोग जबरन विस्थापित हैं। ये संख्या 20 वर्ष पहले की तुलना में दो गुना ज्यादा है। इनमें से भी सिर्फ एक साल में 23 लाख लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए हैं।

2.2 2.5 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी ऐसे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीयसीमाओं के भी पार जाना पड़ा है और जो अपने घरों को वापस लौटने के योग्य नहीं हैं।

2.3 महासचिव ने शरणार्थियों की मदद करने के लिए बनाए गए दशकों से मौजूद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के संदर्भ में कहा कि शरणार्थियों की मदद के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं की प्रासंगिकता को आज के दौर में फिर से स्थापित करने की जरूरत है, और ये कार्य 1951 की शरणार्थी संधि व 1967 के प्रोटोकॉल पर आधारित हो।

2.4 स्कूल जाने की उम्र वाले आधे से ज्यादा शरणार्थी बच्चे कक्षाओं में नहीं हैं और वर्ष 2018 के अंत तक एक लाख 38 हजार अकेले या अभिभावकों से अलग हो गए बच्चे यात्रा कर रहे थे।

2.5 ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार, 'यह हिस्सा फिर भी दुनिया की आबादी का बहुत कम यानी लगभग 3.5 प्रतिशत है- मतलब ये कि इसमें दुनिया के लगभग 96.5 प्रतिशत लोगों की वो आबादी शामिल नहीं हैं जो ये मानते हैं कि वो वहीं रह रहे हैं जहां वो पैदा हुए थे।'

शरणार्थी मंच और भारत

3.1 **संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन 1951 तथा 1967, जो शरणार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा करना है, का भारत हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है।**

3.2 **भारत में कोई भी राष्ट्रीय शरणार्थी सुरक्षा ढाँचा नही है फिर भी विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत भारत ने बड़ी संख्या में शरणार्थियों को शरण प्रदान किया है।**

वैश्विक शरणार्थी मंच

4.1 वैश्विक शरणार्थी मंच अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्त्वों के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए 'वैश्विक शरणार्थी समझौते' को कार्यान्वित करता है।

4.2 यह मंच विभिन्न देशों के मध्य शरणार्थियों की समस्या के निदान के लिये प्रभावशाली योगदानों व प्रतिबद्धताओं को प्रस्तुत करता है।

4.3 यह यूएनएचआरसी द्वारा प्रबंधित एक मंच है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटाकर 'वैश्विक शरणार्थी समझौते' के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है।

4.4 जीसीआर की स्थापना शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए न्यूयॉर्क घोषणा 2016 के उपरांत की गई थी। इसके चार प्रमुख उद्देश्य हैं-

4.4.1 मेजबान देशों पर दबाव को कम करना।

4.4.2 शरणार्थी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना।

4.4.3 सुरक्षा और सम्मान को बनाये रखने के लिए मूल देशों से संपर्क

4.4.4 इनकी समस्याओं के समाधान के लिए तीसरे देशों की मध्यस्थता को स्वीकार करना।

भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता

सुर्खियों में क्यों

1.1 भारत अमेरिका के साथ दूसरी 2+2 वार्ता का आयोजन 18 दिसम्बर, 2019 को वाशिंगटन में किया गया। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा अमेरिका की ओर से सचिव माइकल पोम्पियो और अमेरिका के रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने हिस्सा लिया।

मुख्य बिंदु

2.1 इस बैठक में विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों, और आपसी सामरिक तथा सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गयी।

2.2 इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा तकनीक हस्तांतरण के लिए औद्योगिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके अतिरिक्त अन्तरिक्ष व रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

2.3 सुरक्षा तकनीक व व्यापार पहल के तहत तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। इस बैठक के दौरान जल संसाधन को लेकर दोनों देशों ने MoU पर सहमति प्रकट की।

2+2 वार्ता क्या है

3.1 जब दो देश दो-दो मंत्रिस्तरीय वार्ता में शामिल होते हैं तो इसे विदेश नीति के संबंध में 2+2 वार्ता कहा जाता है। सामान्य तौर पर 2+2 वार्ता में दोनों देशों की तरफ से उनके विदेश और रक्षा मंत्री हिस्सा लेते हैं।

3.2 वर्ष 2010 में भारत और जापान के बीच भी इस तरह की वार्ता हो चुकी है। यह भारत-जापान के 2+2 संवाद पर आधारित है जिसमे दोनों देशों के विदेश मंत्री व सचिव तथा रक्षा मंत्री व सचिव हिस्सा लेते हैं।

3.3 इस संवाद का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग को बढ़ावा देना है और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और शांति को बनाये रखना है। इस संवाद में सामरिक, रक्षा तथा रक्षा सम्बन्ध चर्चा के केंद्र बिंदु थे।

भारत-अमेरिका के बीच समझौते

4.1 अमेरिका और भारत ने द्विपक्षीय संबधों में रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा के लिए सालाना संसदीय संपर्क शुरू करने की घोषणा की है। यह संपर्क वर्ष 2020 में शुरू होगा।

4.2 इस पहल के तहत मंच के सदस्य और भारतीय सांसद हर दूसरे वर्ष एक दूसरे के देश में जाएंगे और द्विपक्षीय संबंधों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

4.3 दोनों देशों ने औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध (आईएसए) पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारतीय और अमेरिकी रक्षा उद्योगों के बीच वर्गीकृत सैन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा।

4.4 दो देशों ने रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI), उद्योग सहयोग मंच समझौते और DTTI मानक संचालन प्रक्रिया (SIT) पर भी हस्ताक्षर किए।

4.5 DTTI रक्षा तकनीकी और औद्योगिक सहयोग पर भारत-अमेरिका उद्योग संवाद को विकसित करने और बनाए रखने के लिए एक स्थायी तंत्र प्रदान करेगा

क्यों अहम है 2+2 वार्ता

5.1 यह वार्ता न सिर्फ सांकेतिक रूप से दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके जरिए दोनों ही देश अपने मनमुटाव दूर करने की कोशिश करते हैं।

5.2 एशिया-प्रशांत में चीन का दबदबा बढ़ रहा है। चीन और अमेरिका के संबंध कड़वे हैं। ऐसे में अमेरिका को चीन का मुकाबला करने हेतु भारत से ज्यादा सक्षम देश कोई और नजर नहीं आता, इसलिए अमेरिका भारत को अपनी ओर करना चाहता है।

5.3 ऐसे में ये वार्ता दोनों देशों के लिए अपने-अपने हितों को जाहिर करना और सामने वाले की स्थिति भांपने के लिए काफी अहम है।

5.4 टू प्लस टू वार्ता की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि अमेरिका इस तरह का साझा विमर्श अभी तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ करता है। इन दोनों देशों को वह अपने रणनीतिक मामलों के लिए बेहद अहम मानता है।

जनसंख्या स्थिरीकरण

सुर्खियों में क्यों

1.1 **हाल ही में** नीति आयोग ने जनसंख्या स्थिर रखने के उपायों पर चर्चा तथा इसके लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए नयी दिल्ली में ''जनसंख्या स्थिरीकरण की सोच को साकार करने: किसी को पीछे नहीं छोड़ने'' विषय पर पॉपुलेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर एक सलाहकार सम्मेलन आयोजित किया।

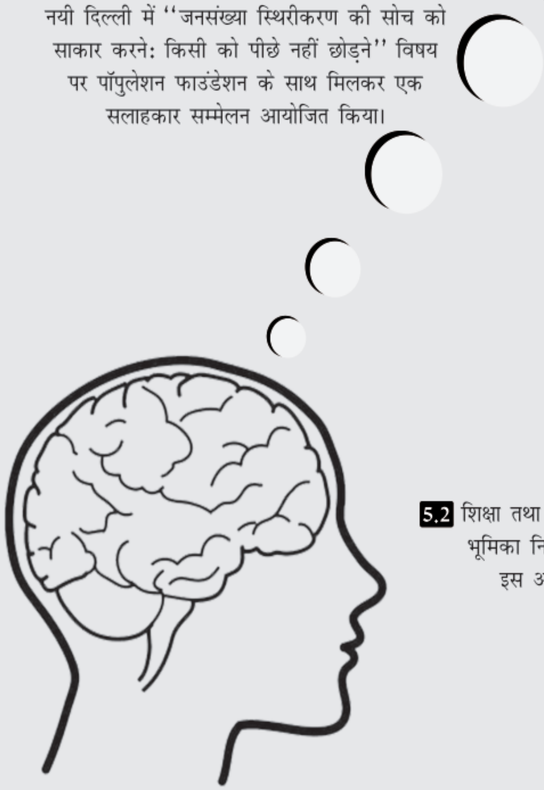

प्रमुख सुझाव

2.1 गर्भनिरोधकों के विकल्प बढ़ाना, बच्चों के बीच जन्म के अंतर को बढ़ाना तथा महिलाओं को गर्भाधान में देरी के तरीकों तथा बच्चों के जन्म के बीच अंतर को बढ़ाने के तौर तरीकों की जानकारी देना।

2.2 विवाह और यौन संबंधों की प्रथाओं के बारे में स्वास्थ्य और उम्र संबधित चयनित सामाजिक निर्धारकों की जानकारी देना।

2.3 परामर्श सेवाओं सहित देखभाल सेवाओं को बेहतर बनाने दवाओं के दुष्प्रभावों के बेहतर प्रबंधन और परिवार नियोजन सहायता।

2.4 देश की तीस प्रतिशत युवा आबादी की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन योजना के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाना।

2.5 अभिनव व्यवहार-परिवर्तन संचार रणनीतियों में बड़े पैमाने पर निवेश करके गर्भनिरोधक के लिए मौजूदा सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को संबोधित करना।

2.6 अंतर-विभागीय अभिसरण को बढ़ावा देने और बहुपक्षीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण और परिवार नियोजन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में लेना।

वर्तमान स्थिति

3.1 विशाल जनसंख्या के साथ भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। देश में जन्म दर में गिरावट आ रही है लेकिन इसके बावजूद जनसंख्याओं की दर बढ़ रही है क्योंकि देश की तीस फीसदी से ज्यादा आबादी युवा और प्रजनन आयु वर्ग की है।

3.2 देश में इस समय करीब तीन करोड़ विवाहित महिलाएं हैं जिनकी उम्र 15 से 49 वर्ष के बीच है जिनके लिए गर्भनिरोधक उपायों और विकल्पों की काफी जरुरत है। परिवार नियोजन को सार्वभौमिक रूप से सबसे बेहतर विकास निवेश माना जाता है।

3.3 भारत को अपने सतत विकास लक्ष्यों और आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि लोगों तक गर्भनिरोधकों और गुणवत्ता वाली परिवार नियोजन सेवाओं की पहुंच बन सके।

चुनौतियाँ

4.1 किसी भी देश की स्वस्थ और शिक्षित जनसंख्या उसके लिये मानव पूँजी (Human Capital) के रूप में वरदान का काम करती हैं लेकिन यदि जनसंख्या इतनी बढ़ जाये कि देश के सभी नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि) का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाए तो यही जनसंख्या उसके लिये अभिशाप बन जाती है।

4.2 जून 2019 में यू.एन. द्वारा जारी द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2019: हाइलाइट्स (The World Population Prospects 2019: Highlights) नामक एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2027 तक भारत, चीन को पछाड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।

4.3 इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के स्वास्थ्य, युवा रोजगार, वृद्धों की देखभाल से लेकर बढ़ती शहरी आबादी के दबाव आदि को नियंत्रित करना देश के लिये एक बड़ी चुनौती है।

आगे की राह

5.1 जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जागरूकता सबसे बेहतर विकल्प है। अत: सरकार व समाज दोनों को इस पर मिलकर काम करना होगा।

5.2 शिक्षा तथा रोजगार जसंख्या स्थिरीकरण में कारगर भूमिका निभा सकते हैं इसलिए सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2020

प्र. जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति के बारे में स्पष्ट समझ विकसित करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने हेतु बनाया गया एक अहम उपकरण है।
2. इस सूचकांक में भारत को इस वर्ष 9वाँ स्थान मिला है।
3. यह रैंकिंग चार श्रेणियों- 'ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन' 'नवीकरणीय ऊर्जा', 'ऊर्जा उपयोग' तथा 'जलवायु नीति' के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी की गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 'कॉप-25' जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सीसीपीआई (जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक) रिपोर्ट 2020 जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऊर्जा इस्तेमाल का मौजूदा स्तर उच्च श्रेणी में (नौवें स्थान पर) है। जबकि वर्ष 2019 में वह 62.93 अंकों के साथ 11वें स्थान पर था। यह रैंकिंग चार श्रेणियों- 'ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन' 'नवीकरणीय ऊर्जा', 'ऊर्जा उपयोग' तथा 'जलवायु नीति' के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी की गई है। इस प्रकार सभी कथन सही हैं। ■

2. हाइड्रोजन फ्यूल सेल

प्र. हाइड्रोजन फ्यूल सेल के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह ईंधन सेल पारंपरिक ईंधन की तुलना में प्रदूषण कम करते हैं।
2. ये पारंपरिक दहन इंजनों से अच्छे व दक्ष होते हैं क्योंकि इस सेल में प्रयोग किये गये हाइड्रोजन में ऊष्मा के तौर पर जल का निर्माण होता है।
3. सरकार द्वारा 2020 तक 60-70 लाख विद्युत अथवा हाइब्रिड वाहन चलाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहनों के प्रदूषण से निपटने के लिए हाइड्रोजन-आधारित तकनीक की व्यवहार्यता पर गौर करने को कहा है। यह ईंधन सेल पारंपरिक ईंधन की तुलना में प्रदूषण जैसे कि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करते हैं। कम वायु प्रदूषण के कारण यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। सरकार 2020 तक 60-70 लाख विद्युत अथवा हाइब्रिड वाहन चलाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार सभी कथन सही हैं। ■

3. मुद्रास्फीतिजनित मंदी

प्र. मुद्रास्फीतिजनित मंदी के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह अर्थव्यवस्था की वह अवस्था होती है, जिसमें आर्थिक तरक्की की रफ्तार घट जाती है।
2. इस दौरान बेरोजगारी के साथ-साथ महंगाई भी ऊंचे स्तर पर रहती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत तीव्र मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Stagflation) की तरफ बढ़ रहा है। यह अर्थव्यवस्था की वह अवस्था होती है, जिसमें आर्थिक तरक्की की रफ्तार घट जाती है और बेरोजगारी के साथ-साथ महंगाई भी ऊंचे स्तर पर रहती है जिससे कि मांग में कमी आ जाती है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। ■

4. डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव

प्र. अमेरिका में महाभियोग प्रस्ताव के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के इतिहास में पाँचवें ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर महाभियोग लगाया गया है।
2. अमेरिका में महाभियोग प्रस्ताव पर बहुमत के लिए 51% वोट की जरूरत होती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प देश के इतिहास में तीसरे ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर महाभियोग लगाया गया है। रिप्रजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव पर बहुमत के लिए 51% वोट की जरूरत होती है। (ट्रम्प के खिलाफ 52.87% वोट पड़े)। सीनेट में प्रस्ताव के पक्ष में यदि दो तिहाई (67%) से ज्यादा वोट पड़ते हैं तो ट्रम्प को राष्ट्रपति पद छोड़ना होगा। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ■

5. वैश्विक शरणार्थी मंच

प्र. वैश्विक शरणार्थी मंच के सन्दर्भ में गलत कथन का चयन करें-

(a) संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन 1951 तथा 1967, जो शरणार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, का भारत हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है।

(b) वैश्विक शरणार्थी मंच पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल जाने की उम्र वाले सभी शरणार्थी बच्चे कक्षाओं में नहीं पहुंच पाते हैं।

(c) वैश्विक शरणार्थी मंच 'वैश्विक शरणार्थी समझौते' को कार्यान्वित करता है।

(d) यह मंच विभिन्न देशों के मध्य शरणार्थियों की समस्या के निदान के लिये प्रभावशाली योगदानों व प्रतिबद्धताओं को प्रस्तुत करता है।

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में वैश्विक शरणार्थी मंच (Global Refugee Forum) की पहली बैठक का आयोजन जिनेवा में संपन्न हुआ। दुनिया भर में बड़ी संख्या में हुए विस्थापन के लगभग एक दशक की स्थिति पर विचार करने के लिए पहली बार इस तरह का कोई सम्मेलन हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्कूल जाने की उम्र वाले आधे से ज्यादा शरणार्थी बच्चे कक्षाओं में नहीं हैं और वर्ष 2018 के अंत तक एक लाख 38 हजार अकेले या अभिभावकों से अलग हो गए बच्चे यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार कथन (b) गलत है। ■

6. भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता

प्र. भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत-अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता का आयोजन 18 दिसम्बर, 2019 को वाशिगंटन में किया गया।
2. जब दो देश दो-दो मंत्रिस्तरीय वार्ता में शामिल होते हैं तो इसे विदेश नीति के संबंध में 2+2 वार्ता कहा जाता है।
3. इस संवाद का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः भारत अमेरिका के साथ दूसरी 2+2 वार्ता का आयोजन 18 दिसम्बर, 2019 को वाशिंगटन में किया गया। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा अमेरिका की ओर से सचिव माइकल पोम्पियो और अमेरिका के रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने हिस्सा लिया। जब दो देश दो-दो मंत्रिस्तरीय वार्ता में शामिल होते हैं तो इसे विदेश नीति के संबंध में 2+2 वार्ता कहा जाता है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं। ■

7. जनसंख्या स्थिरीकरण

प्र. जनसंख्या स्थिरीकरण के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें-

(a) नीति आयोग ने जनसंख्या स्थिर रखने के उपायों पर चर्चा तथा इसके लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए मुम्बई में एक सलाहकार सम्मेलन आयोजित किया।

(b) इसका उद्देश्य विवाह और यौन संबंधों की प्रथाओं के बारे में स्वास्थ्य और उम्र संबधित चयनित सामाजिक निर्धारकों की जानकारी देना है।

(c) इसका उद्देश्य देश की तीस प्रतिशत युवा आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन योजना के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाना।

(d) देश में इस समय करीब तीन करोड़ विवाहित महिलाएँ हैं जिनकी उम्र 15 से 49 वर्ष के बीच है।

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में नीति आयोग ने जनसंख्या स्थिर रखने के उपायों पर चर्चा तथा इसके लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए नयी दिल्ली में ''जनसंख्या स्थिरीकरण की सोच को साकार करनेः किसी को पीछे नहीं छोड़ने'' विषय पर पॉपुलेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर एक सलाहकार सम्मेलन आयोजित किया। इस प्रकार कथन (a) गलत है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका द्वारा घोषित साझा मुद्रा का क्या नाम है?

-ईसीओ (ECO)

2. हाल ही में किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा की है?

-पुर्तगाल

3. हाल ही में समाचारों में रहा 'उर्सिडस' क्या है?

-उल्का बौछार

4. कौन सा देश वर्ष 2020 में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक काँग्रेस की मेजबानी करेगा?

-भारत

5. बहुउद्देशीय भारत वंदना पार्क कहाँ बनाया जा रहा है?

-नई दिल्ली

6. दोहा में संपन्न 6ठे कतर इंटरनेशनल कप में 49 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पद किसने जीता?

-मीराबाई चानू (वेटलिफ्टर)

7. हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों की कक्षा 5, 8, 10 और 12वीं में 100 प्रतिशत परिणाम प्राप्त करने के लिए 'मिशन प्रतिशत' शुरू किया है?

-पंजाब

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. वर्तमान में कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत मुद्रास्फीतिजनित मंदी की तरफ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इससे आप कितना सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दें।

2. हाल ही में 19वें भारत-ईरान संयुक्त आयोग की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के संदर्भ में भारत-ईरान संबंधों की चर्चा करें।

3. हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान द्वारा किए गये सर्वेक्षण से पता चला है कि मैक्रोप्लास्टिक तथा माइक्रोप्लास्टिक भारत के पश्चिमी तट के वातावरण को बुरी तरह प्रदूषित कर रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए उचित उपाय सुझाये।

4. जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ तब तक कारगर नहीं हो सकती हैं, जब तक कि नागरिक समाज द्वारा खुद इसका पहल नहीं किया जाता। चर्चा करें।

5. हाल ही में विश्व के कई बड़ी कंपनियों पर बाल मजदूरी (श्रम) का आरोप लगा है। बाल मजदूरी के कारणों तथा उसके समाधान के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करें।

6. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वैश्विक शरणार्थी मंच की पहली बैठक का आयोजन जिनेवा में किया गया। विश्व स्तर पर शरणार्थियों की स्थिति में सुधार के लिये अपनाये गये महत्वपूर्ण अभिसमय एवं संधियों की चर्चा करें।

7. हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रदर्शन पिछले वर्ष (108वाँ) की तुलना में इस वर्ष (112वाँ) गिरा है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद लैंगिक प्रदर्शन गिरता जा रहा है। इसके कारणों का उल्लेख करें।

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. सिल्वर लाइन परियोजना

केरल के तिरुवनंतपुरम से कासरागोड के बीच सेमी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इस कॉरिडोर की लंबाई 540 किलोमीटर रहेगी और इसे बनाने में करीब 66 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

इस हाईस्पीड कॉरिडोर को सिल्वर लाइन नाम दिया गया है। यह कॉरिडोर केरल सरकार और रेल मंत्रालय का संयुक्त उद्यम होगा। कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार, इस ट्रैक पर ट्रेनें 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इस कॉरिडोर को 2024 तक पूरा करने की डेडलाइन तय की गई है।

इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद तिरुवंनतपुरम और कासरागोड के बीच की दूरी तय करने का समय 12 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। यह कॉरिडोर केरल के 14 में 11 जिलों से होकर गुजरेगा। प्रोजेक्ट के पहले चरण के पूरा होने के बाद यात्री किराया 2.75 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया गया है। इस प्रोजेक्ट से करीब 50 हजार नौकरियां पैदा होने का अनुमान जताया गया है।

केरल कैबिनेट ने करीब एक साल तक फिजिबिलिटी अध्ययन के बाद इस प्रोजेक्ट के निर्माण को हरी झंडी दिखाई है। इस परियोजना में स्वच्छ ऊर्जा और कम उत्सर्जन वाले निर्माण उपकरणों के उपयोग जैसी कई पर्यावरण के अनुकूल विशेषताएं भी शामिल होंगी। ■

2. फ्यूचर स्किल्स प्राइम

केंद्र सरकार ने अगले तीन सालों में 4 लाख पेशेवरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 436 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की घोषणा की है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सॉफ्टवेयर कंपनियों का संगठन NASSCOM मिलकर "फ्यूचर स्किल्स प्राइम" नाम से इस कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे, जिसके जरिए देश में मौजूद प्रतिभाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकी के महत्व को बढ़ाएगे। इस कार्यक्रम के चालू होने से रोजगार में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

विदित हो कि पिछले चरण में, कौशल कार्यक्रम के तहत दो लाख आईटी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था। भारत ऐसे समय में डिजिटल कौशल को बढ़ाने में तेजी ला रहा है जब कहा जा रहा है कि 2030 तक दुनिया भर में 9 करोड़ कुशल लोगों की जरूरत होगी।

देश की दिग्गज आईटी कंपनियों ने इस चुनौती को देखते हुए अपने कर्मचारियों को नई प्रौद्योगिकी के बारे में सिखाने और कौशल उन्नयन के लिए हर साल 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश कर रही हैं। ऐसे में सरकार की यह पहल उद्योग की जरूरतों और सरकारी मानकों के अनुरूप शिक्षार्थियों के मूल्यांकन और प्रमाणन को भी सक्षम बनाएगी। इसके तहत प्रत्येक शिक्षार्थी को एक स्किल पासपोर्ट भी मिलेगा, जहां शिक्षार्थी द्वारा अधिग्रहित योग्यताएं संचित हो जाएंगी, और एक स्किल वॉलेट, जहाँ उसे भारत सरकार से प्रमाणन के लिए प्रोत्साहन के रूप में 12,000 रुपये तक प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

आईटी मंत्रालय एवं उद्योग संघ के साझा दक्षता पहल, 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम कार्यक्रम के शुभारंभ पर बोलते हुए, नासकॉम के अध्यक्ष देबजानी घोष ने बताया कि हमारे स्टार्टअप भी रोजगार पैदा कर रहे हैं, केवल प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने इस वर्ष में 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं।'' आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नैसकॉम के अनुसार, शीर्ष आईटी कंपनियों ने लोगों को काम पर लगाना जारी रखा है। ''नैसकॉम प्रमुख के अनुसार शीर्ष 15 कंपनियों ने 1,00,000 लोगों को रोजगार दिया है।'' उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर, आईटी क्षेत्र में 41 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और एक करोड़ 2.5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। ■

3. जलसाथी कार्यक्रम

ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 'जलसाथी' नामक कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत महिला स्वयंसेवकों को जल गुणवत्ता परीक्षण किट तथा पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन बांटी गयीं और इन महिलाओं को जलसाथी नाम दिया गया।

जलसाथी कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के लिए वाटर कारपोरेशन ऑफ ओडिशा (WATCO) तथा भुवनेश्वर महिला संघ के

बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे। शुरू में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन भुवनेश्वर नगर निगम के 8 वार्ड में किया जायेगा। बाद में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य के अन्य हिस्सों में भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के शहरी हिस्सों में लगभग 70 लाख लोगों को लाभ होगा।

जलसाथी कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के सभी घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह उम्मीद की जाती है कि पाइप जलापूर्ति के लिए मिशन जलसाथी में महिला स्वयंसेवकों को शामिल करने से उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। जलसाथी उपभोक्ताओं और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन (PHEO) के बीच संबंध का काम करेंगी। जलसाथी पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने, नए पानी के कनेक्शन की सुविधा देने, कनेक्शन नियमित करने, मांगों के पुन: निर्धारण, मीटर रीडिंग, बिल वितरण, बिल निर्माण, जल शुल्क के संग्रह और शिकायतों के निवारण की सुविधा के लिए जिम्मेदार होगी। ■

4. होउबारा बस्टर्ड

हाल ही मे पाकिस्तान ने कतर के अमीर और शाही परिवार के नौ सदस्यों को आईयूसीएन की वल्नरेबल श्रेणी में आने वाले पक्षी होउबारा बस्टर्ड का शिकार करने के लिए विशेष परमिट जारी किए हैं। जिन जगहों पर इन पक्षियों का शिकार किया जा सकता है वे क्षेत्र सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत में आते हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक एक नवंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 के बीच 10 दिनों की सफारी में 100 होउबारा बस्टर्ड का शिकार किया जा सकता है।

जिन लोगों को परमिट जारी किया गया है उनमें तेल समृद्ध खाड़ी देश कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी, और उनके परिवार के लोग शामिल हैं। खास बात यह है कि इस कदम के खिलाफ बढ़ती आलोचनाओं के बावजूद पाकिस्तान खाड़ी देशों के शाही परिवारों के सदस्यों को हर साल इन पक्षियों का शिकार करने का परमिट जारी करता है।

होउबारा बस्टर्ड के शिकार का प्रयोग पाकिस्तान अरसे से खाड़ी देशों से अपने हितों को साधने के लिए करता रहा है। बता दें कि अपनी घटती आबादी के मद्देनजर यह प्रवासी पक्षी न केवल विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत संरक्षित हैं, बल्कि स्थानीय वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत इसके शिकार पर भी प्रतिबंध है। पाकिस्तानियों को इस पक्षी का शिकार करने की अनुमति नहीं है। होउबारा बस्टर्ड पक्षी शर्मीला, लेकिन खूबसूरत होता है और आकार में टर्की चिड़िया जैसा दिखता है। हर साल सर्दियों में ये मध्य एशिया से उड़कर पाकिस्तान आते हैं। इस पक्षी को वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय संधि (बॉन संधि) में शामिल किया गया है। इन पक्षियों का शिकार बाज की मदद से किया जाता है। पिछले दशकों में होउबारा बस्टर्ड की संख्या शिकार और उनकी रिहायशी जगहों के सिकुड़ने के कारण तेजी से कम हुई है, इसीलिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आइयूसीएन) ने भी इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में 'आसानी से शिकार किए जा सकने' वाला पक्षी घोषित किया है। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। ■

5. इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप

भारतीय सेना अब नई रणनीति के तहत बड़ी फॉर्मेशन के बजाए छोटी फॉर्मेशन बनाने पर ज्यादा जोर देगी। 2020 के अंत तक भारतीय सेना के 13 आईबीजी यानि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स (Integrated Battle Groups) तैयार हो जाएंगे। इनमें से 4 को पाकिस्तान की सीमा पर और 9 चीन की सीमा पर तैनात किए जायेंगे। आईबीजी सेना की किसी डिवीजन से छोटी लेकिन एक ब्रिगेड से बड़ी होंगी। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स (Integrated Battle Groups) सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की उस योजना का हिस्सा हैं जिसमें सेना का पुर्नगठन किया जा रहा है।

ये माना जाता है कि अब युद्ध बहुत तेज रफ्तार से तय लक्ष्य हासिल करने के लिए लड़े जाएंगे। इस युद्धों की अवधि भी बहुत कम होगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव ज्यादा देर तक युद्ध चलने नहीं देगा। अभी भारतीय सेना कोर, डिवीजन और ब्रिगेड में बांटी जाती है।

ब्रिगेड में तीन बटालियन, डिवीजन में तीन ब्रिगेड और कोर में आमतौर पर तीन डिवीजन होती है। 'दुश्मन के इलाके में ज्यादा अंदर तक जाने के लिए कोर की जरूरत होती है लेकिन ज्यादा अंदर जाने के बजाए कम अंदर जाकर बड़ा इलाका कब्जा करना ज्यादा बेहतर है। इनके लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स (Integrated Battle Groups) जैसी फॉर्मेशन ज्यादा कारगर हैं।

क्या है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप

भारतीय सेना का कहना है कि नए दौर में युद्द लड़ने के लिए एक नए फॉर्मेशन की आवश्यकता है, जो डिविजन जितना बड़ा न हो। एक डिविजन में लगभग 14 हजार सैनिक होते हैं। आईबीजी कॉन्सेप्ट के अभ्यास के लिए सेना दल को दो हिस्सों में विभाजित कर अभ्यास करवाया जाएगा। इसमें से पहले का रोल क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन्स में आक्रमक भूमिका निभाने का होगा। वहीं दूसरा दल दुश्मन के हमले रोकने और अपने क्षेत्र का बचाव करने का काम करेगा। आर्मी इस कॉन्सेप्ट को ब्रिगेड व्यवस्था की जगह लाना चाहती है। आईबीजी खुद अपने आप में युद्ध की स्थिति से निपटने में सक्षम टीम होगी। वहीं ब्रिगेड व्यवस्था को युद्ध की स्थिति में साजो-सामान के लिए इंतजार करना पड़ता है। ब्रिगेड में कम से कम 3 से 4 यूनिट्स होती हैं। प्रत्येक यूनिट में 800 सैनिक होते हैं। वहीं आईबीजी कॉन्सेप्ट में युद्ध के सभी जरूरी सामान पर भी जोर होगा। जैसे तोप, टैंक, एयर डिफेंस आदि। भारतीय सेना अपनी पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर 11 से 13 आईबीजी की टुकड़ियां तैनात करने की योजना पर काम कर रही है। आईबीजी की आक्रमकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें टैंक की संख्या और क्वॉलिटी पर खासा ध्यान दिया गया है, जिससे वह दुश्मन की सीमा पर जाकर जमकर शक्ति प्रदर्शन कर सकें। ■

6. ट्रैस्टूजुमाब

हाल ही मे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए एक नई दवा इजात की है। इससे दुनियाभर की महिलाओं को इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सस्ता इलाज मिलना संभव हो पाएगा। इस दवा का नाम ट्रैस्टूजुमाब (Trastuzumab) है। यह एक बायोसिमिलर दवा है। इसका अर्थ यह है कि इसे जिंदा स्रोतों जैसे कोशिकाओं से बनाया गया है ना कि किसी केमिकल से। इसकी कीमत भी सामान्य दवा के मुकाबले 65 फीसदी तक कम होगी।

यह दवा पहले चरण के कैंसर से लड़ने में काफी कारगर है। साथ ही साथ कुछ मामलों में देखा गया है कि उच्च चरण के स्तन कैंसर में भी यह दवा काफी उपयोगी साबित हुई है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेडरोस घेब्रेयेसुस का कहना है कि WHO की दवा ट्रैस्टूजुमाब दुनियाभर की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है क्योंकि गरीब देशों में महगी दवाइयों के कारण इलाज काफी महंगा है। किफायती और असरदार इलाज हर महिला का अधिकार है।

हालांकि बाजार में पहले से ट्रैस्टूजुमाब दवाई के कई बायोसिमिलर उत्पाद मौजूद हैं लेकिन यह पहली दवा है जिसे WHO ने प्रमाणित किया है। जब कोई दवा या स्वास्थ्य उत्पाद WHO द्वारा प्रमाणित हो जाता है तो वह WHO की वेबसाइट पर खरीददारी के लिए उपलब्ध होता है।

2018 में करीब 21 लाख महिलाओं को स्तन कैंसर हुआ

ट्रैस्टूजुमाब को WHO की आवश्यक दवा सूची में साल 2015 में शामिल किया गया था और स्तन कैंसर के करीब 20 प्रतिशत इलाज में आवश्यक उपचार के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। साल 2018 में करीब 21 लाख महिलाओं को स्तन कैंसर हुआ था जिसमें से करीब 6 लाख 30 हजार महिलाओं की मौत बीमारी की पहचान में देरी और महंगे इलाज की वजह से हो गई। WHO की मानें तो साल 2040 तक करीब 31 लाख से भी ज्यादा महिलाएं स्तन कैंसर का शिकार होंगी और खासकर निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में मरीजों की संख्या ज्यादा होगी। ■

7. ऑपरेशन ट्विस्ट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक साथ सरकारी प्रतिभूतियों खरीदने और बेचने का फैसला किया है। इससे लंबे वक्त की ब्याज दरों के कम होने की उम्मीद है। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत रिजर्व बैंक खुला बाजार संचालन (Open market operations) के तहत 10,000 करोड़ की दीर्घावधि प्रतिभूतियों को खरीदेगा।

ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है

1961 में अमेरिका के केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व ने एक मानेटरी पॉलिसी लॉन्च की। मकसद था अमेरिकी डॉलर को मजबूत करना और इकॉनोमी में कैश फ्लो बढ़ाना। उस समय कोरियन वॉर खत्म होने के बाद, अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही थी। बाजार से छोटे कर्ज बेचे गए और उससे आए पैसों से लॉन्ग-टर्म सरकारी कर्ज खरीदे गए। जरूरत के हिसाब से बैंक शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म बॉन्ड्स खरीदता और बेच देता। मीडिया ने इस पॉलिसी को ऑपरेशन ट्विस्ट नाम दिया।

इसका फायदा ये रहा कि फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट नहीं बढ़ी। शॉर्ट-टर्म रेट्स नहीं बदले जाते थे। जब सस्ती दरों पर कर्ज दिया जाता है तो खर्च बढ़ता है और बेरोजगारी घटती है। सबसे ताजा उदाहरण 2011 में मिलता है। शॉर्ट-टर्म रेट्स पहले से जीरो थे। ऐसे में अमेरिका ने शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी सिक्यूरिटीज को बेच दिया और लॉन्गा-टर्म ट्रेजरीज खरीदीं। इससे लॉन्ग-टर्म बॉन्ड् की यील्ड्स नीचे आ गईं और इकॉनमी को बूस्टि मिला। जून 2012 में ऑपरेशन ट्विस्ट का असर इतना तगड़ा था कि 10 साल की ट्रेजरी पर यील्ड घटकर 200 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था। उस दौरान जो नौकरियां बढ़ीं, उसका क्रेडिट ऑपरेशन ट्विस्ट को मिला।

आरबीआई के कदम का औचित्य

भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019 में ब्याज दरों में पांच बार कमी कर चुका है जिससे ब्याज दरों में 135 बेसिस प्वाइंट (बीपीएस) की कमी हुई है। परंतु 10 वर्षीय सरकारी यिल्ड (सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर रिटर्न) में महज 80 बीपीएस की कमी हुयी यानी यह 7.55 प्रतिशत (फरवरी 2019) से कम होकर 19 दिसंबर को 6.75 प्रतिशत ही आया। बैंकों द्वारा दिए गए ब्याज दरों (बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार) में भी कोई अधिक कमी नहीं आयी।

चूंकि सरकारी बॉण्ड के मूल्य एवं उस पर यिल्ड विपरीत दिशाओं में चलते हैं। इसलिए बॉण्ड को खरीदने से इसके मूल्य में वृद्धि होगा परंतु इसके यिल्ड में कमी आएगी। बैंकों दूवारा दिए गए कर्ज पर ब्याज दर निर्धारण में यह यिल्ड बेंचमार्क के रुप में काम करता है। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. भारतीय औषधि कोष

- अफगानिस्तान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के औषधि नियामक तथा स्वास्थ्य उत्पादों के राष्ट्रीय विभाग ने भारतीय औषधि कोष (द इंडियन फार्माकोपिया-आईपी) को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। अफगानिस्तान भारतीय औषधि कोष (फार्माकोपिया) को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। ऐसा वाणिज्य विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रयासों से हुआ है।
- दवा और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा इसके अंतर्गत नियम 1945 के मानकों के अनुसार भारतीय औषधि कोष मान्यता प्राप्त पुस्तक है। यह शब्दकोष दवाओं की पहचान, शुद्धता और शक्ति की दृष्टि से दवाओं को बनाने और विपणन के मानकों की जानकारी देता है।
- स्वास्थ्य देखभाल की दृष्टि से औषधि की गुणवत्ता, क्षमता तथा सुरक्षा महत्वपूर्ण है। औषधीय उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इंडियन फार्माकोपिया (आईपी) के रूप में भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) द्वारा औषधियों के कानूनी और वैज्ञानिक मानक प्रदान किए गए हैं।
- औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार इंडियन फार्माकोपिया आयात की जाने वाली दवाओं/बिक्री के लिए बनाई गई दवाओं, स्टॉक या बिक्री के लिए प्रदर्शनी या वितरण के लिए अधिकारिक मानक पुस्तक है।
- आईपी आयोग का मिशन दवाओं की गुणवत्ता के लिए अधिकृत और आधिकारिक रूप से स्वीकार्य मानकों को तय करके भारत में सार्वजनिक और पशु स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना है। इसमें सक्रिय दवा अवयव, तत्व तथा खुराक, स्वास्थ्य सेवा के लोगों, मरीजों तथा उपभोक्ता द्वारा किए गए इस्तेमाल शामिल हैं। इसके लिए औषधियों के लिए मानक विकसित किए गए हैं।
- आयोग, आईपी संदर्भ तात्पर्य (आईपीआरएस) भी विकसित करता है, जो जांच के अधीन वस्तु और आईपी मोनोग्राफ में निर्धारित शुद्धता की पहचान करता है। आईपी में दिए गए मानक स्वभाविक रूप से अधिकृत हैं तथा भारत में दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नियामक प्राधिकारों द्वारा लागू किए जाते हैं।

2. नागपुर संकल्प

- हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में 'सार्वजनिक सेवा आपूर्ति में सुधार करना- सरकारों की भूमिका' पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान 'नागपुर संकल्प- नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण' को अपनाया गया। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायतें विभाग (डीएआरपीजी) और महाराष्ट्र सरकार तथा जन सेवा अधिकार के लिए महाराष्ट्र राज्य आयोग के सहयोग से आयोजित किया गया।
- अपने संबोधन में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र और त्वरित निर्णय लेना तथा सामाजिक संवेदनशीलता सुशासन के लिए बहुत आवश्यक है।
- उन्होंने यह भी कहा कि लोक सेवकों के कार्य प्रदर्शन की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जानी चाहिए।
- किसी भी सिविल सेवक के लिए सामाजिक और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता बहुत महत्त्व रखती है। प्रशासन हमारे देश की ताकत है और यह महत्वपूर्ण हितधारक हैं।
- उन्होंने यह भी कहा कि ये गुण नेतृत्व की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण हैं।
- इस सम्मेलन के प्रमुख संकल्प-
  - नागरिक चार्टर्स के समय पर उन्नयन, लगातार सुधार के

लिए अधिनियमों और बेंचमार्किंग मानकों के माध्यम से बेहतर सेवा आपूर्ति के लिए नीतिगत प्रयासों द्वारा नागरिकों को सशक्त बनाना।

- शिकायत निवारण की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर सुधार लाने और शिकायत निवारण में लगने वाले समय को कम करने के लिए उचित दृष्टिकोण अपनाकर नागरिकों को सशक्त बनाना।
- उन्नत मैपिंग, निगरानी प्रणाली के गठन, डाटा संग्रह और शिकायत निवारण की गुणवत्ता के मूल्यांकन के माध्यम से प्रणालीगत समग्र दृष्टिकोण को अपनाना।
- वेब पोर्टलों के निर्माण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर सेवा वितरण के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने हेतु राज्यों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों ओर विभागों में सक्षम वातावरण उपलब्ध कराना।
- गतिशील नीति निर्माण और रणनीतिक निर्णय, कार्यान्वयन की निगरानी, प्रमुख कर्मियों की नियुक्ति, समन्वय और मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना।
- एक भारत - श्रेष्ठ भारत के तहत युग्मित राज्यों के बीच बेहतर सेवा वितरण के क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान द्वारा सामान्य पहचान की भावना को अर्जित करना।
- 10 क्षेत्रों, विशेष रूप से केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर कल्याण और बुनियादी ढांचा से संबंधित क्षेत्रों में, शासन की गुणवत्ता की पहचान के लिए सुशासन सूचकांक के समय पर प्रकाशन को सुनिश्चित करना।

3. ईसीएचओ नेटवर्क

- भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के विजयराघवन ने नई दिल्ली में भारत में विभिन्न विषयों में नेतृत्व को गति प्रदान करने के लिए एक सांचा उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम ईसीएचओ नेटवर्क आरम्भ किया जिसमें बढ़ते अनुसंधान, ज्ञान तथा भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण की जागरूकता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया।
- प्रो. विजयराघवन ने कहा कि भारत ने हाल ही में उपमहाद्वीप पर पारिस्थितिकी और पर्यावरण अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों को शुरू किया है; बहरहाल अंत:विषय कौशलों और सहयोगात्मक मानसिकता के साथ प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की अभी भी कमी बनी हुई है।
- शिक्षकों और छात्रों की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जो अंत:विषय तरीके से समस्याओं की पहचान और समाधान कर सकते हैं और जो हमारी प्राकृतिक दुनिया को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं तथा चिकित्सा, कृषि, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से निपट सकते हैं।
- यह नेटवर्क भारतीय शिक्षा और तकनीक दुनिया के लिए आवश्यक अन्वेषण के लिए पूरी तरह से नए दृष्टिकोण को प्रेरित करेगा।
- भारत को अपने मानव पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अभूतपूर्व खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके समाधान के लिए भारत की मजबूत तकनीकी विशेषज्ञता और प्राकृतिक दुनिया के ज्ञान का संगम आवश्यक है।
- ईसीएचओ नेटवर्क भारतीयों की एक नई पीढ़ी को उत्प्रेरित करने के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करेगा जो अंत:विषय अवधारणाओं को समायोजित कर सकता है तथा चिकित्सा, कृषि, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से निपट सकता है। चूंकि दुनिया में कहीं भी इस तरह के नेटवर्क का कोई उदाहरण नहीं है। ईसीएचओ नेटवर्क यह बदलने के लिए एक नया मंच स्थापित करता है कि हमारे आधुनिक समाज में विज्ञान किस प्रकार सन्निहित है।
- नागरिकों, उद्योग, शिक्षा और सरकार के साथ अंत: संवादमूलक सत्रों के माध्यम से, नेटवर्क मानव और पर्यावरणीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में चयनित विषयों के बारे में पहचान करेगा।

4. क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (क्यूआरएसएएम) सिस्टम का ओडिशा तट के एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। मिसाइल का तैनाती मोड में पूर्ण विन्यास के साथ मिशन के उद्देश्य को पूरा करते हुए हवा में लक्ष्य को भेदने के साथ उड़ान परीक्षण किया गया।
- इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी ग्राउंड टेलीमेट्री सिस्टम, रेंज रडार सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम इत्यादि द्वारा की गई।
- क्यूआरएसएएम हथियार प्रणाली में पूरी तरह से स्वचालित कमांड और नियंत्रण प्रणाली, सक्रिय व्यूह बैटरी निगरानी रडार, सक्रिय व्यूह बैटरी बहुक्रिया रडार और लांचर शामिल हैं।
- दोनों राडार चार-दीवार वाले हैं जो चारों दिशाओं में एक

साथ नजर रख सकते हैं। यह प्रणाली फायरिंग यूनिट के लिए न्यूनतम संख्या में वाहनों के साथ सुगठित है।

- डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित यह सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेल्ड मिसाइल दोतरफा डेटा-लिंक और खोज करने वाले सक्रिय टर्मिनल के साथ मिडकॉर्स इनर्सियल नेविगेशन प्रणाली है।
- मिसाइल ने अपनी क्षमता को स्थापित करते हुए सफलतापूर्वक हवाई लक्ष्य को भेदा। इस मिशन के साथ हथियार प्रणाली के विकासात्मक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और वर्ष 2021 तक इसके पूरी तरह से तैयार होने की उम्मीद है।

5. एशियाई विकास बैंक और भारत

- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने भारत में ऊर्जा दक्षता सेवाएं लिमिटेड (ईईएसएल) को देश में ऊर्जा दक्षता निवेशों का विस्तार करने के लिए 250 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। इससे भारत में कृषि, आवासीय संस्थागत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा एडीबी के प्रशासन में स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (सीटीएफ) से 46 मिलियन अमरीकी डॉलर का वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा।
- इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा सेवा कंपनी, ईईएसएल को एडीबी ने 2016 में डिमांड साइड ऊर्जा दक्षता सेवा परियोजना के लिए 200 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण मंजूर किया था। इस परियोजना में कुशल प्रकाश व्यवस्था और उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इस ऋण अनुबंध पर वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव (फंड बैंक और एडीबी) श्री अमित खरे तथा एडीबी के भारतीय रेजीडेंट मिशन के कंट्री निदेशक श्री केनिची योकोयामा ने हस्ताक्षर किए। श्री खरे ने कहा कि ऋण पर हस्ताक्षर के बाद इस परियोजना से भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के बारे में सरकार की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
- इस बारे में उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर सौर फोटोवोल्टिक प्रणालियों तथा इलेक्ट्रिक वाहनों सहित पात्र राज्यों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों की शुरूआत से बिजली नेटवर्क के नुकसान को कम करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को घटाने में मदद मिलेगी।
- इस समझौते के बारे में श्री योकोयामा ने कहा कि यह एडीबी की कुछ परियोजनाओं में से एक है जिसमें विशेष रूप से उस मांग-पक्ष ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो अपस्ट्रीम दक्षता के अवसरों और व्यापार मॉडल को लक्षित करता है। इस परियोजना का स्मार्ट मिशन घटक बिलिंग और संग्रह कमियों को दूर करने में मदद करेगा। ईईएसएल भारत द्वारा वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने में मदद के साथ-साथ ई-वाहनों के लिए सार्वजनिक मांग उत्पन्न करने के लिए व्यावसायिक मॉडलों का पता भी लगाएगा।
- इस परियोजना की विशेषता ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना भी है। बिजली वितरण, नियामक एजेंसियों और अन्य सरकारी निकायों के लिए भी क्षमता निर्माण किया जाएगा। ऋण के साथ 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की तकनीकी सहायता भी होगी जो इस परियोजनाओं को लागू करने में ईईएसएल की मदद करेगी। यह तकनीकी सहायता नई उप परियोजनाओं की पहचान और विकास करने के साथ-साथ कुछ प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने भी मदद करेगी। यह अनुदान स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष से मिलेगा।
- एडीबी एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और सतत एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक अत्यधिक गरीबी के उन्मूलन के लिए भी प्रयासरत है। 2018 में इस बैंक ने 21.6 बिलियन अमरीकी डॉलर राशि के नए ऋणों और अनुदानों की प्रतिबद्धता की थी।

6. अपहरण रोधी अभ्यास

- भारतीय तट रक्षक, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट और अन्य हितधारकों की सहायता से भारतीय नौसेना ने 18 दिसंबर, 2019 को कोच्चि पोर्ट पर अपहरण रोधी अभ्यास संचालित किया। यह अभ्यास बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था। पहली बार सभी हितधारकों के साथ इतने बड़े अभ्यास का आयोजन केरल में किया गया। इस अभ्यास का कोड नाम 'अपहरण' था। इस अभ्यास में विभिन्न एजेंसियों तथा भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक और कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के 12 से अधिक जहाजों और हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। परिदृश्य निर्माण के लिए कोच्चि बंदरगाह से कुछ दूर पर एक छोटे जहाज को टारगेट के रूप में रखा गया। सी किंग हेलीकॉप्टर की मदद से मरीन कमांडो बोर्डिंग ऑपरेशंस के जरिए इस जहाज पर उतरे और इसके डेक तक पहुँचे।
- राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा किसी जहाज को अपहरण करने को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रियात्मक/कार्रवाई व्यवस्था/तैयारी में एकरूपता लाने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। तटरक्षा के लिए व्यावसायिक जहाज का अपहरण एक गंभीर चुनौती है। इस पर कार्रवाई के लिए संसाधनों के समन्वय तथा राज्य सरकार समेत सभी हितधारकों के प्रयासों की आवश्यकता होती है।

- इस अभ्यास का आयोजन अपतटीय प्लेटफार्म पर मुंबई से लगभग 50 नॉटिकल मील दूर पश्चिम की दिशा में किया गया था। तेल प्लेटफार्म के साथ दिशाहीन जहाज के टकराव, तेल प्लेटफार्म पर आग, तेल रिसाव व प्रदूषण नियंत्रण, ओडीए से आकस्मिक निकासी व चालक दल के लिए खोज व बचाव जैसी आकस्मिकताओं के लिए अभ्यास किए गए। इसके अतिरिक्त, अपहरण रोधी ड्रिल और बम निरोधक अभ्यास आयोजित किए गए जिसमें भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज व विस्फोटक आयुध निरोधक टीम को हेलीकॉप्टरों से पोत पर उतारा गया। इस अभ्यास से सभी हितधारकों को एक वास्तविक परिदृश्य प्राप्त हुआ जिससे कि वे पश्चिम ओडीए में आकस्मिकताओं से निपटने के साथ-साथ समन्वित तरीके से साथ मिलकर कार्य करने की तैयारी का आकलन कर पाएं।
- यह अभ्यास कोस्टल डिफेंस के कमांडिंग-इन-चीफ (फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, साउदर्न नेवल कमांड) केरल के तत्वावधान में आयोजित किया गया। यह अभ्यास सभी हितधारकों की तैयारियों के मूल्यांकन, कमियों को दूर करने और कोच्चि पोर्ट के लिए एकीकृत संकट प्रबंधन योजना तैयार करने का अवसर प्रदान करता है।

7. हिंसा, अशिष्टता और अश्लीलता दिखाने से बचने का आग्रह

- उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने फिल्म बिरादरी से आह्वान किया कि वह जनता विशेषकर युवाओं पर फिल्मों के बड़े पैमाने पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव को ध्यान में रखते हुए फिल्मों में हिंसा, अशिष्टता और अश्लीलता दिखाने से बचें।
- दिल्ली में 66 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करने के बाद संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि फिल्म निर्माताओं को इस शक्तिशाली माध्यम के लोगों पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने उनसे आग्रह किया कि वे सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में इस शक्तिशाली माध्यम का उपयोग करें और विभिन्न सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए लोगों को शिक्षित करें, सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा दें तथा समाज के नजरिये में बदलाव लाएं।
- फिल्मों का मुख्य रूप से ध्यान चुनौतियों और सामाजिक विचारधाराओं की कलात्मक प्रस्तुति पर होना चाहिए तथा विवादों का इस प्रकार से समाधान किया जाना चाहिए, जिससे सामाजिक सौहार्द बना रहे और नैतिक सिद्धांतों को मजबूती मिले।
- युवा मन पर सिनेमा के पड़ने वाले गहरे प्रभाव की ओर इशारा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा सही मूल्यों को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा की मौजूदा प्रवृत्ति से निपटने के लिए एक कड़ा संदेश देना चाहिए।
- समाज में हम सभी लोगों, विशेष रूप से फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को महिलाओं का सम्मानजनक चित्रण करना चाहिए। यह सोचना गलत है कि संदेश देने वाली किसी फिल्म को दर्शक स्वीकार नहीं करेंगे। सामाजिक संदेश के साथ एक फिल्म मनोरंजक और व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकती है। अतः फिल्म उद्योग को स्वस्थ आहार और शारीरिक फिटनेस के महत्व के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करनी चाहिए।
- उपराष्ट्रपति ने प्रत्येक फिल्म निर्माता से यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि वे चरित्र चित्रण, संवाद और वेशभूषा के माध्यम से भारत की संस्कृति, रीति-रिवाजों, प्रथाओं और परंपराओं को दर्शाएं। सिनेमा को परिवार व्यवस्था को मजबूत बनाने और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने में भी मदद करनी चाहिए।
- भारतीय सिनेमा की वैश्विक लोकप्रियता का जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि भारतीय फिल्में बाहरी दुनिया के समक्ष भारतीयता की महत्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करती हैं। इसलिए हमें सांस्कृतिक कूटनीति की दुनिया का प्रभावी दूत बनने की आवश्यकता है।
- फिल्म बिरादरी और सरकार के बीच अधिक सहयोग करने और भारत के दर्शनीय स्थलों के उपयोग के तरीकों को विकसित करने का आह्वान करते हुए उन्होने कहा, निरंतर विकास के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करते हुए, हम पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं और दुनिया के लिए सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन कर सकते हैं।

○○○

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2020

1. जीएचजी उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा एवं उसका उपयोग : ऐतिहासिक स्थिति, भविष्य का लक्ष्य और 2 डिग्री सेल्सियस संगत मानक

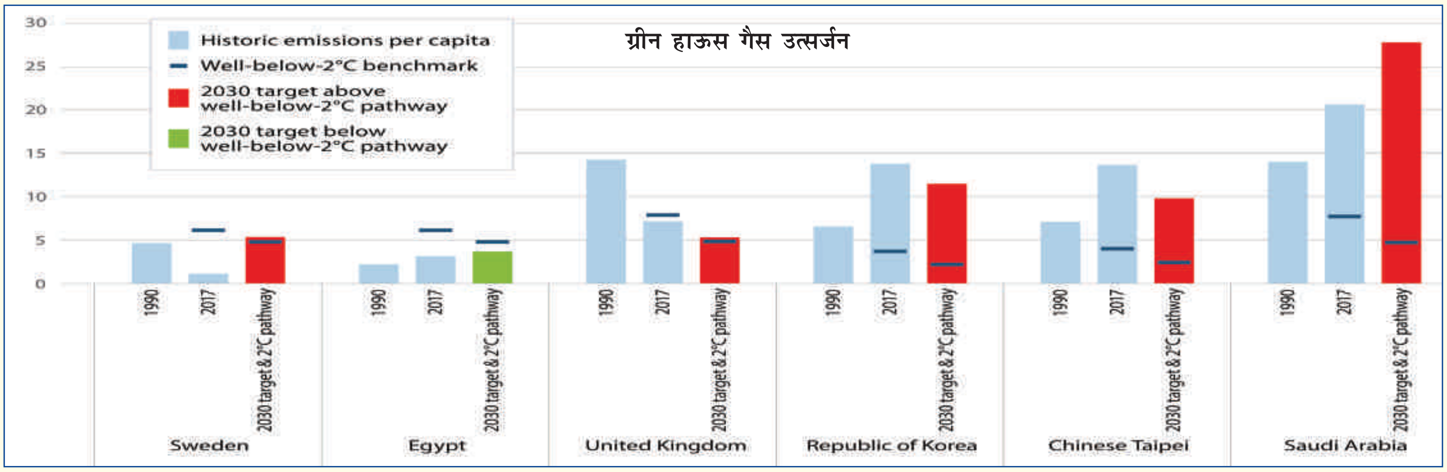

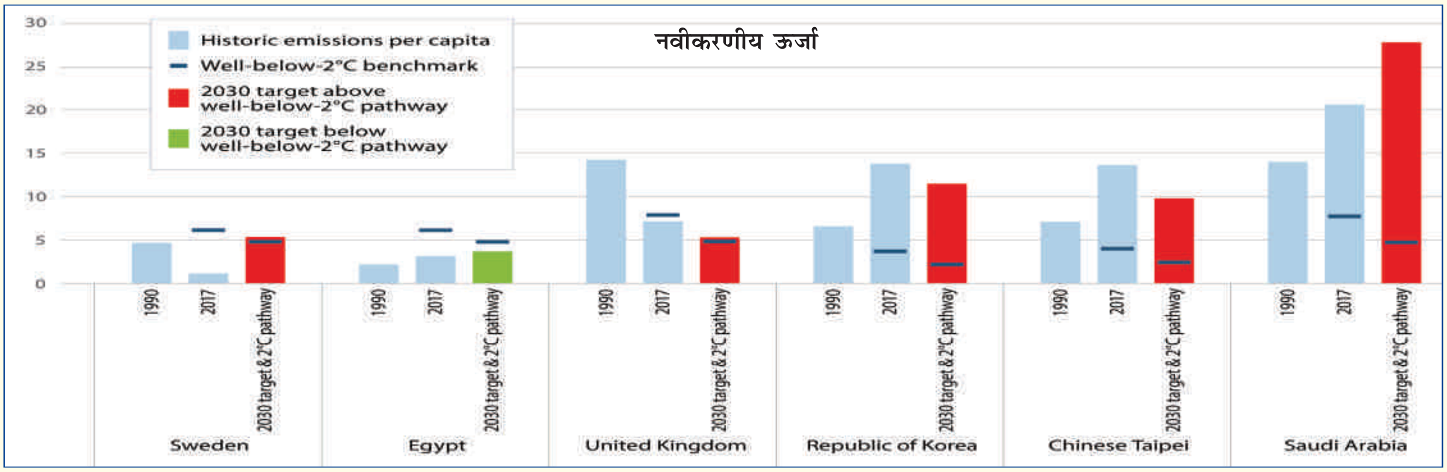

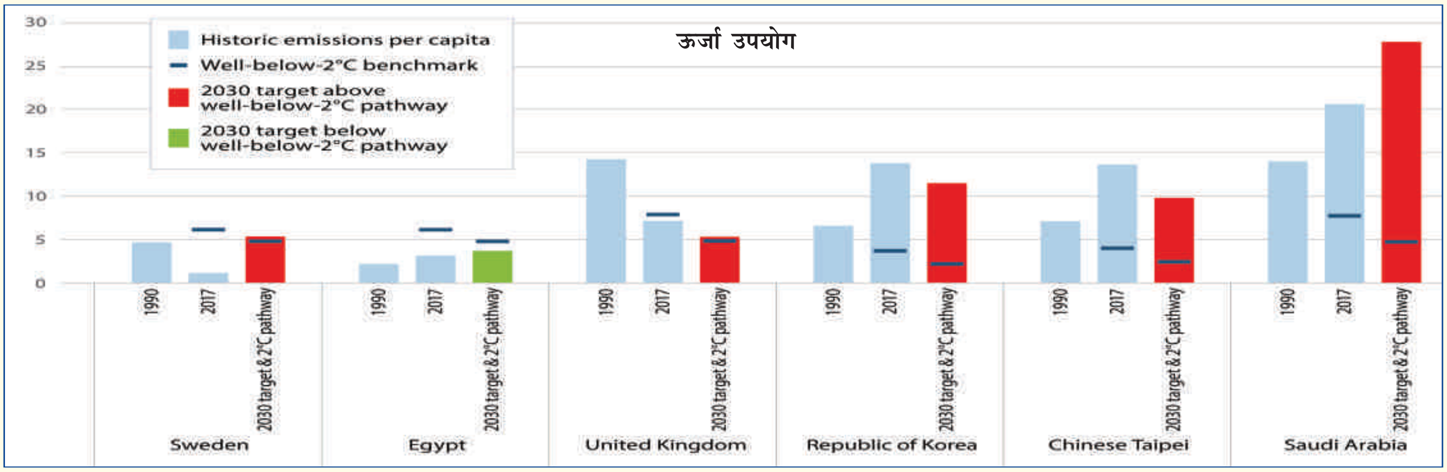

2. सीसीपीआई के घटक

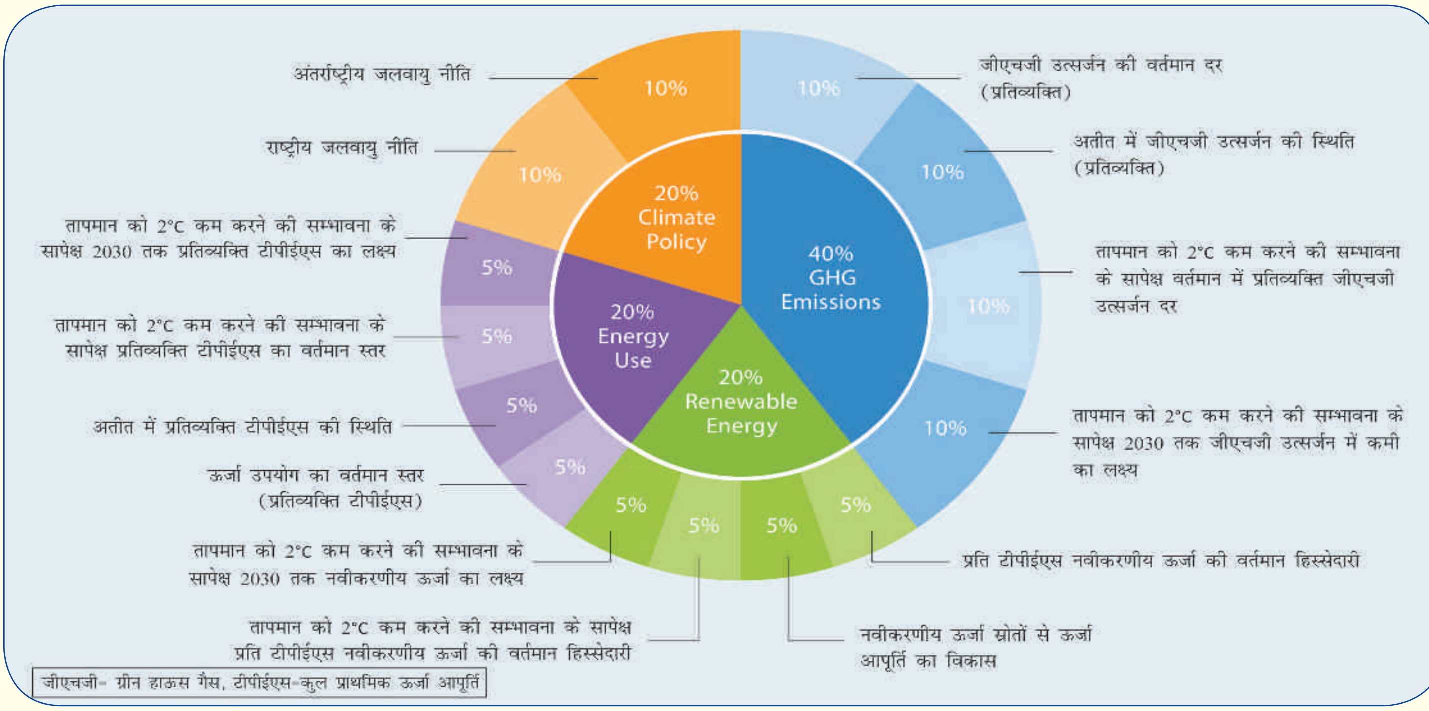

- जलवायु परिवर्तन सूचकांक (सीसीपीआई) द्वारा चार श्रेणियों- जीएसजी उत्सर्जन (समग्र स्कोर का 40%), नवीकरणीय ऊर्जा (समग्र स्कोर का 20%), ऊर्जा उपयोग (समग्र स्कोर का 20%) तथा जलवायु नीति (समग्र स्कोर का 20%) के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है।

3. सीसीपीआई 2020 का समग्र परिणाम

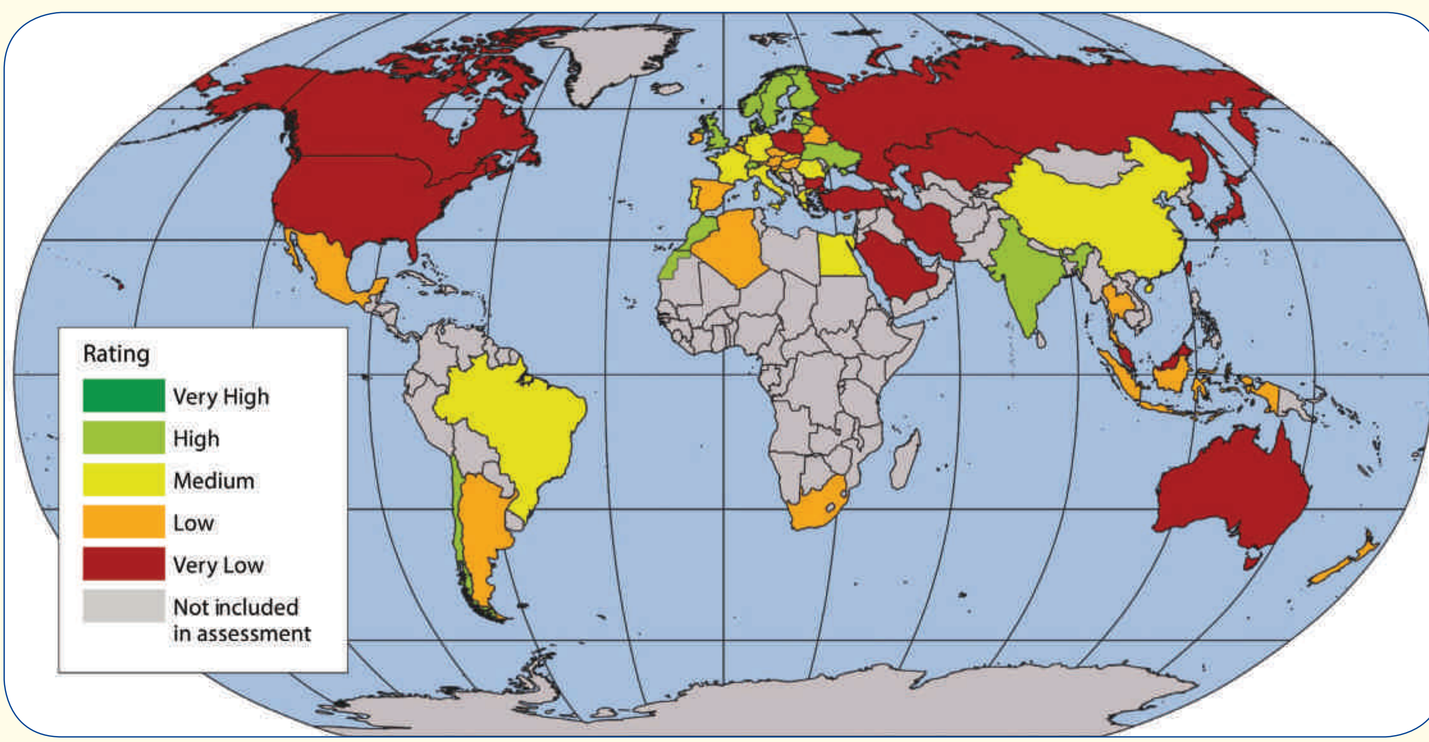

- **तीन शीर्ष प्रदर्शक :** स्वीडन, डेनमार्क और मोरक्को
- **निम्न प्रदर्शक :** चाइनीज ताइपे, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका

4. ग्रीन हाउस उत्सर्जन

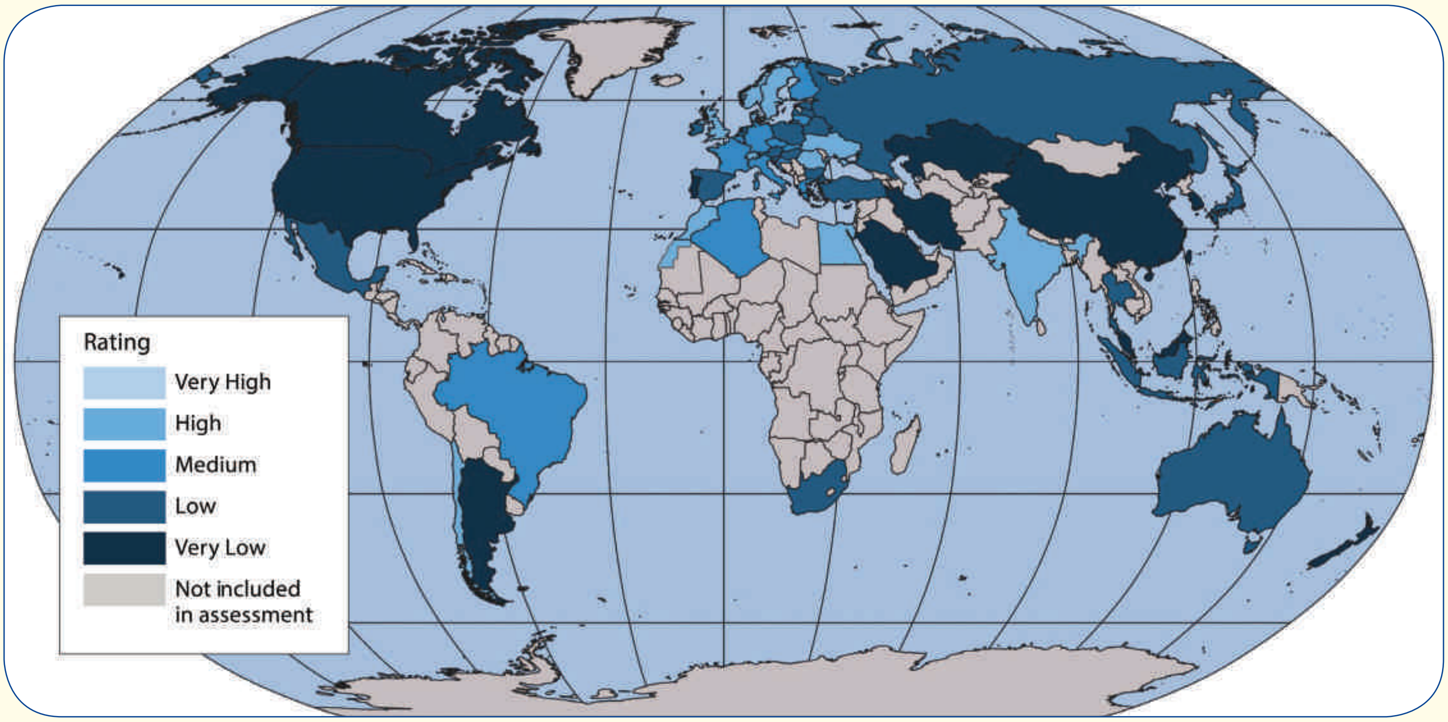

- **तीन शीर्ष प्रदर्शक :** स्वीडन, मिस्र और यूनाइटेड किंगडम
- **निम्न प्रदर्शक :** रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चाइनीज ताइपे और सऊदी अरब

5. नवीकरणीय ऊर्जा

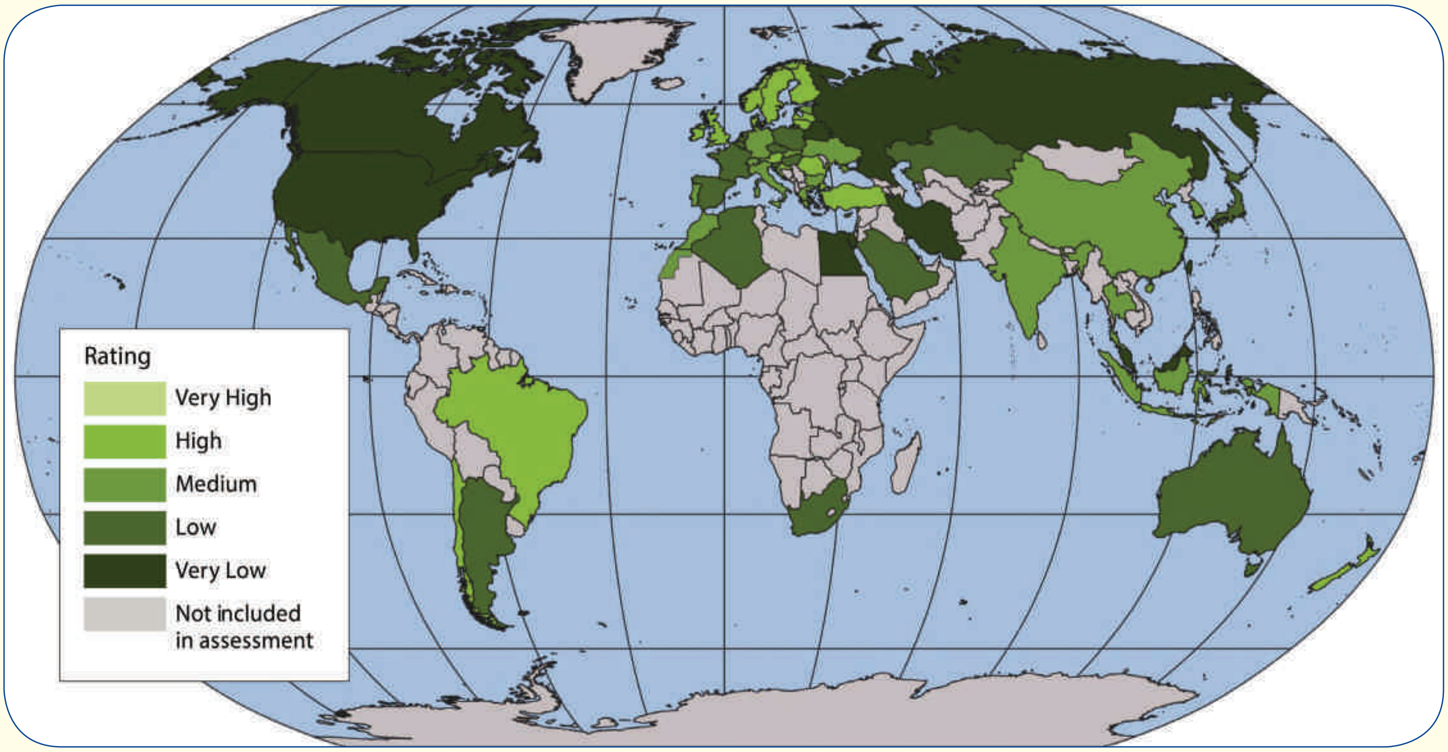

- **तीन शीर्ष प्रदर्शक :** लातविया, स्वीडन और डेनमार्क
- **निम्न प्रदर्शक :** मलेशिया, ईरान और रूस

6. ऊर्जा उपयोग

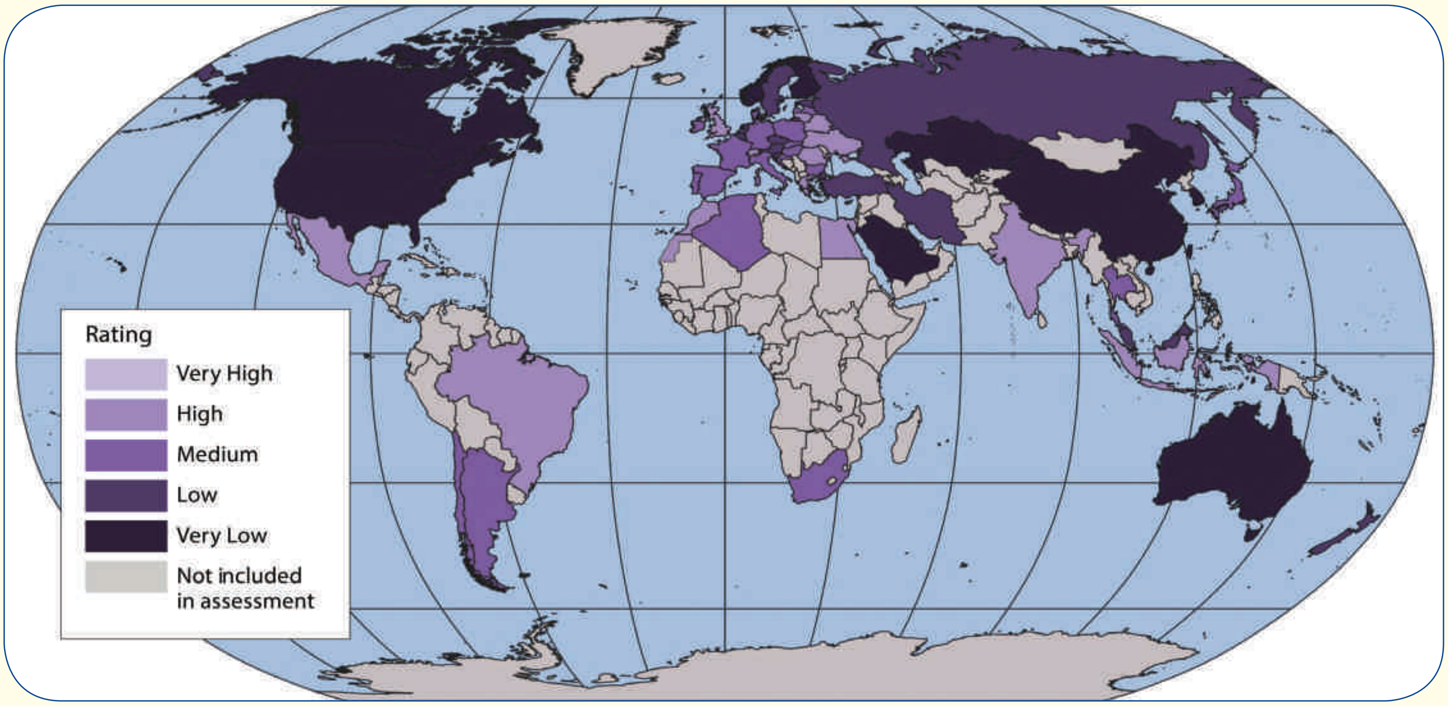

- **तीन शीर्ष प्रदर्शक :** माल्टा, मोरक्को और मैक्सिको
- **निम्न प्रदर्शक :** सऊदी अरब, कनाडा और रिपब्लिक ऑफ कोरिया

7. जलवायु नीति

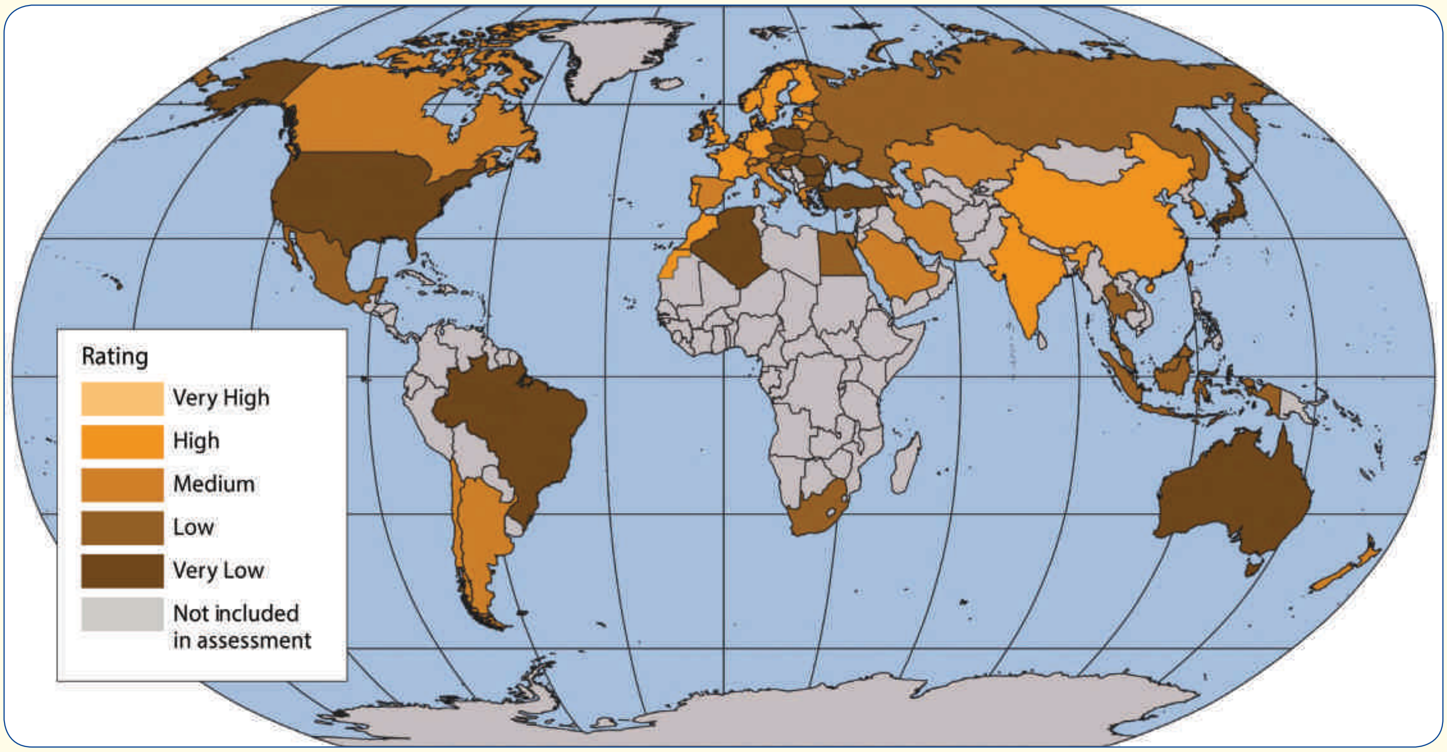

- **तीन शीर्ष प्रदर्शक :** पुर्तगाल, फिनलैंड और मोरक्को
- **निम्न प्रदर्शक :** तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (CAIPTS)

TARGET 2020

OFFLINE & ONLINE

Total 28 Tests

13 Applied Tests (including 1 Revision Test and 1 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)	**10 Full Length GS Tests** (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)	**5 CSAT Tests** (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)

Key features of CAIPTS

- The CAIPTS will contain a total of 28 tests (Fullyapplied and based on UPSC Pattern) 28 Tests = 13 Applied Tests (including 1 Revision Test and 1 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based) + 10 Full Length GS Tests (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based) + 5 CSAT Tests (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)
- Applied level tests will be based on standard references which will enhance the analytical ability of the aspirants.
- 8 full length and 2 Previous Year based papers will cover the entire syllabus and match the level of UPSC-CSE prelims examination. It will further enable the aspirants for their better evaluation of learning outcome.
- In addition to this, the unique feature of DHYEYA IAS CAIPTS, is, four full length tests based on UPSC CSE prelims question papers of past 25 years. These tests will drive the aspirants' motives to go through the previous years question papers which is one of the important aspects of CSE preparation. It will also assist them to understand the changing nature of the questions asked in the examination.

635, Ground Floor, Main Road Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009 | Call: 011-49274400, 9205274741

For more details visit: www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

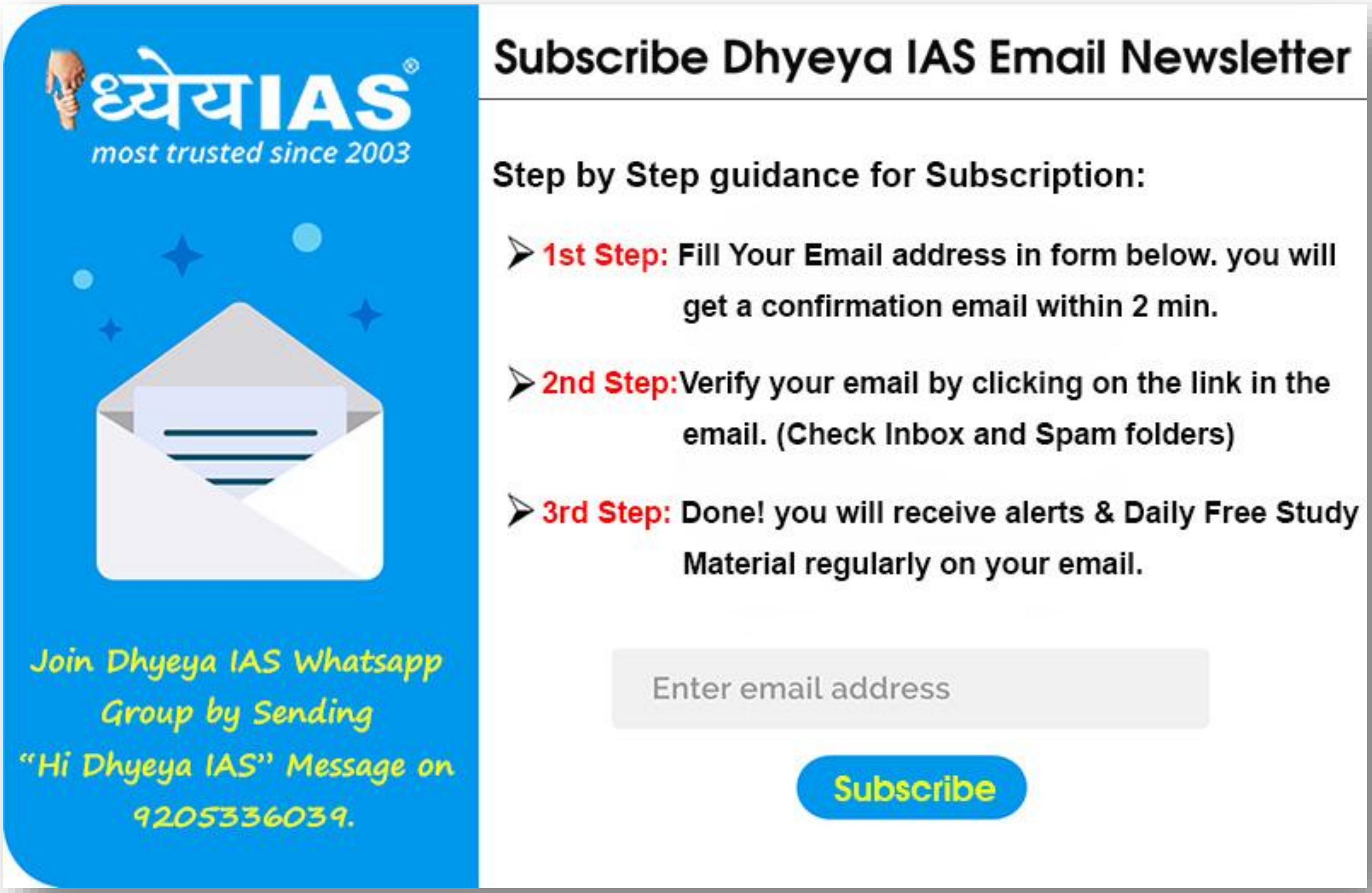

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400